लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

6th Lok Sabha

Preservation Parliament Library
18-9-92

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, गुरुवार, 8 दिसम्बर, 1977/17 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 17, *Thursday, December* 8, 19/7/*Agrahayana* 17, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	1–14
तारांकित प्रश्न संख्या 331, 334 335, 341 और 342	Starred Questions Nos. 331, 334, 335, 341 and 342	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	14–105
तारांकित प्रश्न संख्या 326 से 330, 332, 333, 336 से 340 और 343 से 345	Starred Questions Nos. 326 to 330, 332, 333, 336 to 340 and 343 to 345	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3069 से 3071, 3073 से 3085, 3087 से 3092, 3094, 3095, 3097 से 3128 3130 से 3146 और 3148 से 3205	Unstarred Questions Nos. 3069 to 3071, 3073 to 3085, 3087 to 3092, 3094, 3095, 3097 to 3128, 3130 to 3146 and 3148 to 3205.	
अतारांकित प्रश्न संख्या 682 दिनांक 17–11–1977 और अतारांकित प्रश्न संख्या 731 दिनांक 17–11–1977 के उत्तरों की शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting Statements to Unstarred Question No. 682, dt. 17-11-1977 and Unstarred Question No. 731, dt. 17-11-1977	106–107
ध्यानाकर्षण सूचनाओं के बारे में	Re. **Calling attention notices**	107–108
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**Papers laid on the Table**	108
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	**Calling attention to matter of urgent public importance**	108–115
कानपुर की कपड़ा मिल में कथित दंगे	Reported disturbance in a Kanpur Textile Mill	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	109–110
श्री धनिक लाल मंडल	Shri Dhanik Lal Mandal	109–110
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	111–115
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	111
श्री मनोहर लाल	Shri Manohar Lal	112
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	112–113
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	113–114

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—366 LSS(ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन के बारे प्रस्ताव–वापिस लिया गया—	**Motion re. steps for removal of economic backwardness of four districts of eastern Uttar Pradesh—Withdrawn—**	115–118
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	115–117
श्री यादवेन्द्र दत्त	Shri Yadvendra Dutt	117–118
लोक लेखा समिति—	**Public Accounts committee—**	118
32वां प्रतिवेदन	Thirtysecond report	118
मुंगफली सोलवेंट एक्सट्रेक्शन आदि के निर्यात के बारे में याचिका	**Petition re. Export of Groundnut solvent extraction etc.**	119
समिति के लिए निर्वाचन—	**Election to committee—**	119
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय	Governing body of Indian Council of Medical Research	119
बहुराज्य सहकारी सोसायटी विधेयक—पुरःस्थापित	**Multi-state co-operative societies Bill Introduced**	119–120
नियम 377 के अधीन मामले—	**Matters under rule 377—**	120–121
(एक) बिहार में बिजली की भारी कमी	(i) Acute shortage of Power in Bihar	120
(दो) भागलपुर-बहिपुर रेल तथा स्टीमर सेवा को पुनः आरंभ न करने से व्याप्त रोष	(ii) Resentment due to non-resumption of Bhagalpur-Bihpur Rail and steams service.	120–121
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जांच आयोग के 1974 के प्रतिवेदन के बारे प्रस्ताव—	**Motion re. Report of 1974 of Commission of Inquiry into the Disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose.**	121–131
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	Shri Direndranath Basu	121
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	121–123
श्री शक्ति कुमार सरकार	Shri S. K. Sarkar	123–124
श्रीमती चन्द्रावती	Shrimati Chandravati	124
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy	124–126
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mritunjay Prasad Verma	126
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu	126–127
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karna Singh	128
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	128–129
श्री दिलीप चक्रवर्ती	Shri Dilip Chakravarty	129
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	129
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	129–130
श्री बेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	130
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	130–131

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 8 दिसम्बर, 1977/17 अग्रहायण, 1899 (शक)
Thursday, December, 8, 1977/Agrahayana 17, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 326 से 330--यहां नहीं हैं। प्रश्न संख्या 331—श्री चित्त बसु। आप तो हमेशा यहां रहते हैं।

श्री चित्त बसु : जी, हां। मैं आज पहले नम्बर पर हूं।

मार्च से नवम्बर, 1977 के दौरान हड़तालों की राज्यवार संख्या

***331. श्री चित्त बसु† :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) मार्च से नवम्बर, 1977 के दौरान प्रत्येक राज्य में हुई हड़तालों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ख) कितनी हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। इस सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और वह यथासमय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विवरण

मार्च से सितम्बर, 1977 की अवधि के संबंध में प्रश्न के भाग (क) के बारे में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हड़तालों की संख्या†
आन्ध्र प्रदेश	60
असम	4
बिहार	167
गुजरात	79
हरियाणा	15
हिमाचल प्रदेश	3
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	45
केरल	94
मध्य प्रदेश	110
महाराष्ट्र	175
मणिपुर	—
उड़ीसा	19
पंजाब	27
राजस्थान	50
तमिलनाडु	122
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	104
पश्चिम बंगाल	152
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
चण्डीगढ़	2
दिल्ली	15
गोवा	22
पांडिचेरी	15
मेघालय	—
लक्षद्वीप	1
सिक्किम	—
दादरा और नागर हवेली	1
नागालैण्ड	—
मिजोरम	—
अरुणाचल प्रदेश	—
योग	1,290

†यह सूचना अनंतिम है तथा श्रम ब्यूरो, शिमला में 18 नवम्बर, 1977 तक प्राप्त हुई विवरणीयों पर आधारित है। अक्तूबर और नवम्बर के संबंध में विवरणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, उत्तर में देश के भिन्न-भिन्न भागों में हुई हड़तालों की लम्बी सूची है जो कुल मिलाकर लगभग 1290 हैं।

क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि आज औद्योगिक क्षेत्र में सब कुछ शांतिपूर्ण नहीं है ? क्या वह सभा को आज देश में औद्योगिक अशांति की शुरुआत के विशेष कारणों के बारे में बतायेंगे तथा क्या यह भी बतायेंगे कि समूचे देश में इन हड़तालों के कारण कितने जन दिवसों की हानि हुई और उत्पादन की कितनी हानि हुई ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, माननीय सदस्य को बहुत अच्छी तरह जानकारी है और उन्हें इन आंकड़ों से मालूम होना चाहिये कि इस वर्ष की स्थिति, आपात स्थिति से पहले की इसी अवधि की स्थिति की तुलना में चिंताजनक नहीं है । यह सच है कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है तथापि हम यह नहीं चाहते कि औद्योगिक अशांति का कोई भी मामला हो । हम समय पर औद्योगिक अशांति के कारणों से निपटना चाहते हैं ताकि उत्पादन में बाधा न पड़े । उस दृष्टि से स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है और जैसी स्थिति विद्यमान है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । जहां तक 1977 के दौरान जन दिवसों की हानि का सम्बन्ध है, राज्य क्षेत्र में जितने जन दिवसों की हानी हुई उसका हिसाब कुल हानि का लगभग 80 प्रतिशत लगाया गया है जबकि 1976 की इसी अवधि के आंकड़े 91 प्रतिशत थे ।

उत्पादन की हानि के बारे में मुझे पृथक सूचना चाहिये ।

श्री चित्त बसु : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । इसके लिये सूचना पहले दी गई थी । मेरी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार अथवा विशेषकर श्रम मंत्रालय अभी तक चाही गई जानकारी कैसे प्राप्त नहीं कर सका । यह आपकी जानकारी के लिये है । क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में अनेक हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय सभा को सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उन हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के कारणों की जानकारी देंगे ? इसके अतिरिक्त क्या ऐसा करना केन्द्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा घोषित सिद्धान्त अथवा नीति के विपरित नहीं है ?

श्री रविन्द्र वर्मा : महोदय, जानकारी के लिये माननीय सदस्य का अधीर होना स्वाभाविक है परन्तु सरकार को कई स्रोतों से जानकारी एकत्र करनी होती है और इस मामले में राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों भी शामिल हैं । सूचना प्राप्त होने के बाद हम जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं परन्तु जब जानकारी हमें नहीं मिलती है तो या तो हम अन्दाज लगाते हैं या सभा को ईमानदारी से कह देते हैं कि जानकारी मिली नहीं है और हम इसे यथा समय सभा-पटल पर रख देंगे । जहां तक दो-तीन राज्य सरकारों, यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हड़तालों को गैर कानूनी घोषित किये जाने का प्रश्न है, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर इनमें से प्रत्येक उदाहरण से मिल जाता है । प्रत्येक मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है । परन्तु मैं निश्चय ही जानकारी एकत्र करूंगा और उसे सभा-पटल पर रखूंगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The labour class is very happy since the announcement of payment of bonus by the hon. Minister. But it is true that several strikes have taken place in the industrial belt of Haryana, Uttar Pradesh and Delhi and the most of all tragic thing is that violence has been there and there has been loss of life and property also. The reason for this is that there are certain organisations which do not want that the Janata Party should work properly and there are some industrialists also who want to see the Janata Party's failures. They also want this that the production should come down and economy is shattered. I want to know whether the hon. Minister will convene a meeting of labour organisations, industries and all the concerned authorities to flout this conspiracy in which it should be decided that there would be no strike at least for the period of two years and will he also work out a machinery whereby the labour dispute is solved, the production is increased and the country may advance ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने कुछ कारण बताए हैं जिन्हें वह देश में व्याप्त औद्योगिक अशांति के लिए सहायक कारण मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी प्रकार के औद्योगिक कामों में मिले-जुले उद्देश्य हैं—औद्योगिक कार्यवाही के अनेक मामलों में या तो श्रमिकों की ओर से या प्रबन्धकों की ओर से ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे समूह जो यह चाहते हैं कि औद्योगिक शांति में बाधा पड़े और अर्थव्यवस्था में प्रगति न हो। ये मत हैं। परन्तु जहां तक अन्य प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, का सम्बन्ध है, तथा जो औद्योगिक शांति सुनिश्चित करने के मार्गोपायों पर विचार करने और उसके लिए मशीनरी बनाने हेतु सरकार के रवैये के बारे में है, मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्न का दूसरा भाग शायद पहले भाग से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी लिए हमारा बिश्वास है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम औद्योगिक सम्बन्ध कानून का व्यापक पुनर्विलोकन करने में लगे हुए हैं ताकि विवादों के निपटाने के लिए जो व्यवस्था विद्यमान है जैसे समझौता, न्याय-निर्णय, पंच-फैसला आदि को विवादों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए सुधारा जा सके ताकि औद्योगिक अशांति का कम कारण रहे। पहले भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि एक विशेष अवधि के लिये औद्योगिक संधि का जो सुझाव है वह मेरे द्वारा त्रिपक्षीय समिति तथा त्रिपक्षीय सम्मेलन में उठाया गया था और हम इस समय ऐसे आधार पर उपरोक्त प्रकार की औद्योगिक संधि की एक अवधि के लिये सभी सम्बन्धित पार्टियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी को स्वीकार्य हो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे विश्वास है कि सभा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी कि मशीनरी में सुधार किया जा रहा है और यह कि औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक शीघ्र ही लाया जायेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे स्थानों पर बहुत सी हड़तालें हुई हैं जहां औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रम कानून लागू नहीं किये गये हैं। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालय के कैम्पस में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, दिल्ली जो कारखाने की तरह चीजें बना कर बाहर बेच देती हैं, की तरह पूर्णतया शिक्षा संस्थाएं नहीं हैं। वस्तुतः आपात स्थिति के दौरान उसने जल प्रदान के लिये नगर निगम और मारुति लिमिटेड को सामग्री बेची है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं पर श्रम कानून और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ताकि अध्यापन न करने वाले कर्मचारियों के विवाद निपटाने के लिये किसी मशीनरी की व्यवस्था की जा सके।

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह है कि उन सभी उपक्रमों में, जहां नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध है, रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिये और विवाद निपटाने के लिये साधन और व्यवस्था होनी चाहिये। यह बिल्कुल ठीक है कि इस समय औद्योगिक विवाद अधिनियम जैसा है, वह ऐसी प्रत्येक परिस्थिति और ऐसे प्रत्येक उपक्रम पर लागू नहीं होता है। वर्तमान कानूनों का पुनर्विलोकन करते समय और इस विषय पर सभा के समक्ष व्यापक कानून लाने के लिये उसे तयार करते समय हम निश्चय ही इस प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी विचार कर रहे हैं कि उन सभी व्यक्तियों को रोजगार-सुरक्षा का लाभ मिले जो नौकरी में हैं और उनके विवाद निपटाने के लिये कोई साधन अथवा व्यवस्था हो।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री महोदय ने यह माना है कि देश में औद्योगिक अशांति की स्थिति शोचनीय है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि तमिलनाडु में औद्योगिक अशांति सबसे अधिक बुरी हालत में है और टी.वी एस ग्रुप जैसे कुछ उद्योग, जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिये सहायक पुर्जे बना रहे हैं, बुरी हालत में है जिसके परिणामस्वरूप समूचा मोटर गाड़ी उद्योग बुरी हालत में है? उन्हें पुर्जों का आयात करने के लिये विवश किया जाता है जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा व्यर्थ जाती है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रवीन्द्र वर्मा : माननीय सदस्य के उनके राज्य के प्रति गर्व को मैं भली भांति समझता हूं। मुझे खेद है कि यदि मैं यह कहूंगा कि तमिलनाडु में सबसे अधिक बुरी हालत नहीं है तो माननीय सदस्य उस गर्व का दावा नहीं कर सकते जिसे वह अभी कर रहे हैं। महाराष्ट्र 14 प्रतिशत के लिये उत्तरदायी है, बिहार 13 प्रतिशत के लिये, पश्चिम बंगाल 12 प्रतिशत के लिये और तामिलनाडु, जो 9 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी है बहुत पीछे है। तथापि टीवी एस ग्रुप के बारे में माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि वह बहुत ही कठिन और चरम स्थिति से गुजरा है परन्तु इस समय जिस हड़ताल और तालाबन्दी का उन्होंने उल्लेख किया था वह समाप्त हो गई है और उत्पादन पुनः आरंभ हो गया है। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है और वह कार्यवाही कर रही है जो वह राज्य के क्षेत्र में कर सकती है।

Shri Jagdish Prasad Mathur : May I know whether it is a fact that the Labour Organisations, which could not function properly during the Emergency, have exploded the situation on the basis of trifle reasons in order to strengthen their position?

Is the Government considering to have one union in one trade? It was already proposed to have such machinery and there were indications that Government would enact such laws. Is the Government considering to have such machinery as may help the employers, workers and the Government in settling the related disputes?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सच है कि कुछ मजदूर संघ जो आपात स्थिति के दौरान या तो ठीक ढंग से काम नहीं कर सके या जिन्हें ठीक ढंग से काम करने नहीं दिया गया, वे आपात स्थिति उठाये जाने के बाद सक्रिय हो गये हैं। वास्तव में बहुत सी हड़तालों का एक कारण अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता है। अतः माननीय सदस्य के प्रश्न का दूसरा भाग बहुत ही संगत है कि अन्तर्संघीय प्रतिद्वन्द्विता के

परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। यहां यह कहा जा सकता है कि एक ओर हम सब संघ की स्वतंत्रता के विचार के समर्थक ह और दूसरी ओर सौदेबाजी करने वाले एक भी एजन्ट का पता लगाने में कठिनाई है। सरकार का त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के बाद नियुक्त समिति की सहायता से इस प्रश्न का अध्ययन करने का प्रयास है कि कानून में एसे उपाय किये जायें जो सौदेबाजी करने वाले एजेन्ट का पता लगाना सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हों।

श्री के० ए० राजन : क्या यह सच है कि जितनी भी हड़तालें हुई हैं उनमें से अधिकांश हड़तालें कानूनों की गैर-क्रियान्विति और करारों के उल्लंघन के कारण हुई हैं ? दूसरे, औद्योगिक विवाद अधिनियम में उड़तालों को गैर-कानूनी घोषित करने के उपबन्ध हैं। यदि मैं यह कहूं कि उन उपबन्धों से परे कुछ हड़तालों को गैर-कानूनी घोषित किया जा रहा है तो क्या मंत्री महोदय सहमत होंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि किसी हड़ताल को किसी के द्वारा वर्तमान कानूनी उपबन्धों से परे गैर-कानूनी कहे जाने पर कोई कार्यवाही की जाती है तो हड़ताल को गर-कानूनी हड़ताल के रूप में लेना ही गैर-कानूनी हो जाता है। जहां तक पंचाटों और करारों की गैर-क्रियान्विति का सम्बन्ध है, यह सच है कि कुछ ऐसे मामले हुए हैं जहां करार लागू नहीं किये गये हैं परन्तु मैं यह नहीं समझता कि माननीय सदस्य यह निष्कर्ष निकालने में सही हैं कि वही मुख्य कारण है।

Shri Ramanand Tiwary : May I know whether it is not a fact that injustice towards workers by the mill-owners is increasing day by day and our highest officers are deliberately trying to declare the strikes as illegal in collusion with the mill-owners ? If the Government concede to it that strikes and bargaining are birth-rights of the workers, what is the necessity of imposing restriction on them for a period of two or three years ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, सरकार निश्चय ही श्रमिकों सहित सभी नागरिकों के मूल अधिकारों में विश्वास रखती है तथा श्रमिको के ऐसे अधिकार में भी विश्वास रखती है जो ऐसी कार्यवाही करने के लिये आवश्यक हो जिससे सामूहिक सौदेबाजी और हड़तालों के माध्यमों से उनकी शिकायतें दूर हो सके परन्तु कुछ उद्योगों में कुछ कारणों से ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि हड़तालों के अधिकार का समूचे समाज के हित में अत्यधिक होशियारी से प्रयोग किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने जिस प्रतिबन्ध का उल्लेख किया है, जो सरकार ने लगाया है, उस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

Shri Yuvraj : Mr. Speaker, Sir, in the statement, which has been supplied, the number of strikes in Bihar has been given as 167. Apart from these 167 strikes, in how many factories there have been lock-outs ? The workers are not able to get justice even when there exist the Labour Laws and the Industrial Act, what decision the Government have taken in this regard ? Do the Government propose to enact fresh legislation in order to remove legal loopholes ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मैंने इस सभा में अनेक बार बताया है कि चूंकि वर्तमान कानून अपर्याप्त है इसलिये हम वर्तमान कानून में संशोधन करने के लिये एक व्यापक विधेयक लाना चाहते है।

Development of Sulphur Hot Water Springs in India

*334. **Shri Durga Chand :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister visiting Sanatoria in Suchi in Soviet Union had appreciated the Sulphur hot Water Springs in that area which are beneficial for health ;

(b) whether Prime Minister had expressed his concern that sulphur hot water springs in India particularly at Manikarn near Kulu in Himachal Pradesh and Badrinath in U.P. have not been developed for health purposes ;

(c) whether Government have undertaken or propose to undertake survey to find out the efficiency of sulphur springs in the country for health purposes ; and

(d) if so, the details thereof and the steps being taken to develop such springs in the country ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) Yes, Sir.

(b) The Prime Minister expressed the hope of a possibility that Sulphur Water baths could be developed in India.

(c) & (d) No, Sir, but Government are planning to conduct a survey to ascertain the efficacy of these springs through the Indian Council of Medical Research.

Shri Durga Chand : When our Prime Minister and the Minister of External Affairs were on tour of the Soviet Union, he visited "Suchi" where he saw sulphur hot water springs which may prove beneficial for natural cure. He had said this also that we had sulphur hot water springs at Manikarn, Vashishtha and near Badrinath in Garhwal but we could not have developed them for the purpose of natural cure or for their utilisation. May I know from the hon. Minister whether our Health Department will do something for their development, will it send a team of scientists to these places so that they can be developed and utilised for natural cure as is done in the Soviet Union ?

Shri Raj Narain : Mr. Speaker, Sir, the question asked by the hon. Member is very important. It is true that the Prime Minister of India, who is well-versed with the Indian situation, has expressed concern that nothing has been done to develop hot water springs. It is quite right. The Congress regime was indifferent for 30 years. Now, the Janata Party has assumed power and you are seeing that not only the Ministry of Health but the whole Government and even the Indian Prime Minister is anxious in this regard.

For the information of the hon. Member, I may tell that an expert was sent on the 29th November who will tour this region. After completion of his tour he would submit his report. The United Nations Development Programme has also been contacted so that this department may get proper advice for the development of hot water springs. Besides, there are proposals to get the water of Vashishtha, Kalatha, Kasol and Manikarn analysed to ensure whether the sulphur water is really available there and whether after availability of sulphuric water what diseases can be cured by a bath in that water ?

Not only this, this Government is all the more anxious and we are not only paying attention towards the Himalayas but looking after coastal and other areas.

Take Rajgir, that is an international city where a developed form of Buddha religion is available. If our hon. Members have a little knowledge of ancient history of India, they might have heard the name of Jarashand. That is a long story. You take it that Rajgir is a place where two organs of a body were combined . (*Interruption*).

Apart from this, there are hot water springs at Sitakund, Rishikund in Monghyr district. We are arranging a research there also. A senior member of our council of Ministers, Shri Patnaik is saying that there are hot water springs in Orissa also. We shall send our experts to Orissa also. I shall request all the Members, whether they belong to ruling party or the Opposition, to inform my ministry about hot water springs whenever they are available and we shall make full arrangement for their development by sending our experts there.

Shri Durga Chand: I would like to know whether the hon. Minister of Health will pay attention to the development of mineral water spring lies at Kalat between Kulu and Manali as he is going to Solam on the 11th to see as well as inaugurate the springs? As he has just said that arrangements would be made to develop Sulphur and hot water springs, will he pay attention to the mineral water springs in Himachal Pradesh for their development so that people in the country as well as abroad many benefit from them and foreign exchange may be earned ?

Shri Raj Narain: With regard to the useful question about mineral water springs, I want to say that such springs are available in several parts of the country. Mineral water springs will be developed wherever they are. All such sources available in the country would be developed. The Ministry of Health has formulated a scheme to develop such springs not only in Himachal Pradesh but everywhere where they exist. The Government of India is extending maximum assistance to this scheme. All departments of the Govt. of India are alert towards such scheme. From whatever sources we receive information about such springs, the problems thereof, if any, would be solved.

श्री जी० एस० रेड्डी : देश के किन-किन भागों में गंधक का पानी उपलब्ध है ?

Shri Raj Narain : I have already stated earliar that a research is being got done at Kasor, Manikhand and Solan. Similarly, hot water springs at Sitakund and Rajgrih in Bihar are being developed where the first President of Indian Republic, Hon. Rajendra Babu had a bath. There is a hot water spring at Badrinath and those who go there, take bath and wash all their sins. Please inform us the places in the country where such springs are there, my ministry will get them examined and developed.

श्री वयालर रवि : केरल में वरकला में हैं।

Shri Bijoy Singh Nahar: Will the hon. Minister tell that arrangement would be made to develop hot water springs at Rajgrih near Ranchi and at Bakreshwar near Shantiniketan in West Bengal also ?

Shri Raj Narain : I am grateful to the hon. Member that he has raised the question regarding Bakreshwar in West Bengal. That also would be examined and the Government will do all that is necessary for its developments. I would like the hon. Member to give this information in writing and also ask the West Bengal Government to send it in writing.

देश में मलेरिया के रोगी

*335. श्री वी० राचैया
श्री बलदेव सिंह जसरोतिया : } क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया है कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार, कितने लोगों को मलेरिया रोग होने के समाचार मिले; और

(ख) मलेरिया रोकने सम्बन्धी अभियान पर, राज्यवार, कितनी धन राशि खर्च की गई ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) & (b) Two statements—one showing the number of positive Malaria cases reported during 1976 and during 1977 so far State-wise, and the second showing the amount spent, state-wise on the Anti-Malaria campaign during the year 1976-77 and allocated for the year 1977-78, are laid on the Table of the Sabha.

[Placed in library. See L. T. No. 1297/77.]

Shri Baldev Singh Jasrotia : I want to know whether incidence of Malaria is increasing or decreasing as compared to previous years and steps being taken by Government to prevent the same ?

Shri Raj Narain : It is a fact that Malaria was totally eradicated in 1965 and not a single death occurred due to Malaria. . But the incidence of Malaria started increasing in 1966. You are aware that Shrimati Indira Gandhi came to power in 1966. The member of Parliaments and deaths rose every year one of the main reasons was that Shrimati Indira Gandhi started the scheme of compulsory sterilisation and mobilised and spent all Government resources for that purpose. The result was that spray work in connection with Anti-Malaria operation was totally hold up and consequently the incidence of Malaria started increasing. The present Government had to face a lot of trouble and mobilise all the resources. At present the incidence of Malaria has been reduced by 7 per cent as compared to the last year. We came to power in March 1977 and we hope that incidence of Malaria will be reduced by 10 percent approximately by the year end. It has been argued that germs should be sterilised. Janta Government will not sterilise them but eradicate them.

Dr. Karan Singh : I would like to draw the attention of hon'ble Minister to the figures in respect of Delhi. It has been stated that there were 49 thousand cases of Malaria in 1976 but in 1977, when Shri Raj Narayan took charge of Health Ministry, one lakh and sixty eight thousand cases of Malaria have already been reported during these nine months. Now three months still remain, so there will be about 2 lakh cases in a year. I would like to ask as to whether Shri Raj Narayan has brought all the mosquitoes from his constituency in the capital and the number of 50 thousand cases has reached to two lakh cases ?

Shri Raj Narain : Delhi is capital of the country, I would like to ask Dr. Karan Singh that how many persons of Congress party came to Delhi from different parts of the country and the number of persons from whom they got the signatures, all of them brought Malaria with them. It is not a joke. The people coming from other states where Malaria is prevelent, bring germs with them.

Second point is that there were unprecedented floods in Delhi this time and as a result thereof the number of mosquitoes has increased. The hon'ble Member has created same misunderstanding whole quoting some figures and I would like to remove the same. In 1965, the number of Malaria patients was one lakh and one hundred and eighty five but no one died. In 1966, the number of patients was 1,48,156. In 1967 it was 2.78 lakh. In 1968 it was 2.74 lakh. In 1969 it was 3.48 lakh. In 1970 it was 6.94 lakh. In 1971 it was 13 lakh. In 1972 it was 14 lakh. In 1973 it was 19 lakh. In 1974 it was 31 lakh. In 1975 it was 51 lakh. In 1976 it was 64 lakh for the whole country.

Shri Chhabiram Argal : I want to know whether hon'ble Minister is aware that D.D.T. has no effect on mosquitoes and therefore Malaria, Flu and 'Dengu' fever cases are increasing, if so, whether hon'ble Minister will try to get some other powerful medicine in place of D.D.T. in order to eradicate these diseases ?

Shri Raj Narain : It is true that spray of D. D .T. has no effect on several germs of Malaria. We have used some other medicines in place of D.D.T. We have used B.H.C. It is more effective.

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम अनेक बार स्वास्थ्य मंत्री के उत्तर का आनन्द उठाते हैं परन्तु मलेरिया एक गम्भीर रोग है जिससे बहुत कष्ट उठाना पड़ता है । दिल्ली के जीवन से परिचित लोगों को पता है कि गत पचीस वर्षो में पहली बार इसी वर्ष दिल्ली के लगभग आधे भाग में बाढ़ आई थी । जनकपुरी तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में कई महीनों तक पानी रुका रहा । अभी तक कुछ नीचली सतह वाले क्षेत्रों में गन्दा पानी भरा है। एसे स्थानों पर ही मच्छर पनपते हैं । क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में उचित कार्यवाही करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी? डी०डी०टी० तथा अन्य कीटनाशी औषधियां प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो रही है क्योंकि वे अपमिश्रित हैं और उनका उपयोग भी ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम दिल्ली की उन कालनियों में मच्छर पनपने की समस्या को गम्भीरता पूर्वक ले जहां दो-तीन महीनों तक पानी रुका रहा है । क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में मच्छरों के पनपने को रोकने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है ?

Shri Raj Narain : I would like to say that Government is adopting several methods to get rid of Malaria. We are doing oil spray in places where water is logging which liquidates larva. We are also using B.H.C. another medicine and its full name is Benzin Hydro Chloride. We are spraying it in large quantity. Similarly D.D.T. is also having sprayed in large quantity. It is by the grace of god that Janta party is in power otherwise thousands of people would have died by now. We have taken prompt action to eradicate Malaria from Delhi.

चसनाला खान का पुनः चालू किया जाना

*341. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चसनाला खान को फिर चालू करने की संभावनाओं की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या निकाले जा सकने वाले निक्षेपों के लिये खान को फिर चालू करने हेतु खर्च किया जा रहा धन और समय वांछनीय है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) भावी संचालन को पूर्णतया सुरक्षित बनाने के लिये अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) जिन व्यक्तियों के रोजगार समाप्त हो गये थे उनको क्या सुविधायें दी गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) : जी, हां। इस बारे में अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. संस्तर संख्या एक से पानी निकाल दिया गया है और मुख्य-मुख्य उपकरणों की मरम्मत कर दी गई है। त्रुटियों को दूर करके तथा नई सड़कें बना कर इसे और सशक्त किया जा रहा है।

2. पुरानी खान तथा नई खान के बीच में एक बांध बना दिया गया है।

3. खान सुरक्षा के महानिदेशक से दूसरे संस्तर से पानी निकालने तथा जिस संस्तर में दुर्घटना हुई थी उसको छोड़कर अन्य पतली परतों तक पहुंचने के लिए दो समासंधियां लगाने तथा आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए अनुमति मांगी गई है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि पतली परतों के खनन के लिए पहले से विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं का लाभ उठाया जा सके। इन परतों की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है।

4. भुमिगत खान को पुनः चालू करने में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में इस्को को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

(ग) अकेले पहली और दूसरी परतों में लगभग 430 लाख टन कोयला होने का अनुमान है। यह सर्वोत्तम किस्म का कोककर कोयला है। सेन्ट्रल माइन प्लेनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि०, रांची द्वारा किए गए तकनीको आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस खान के पुनः चालू करने से होने वाले आर्थिक और सामाजिक लाभ को देखते हुए इस खान को पुनः चालू करना वांछनीय है।

(घ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा अब तक खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :—

	रुपये
1. जोरे को मोड़ने के लिए भूमि	4,73,000
2. पुश्ता बांधना (इम्बेंकमेंन्ट)	3,09,197
3. बांध निर्माण	28,31,390
4. सी० एम० पी० डी० आई० द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पर किया गया खर्च	4,50,000

(ङ) चसनाला की गहरी खान के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति का भी रोजगार समाप्त नहीं हुआ है। अधिकतर कामगारों को खुली खानों अथवा अन्य कार्यों पर लगा दिया गया था।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इस दुर्घटना अर्थात् खान के बंद हो जाने के कारण नौकरी से निकाले गये कामगारों को रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बीजू पटनायक : सभा-पटल पर जो विवरण मैंने रखा है यदि माननीय सदस्य उसे ध्यान से पढ़े तो उन्हें पता चलेगा कि अन्तिम पैराग्राफ में मैंने बताया है कि गहरी खान के बन्द हो जाने के परिणाम-स्वरूप बेरोजगार हुए कामगारों को खुली खानों और अन्य कार्यों पर लगा दिया गया है। उन्हें पहले ही रोजगार दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अन्य कार्य कौन से हैं ?

श्री एस० आर० दामाणी : अन्य कार्य कौन से हैं जो आपने निर्धारित किये हैं ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें रोजगार दिया गया है। अन्य कार्य बहुत से है।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी खानों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिये विशेषज्ञों की कोई स्थायी समिति गठित की है; और यदि हाँ, तो क्या खानों की सुरक्षा की दृष्टि से इसके उपकरण तथा हिदायतों से गैर-सरकारी विशेषज्ञों को भी सम्बद्ध किया गया है ?

श्री बीजू पटनायक : यदि माननीय सदस्य विवरण को ध्यान से पढ़े तो यह विवरण की मद संख्या चार में पहले ही है। "भूमिगत खान को पुनः चालू करने में समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में "इस्को" को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।"

श्री विनोदभाई बी० शेठ : अधिकारियों की लापरवाही, दोषयुक्त आयोजना और अकुशल-कार्यकरण के कारण ऐसी दुर्घटनायें होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : जी, नहीं।

श्री वयालार रवि : चासनाला खान में हुई यह एक विपत्ति और दुर्घटना थी और इसपर संसद में भारी शोर-गुल हुआ था। सरकार ने एक आयोग नियुक्त कर दिया है और इस पर भारी धन राशि खर्च हुई है। कोयला-क्षेत्र प्राधिकरण ने भी वकील अधिकारियों की नियुक्ति की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार किसी भी अधिकारी के विरुद्ध आपने कार्यवाही नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री बीजू पटनायक : हालांकि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, तथापि मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। श्रम मंत्री ने इस मामले पर सलाह देने के लिये विपक्ष के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं को पत्र लिखा है। हमें उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया उनसे उत्तर देने के लिये कहें।

श्री वयालार रवि : मेरी शिकायत यह है कि इस पद पर कुछ निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गया है।

श्री बीजू पटनायक : यदि माननीय सदस्य सोचते हैं कि मेरा कुछ अधिकारियों के साथ निहित स्वार्थ उत्पन्न हो गया है तो मैं उनके बारे में वैसा नहीं सोच सकता जैसा मैं पहले सोचा करता था।

श्री हरिकेश बहादुर : जब चासनाला खान की यह दुर्घटना हुई उस समय डा० एस० एस० सालूगा, प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस विश्वविद्यालय, ने वाटर लिफ्ट पंप का निर्माण किया था और उन्होंने

वहां पर इस पंप का पहले ही प्रदर्शन किया है। लेकिन इस विशेष विभाग के अधिकारियों ारा, जहां यह दुर्घटना हुई थी, इस पंप का प्रयोग नहीं किया गया था। डा० सालूगा बता रहे थे कि यदि इस पंप का प्रयोग किया जाता तो बहुत से व्यक्तियों की जान बच जाती। लेकिन वस्तुतः इस पंप का प्रयोग नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : हम आशा करते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं इसके बाद नहीं होंगी।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मानव जीवन को बचाने के लिये भविष्य में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किये गये स्वदेशी प्रक्रियाओं के ऐसे तरीकों का उपयोग किया जायेगा (**व्यवधान**) उन्होंने रुसी पंप के लिये कहा था। यदि वे उस पंप का निर्माण कर लेते और यदि वे उस पंप का प्रयोग करते तो ऐसी आशा ी जाती है कि कम से कम 200 व्यक्तियों की जानें बच जाती।

श्री बीजू पटनायक : जब मैंने इस मंत्रालय का कार्य-भार संभाला तो मैंने उन्हें स्वयं बुलाया और उनके साथ पूरे मामले पर विचार-विमर्श किया। किसी दिन जब वह तैयार ों तो मैं प्रदर्शन किये जा रहे उस पंप को देखने जाउंगा जो उन्होने दिखाने का वचन दिया है। मैंने उनसे अभी तक इस बारे में नहीं सुना है।

टेलीफोन केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ना

***342. श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था उन सभी केन्द्रों में की जाएगी जहां 250 से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ख) क्या मुख्य टेलीफोन केन्द्र से 10 मील की दूरी के अन्दर सभी टेलीफोन केन्द्रों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जैसे-जैसे पर्याप्त साज-सामान और वित्तीय साधन उपलब्ध होते जाएंगे इन एक्सचजों को उत्तरोत्तर एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा।

श्री जार्ज मैथ्यू : माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या देश में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था की स्थापना करने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं।

श्री बृजलाल वर्मा : जी हां, मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये है। जब एक लाइन में एक सौ से अधिक टेलीफोन कालें हों, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम डायल घुमाकर सीध टेलीफोन करने की व्यवस्था करें।

श्री जार्ज मैथ्यू : मख्य टेलीफोन केन्द्र से लघ टेलीफोन केन्द्रों को जोड़ने के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जैसे-जसे साज-सामान उपलब्ध होते जाएंगे इन्ह एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। क्या इस कार्य को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

क्या दस मील की दूरी के अन्दर सभी टेलीफोन केन्द्रों को जोड़ने संबंधी इस कार्य को पूरा करने के लिये विभाग जितना समय चाहें ले सकेगा अथवा सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की हुई है ?

श्री बृजलाल वर्मा : 10 मील की दूरी के बारे में हमने कुछ मानदंड निर्धारित किये हुए हैं। सर्वप्रथम हम देश की सभी राजधानियों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से जोड़ेंगे। इसके बाद हम डिवीजनल स्तर पर जाएंगे और सभी डिवीजनल मुख्यालयों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था से जोड़ेंगे। तदनन्तर हम जिला स्तर पर जाएंगे। ये मानदंड निर्धारित किये गये हैं और हम इन मानदंडों के अनुसार चल रहे हैं।

Shri Lalji Bhai : What is the number of such districts of various States in India which are connected by STD from Delhi ? The number of such districts and their names ?

Shri Brijlal Verma : What to talk of STD, there are many districts now, where not even telephone exchange exists. There are hundreds of such districts at present where STD has not been commissioned.

Shri Somjibhai Damar : I would like to know when the small exchanges will be joined into the interior areas with the principal exchange ? Whether Government has formulated any plan that so many cities will be connected during five years ?

Shri Brij Lal Verma : It has been fixed that all the districts and divisional headquarters will be connected by STD in ten years.

Shri Bhanu Kumar Shastri : The norms which have been stated by the hon. Minister for the STD telephone services, according to which Udaipur is a divisional place under Rajasthan State and on the basis of these norms there are more than 1,000 calls made daily to Ahmedabad, Delhi and Jaipur. Will the hon. Minister be pleased to provide STD service there ? If so, how long it will take to provide this facility ?

Shri Brij Lal Verma : We will consider about this. So far we have provided STD services in 126 cities which cover 62% telephone consumers. For this I would see whether it is feasible or not ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता टेलीफोन्स सुधार के लिए धन

*326. **श्री समर गुह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन्स के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई धन नियत किया है ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : जी, हां।

Development of Ayurvedic System of Medicine

*327. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) the annual expenditure incurred by Government on the development of various systems of medicines obtaining in India;

(b) the scheme Government has formulated to promote development, research, training and expansion of Ayurvedic System of Medicine; and

(c) whether Government will consider the feasibility of setting up of an Ayurvedik University in India?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain): (a) & (b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) No, Sir. The States are normally concerned with the setting up of Universities. Gujarat is the only State that has set up an Ayurvedic University, located at Jamnagar. The Central Government is providing assistance to this university for post-graduate studies and research work.

Statement

(a) The following expenditure has been incurred by the Central Government on Central Sector Health Plan Programmes:—

(Rs. in Crores)

S. No.	System of Medicine	Provision for			
		1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
1	Indian Systems of Medicine .	1.46	1.78	2.06	2.30
2	Homoeopathy	0.08	0.11	0.22	0.25
3	Allopathy	35.69	53.40	64.23	79.69
	TOTAL .	37.23	55.29	66.51	82.24

(b) The following new schemes are under consideration with a view to promote research and training in development and expansion of Ayurvedic System of Medicine:

1. Setting up of a 300 bedded Ayurvedic Hospital at Hari Nagar, New Delhi (Already approved).
2. Setting up of an Ayurveda, Unani and Homoeopathic Hospital (100 bedded each) at Chandiwala Estate Kalkaji, New Delhi.
3. Publication of books.
4. Training of village vaidyas.
5. Establishment of Regional Institutes for Indian Systems of Medicine (3 in Ayurveda and one in Unani). These Institutes would comprise of an under-graduate college and 4 post-graduate departments.

2—366 LSS/ND/77

6. Development of medical and health care programme through Indian Systems of Medicine—provision of treatment through ISM in PHCs. This scheme envisages the provision of a practitioner of ISM in each PHC.

7. Establishment of Dispensaries in ISM in the States at sub-centre level. This envisages the setting up of ISM wings at sub-centres.

8. Development of under-graduate education in ISM. This scheme envisages the provision of more funds to the under-graduate colleges of ISM to facilitate these colleges to implement the syllabii as recommended by the Central Council of Indian Medicine.

9. Training of under-graduate teachers.

10. Post-graduate training in Yoga and Nature Cure.

With a view to ensure better and more methodical attention to research in selected important areas, it has been decided to review results of the researches made so far and to split up the existing Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy into four Central Research Councils, one each for (i) Ayurveda and Siddha (ii) Unani (iii) Homoeopathy and (iv) Yoga and Naturopathy.

मध्य प्रदेश के चूने के पत्थर के क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखना

328. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के चूने के पत्थर के विस्तृत क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन निक्षेपों को निकालने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों को खनन के लिए गैर सरकारी क्षेत्र को क्यों नहीं दिया जा रहा है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) मध्य प्रदेश के चूना पत्थर वाले कुछ क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में खनन आदि के लिए आरक्षित कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) इन क्षेत्रों का आरक्षण अतीत में मुख्यतया इस्पात कारखानों की वर्तमान और भावी जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से किया जाता रहा है । समूचे जिलों के आरक्षण की नीति पर पुनर्विचार हो रहा है ।

रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाना

*329. **श्री के० मालन्ना** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या विशेष रूप से औद्योगिक संबंधों के बारे में प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत न आने वाले सभी कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री : (श्री रवीन्द्र वर्मा): जी हां, एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

Publishing the Report of Enquiry Re. Medical Treatment given to Dr. Lohia

*330. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state the time by which the report of the enquiry conducted regarding medical treatment of Dr. Ram Manohar Lohia in Willingdon Hospital would be published and the action taken so far against the persons found guilty in this regard?

The Minister for Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : Copies of the report are being placed in the Parliament Library. Action on the report is under consideration.

स्टेनलैस स्टील पर लगा आयात शुल्क

*332. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टेनलैस स्टील की चादरों पर लगा आयात शुल्क घटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और आयात शुल्क में की गई कमी से राजस्व ने अनुमानतः कितनी हानि होगी ;

(ग) क्या आयात शुल्क में की गई कमी के परिणामस्वरूप स्टेनलैस स्टील के बर्तनों के मूल्य में उसी अनुपात में कमी हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) वित्त विधेयक पेश किए जाने के समय बेदाग इस्पात की चादरों पर आयात शुल्क मूल्यानुसार 320 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से 120 प्रतिशत कर दिया गया था, बाद में कुछ मदों पर इसमें मूल्यानुसार 120 प्रतिशत से 220 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इन परिवर्तनों से राजस्व में हुई कुल हानि बेदाग इस्पात की प्लेटों चादरों तथा पत्तियों के वास्तविक आयात में हुए प्रभावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगी। इस लिए इस समय इस बारे में कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ग) शुल्क की दरों में परिवर्तन होने के कारण बेदाग इस्पात के बर्तनों के मूल्यों में कमी होने के बारे में स्पष्ट रूप से तब पता चलेगा जब शुल्क की नई दरों को लागू हुए कुछ समय बीत जाएगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Chromium Deposits in Bihar and Orissa Borders

*333. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a vast belt of chromium deposits worth crores of rupees has been found near Bihar and Orissa borders ; and

(b) if so, whether Government have conducted survey in this regard and prepared a project report to exploit it and if so, the details thereof ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Biju Patnaik) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राजस्थान में एक ही टेलीफोन डाइरेक्टरी का प्रकाशन

***336. श्री मीठा लाल पटल :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान टेलीफोन सर्किलों के सभी डिवीजनों और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीफोन्स, जयपुर के लिए पृथक पृथक टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रकाशित की जाती हैं ;

(ख) क्या ये डाइरेक्टरियां आकार में बहुत छोटी होती हैं तथा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीफोन्स, जयपुर की डायरेक्टरी की छपाई, सिलाई, बंधाई और उसका कागज भी घटिया होता है जिससे कुछ दिनों के बाद ही वह फट जाती है और उसके पृष्ठ अलग-अलग हो जाते हैं ;

(ग) इन सभी डिवीजनों और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीफोन्स, जयपुर की टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन पर गत वर्ष अलग-अलग कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(घ) क्या सरकार सभी डिवीजनों और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीफोन्स, जयपुर के लिए पहले की भांति एक ही टेलीफोन डाइरेक्टरी तैयार कराएगी यदि इस सर्किल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, टेलीफोन्स, जयपुर के उपभोक्ता अतिरिक्त खर्च वहन करने को तयार हों ?

संचार मंत्री (बृजलाल वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) टेलीफोन डाइरेक्टरी का आकार इन्दराजों की संख्या पर निर्भर करता है । जयपुर टेलीफोन जिले की डायरेक्टरी और राजस्थान सर्किल की मंडल डाइरेक्टरियों की छपाई, जिल्दसाजी, सिलाई और उनमें इस्तेमाल किया गया कागज़ सामान्यतया सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार है।

(ग) राजस्थान दूरसंचार सर्किल की मंडल डाइरेक्टरियों और जयपुर टेलीफोन जिले की डाइरेक्टोरियों के पिछले संस्करणों की छपाई में क्रमश: 58,221 रुपये और 45,300 रुपये खर्च हुए थे।

(घ) जी नहीं ।

स्टेनलैस स्टील क आयात शुल्क में कमी के कारण अलाय स्टील प्लांट, दु र्गापुर की चादरों के क्रयादेशों में कमी

***337. श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में स्टेनलैस स्टील की चादरों के आयात शुल्क में की गई कमी के बाद दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र से स्टेनलस स्टील की चादरों के लिए मिलने वाले आर्डरों में बहुत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अलाय स्टील प्लांट से स्टैनलैस स्टील की चादरों के लिए प्रति मास कितने आर्डर मिले ;

(ग) माहवार, वित्तीय स्थिति क्या है ;

(घ) अलाय स्टील प्लांट की स्टैनलैस स्टील की चादरों का मूल्य उस समय क्या था जब इस वस्तु पर लगने वाले आयात शुल्क में कटौती करने का निर्णय किया गया था ; और

(ङ) मूल्यों में किस सीमा तक कमी करने की सलाह दी गई थीं ; और मूल्यों में कमी किस सीमा तक हानि का कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि वर्ष 1977-78 का हिसाब-किताब अभी बन्द नहीं किया गया है, उसकी लाभदायकता के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) मूल्य निम्नलिखित थे :—

प्लेटें	रुपये/ प्रति किलोग्राम
12, 10 और 8 मि० मी०	32.00
6 मि० मी० .	33.00
5 मि० मी० . . .	34.00
चादरें	
1.25 गर्म बेलित चादरें	44.00
1.25 ठंडी बेलित चादरें	52.00

(ङ) कारखाने ने विक्रय मूल्यों में निम्नलिखित कमी की है :—

	रुपये/ प्रति किलोग्राम
प्लेटें (5, 6, 8, 10 और 12 मि० मी०) . . .	5.00
गर्म बेलित चादरें	5.00
ठंडी बेलित चादरें	8.00

कारखाने को हुई हानि के कई कारण हैं, जिनमें तकनीकी अप्रचलन भी शामिल है ।

कस्तूरी मृग पालन

*338. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कस्तूरी मृगों की पालन पर कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) ऐसे कितने मृगों को पाला जा रहा है ; और

(ग) कितनी कस्तूरी प्राप्त की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) से (ग) देश में कस्तूरी मृग को मारे बिना कस्तूरी के उत्पादन को बढ़ाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान परियोजना 1971 से चल रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् ने पिछले तीन वर्षों में (1974-75, 75-76 और 76-77) इस योजना पर कुल 78,221.96 रुपये खर्च किये हैं। कस्तूरी मृगों की नस्ल तैयार करने की तकनीक निश्चित करने से पहले इस परियोजना के लिए तीन कस्तूरी मृग खरीदे गये थे ताकि उनकी आदतों, बन्दी-स्थिति में उनके विकास, व्यवहार तथा परिस्थितियों के अनुसार रहने और वातावरण के अभ्यस्त होने संबंधी समस्याओं आदि का अध्ययन किया जा सके। इन तीन मृगों में से इस समय केवल एक ही जीवित है और उसका पालन पोषण और अध्ययन किया जा रहा है। अभी तक कुछ भी कस्तूरी निकाली नहीं गई क्योंकि जीवित पशुओं से कस्तुरी निकालने की उपयुक्त विधि निकालने के लिए आगे अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

बोनस की अदायगी न होने पर कर्मचारियों में असन्तोष

*339. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस की अदायगी न होने से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस असन्तोष को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : कुछेक यूनिटों में बोनस कानून के अधीन, बोनस भुगतान न किये जाने की कुछ रिपोर्टें हैं। चूंकि अधिकांश यूनिटों के संबंध में बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं, अतएव भुगतान न किये जाने वाले मामलों के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। कोई भी विवाद जो बोनस भुगतान न किये जाने से संबंधित हो, औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिसमें ऐसे विवादों के निपटान की प्रक्रिया विद्यमान है, के अन्तर्गत एक विवाद माना जाता है।

खान दुर्घटना बचाव केन्द्रों को सुदृढ़ बनाना

*340. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खान दुर्घटना बचाव केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें सुदृढ़ करने का है क्योंकि वर्तमान केन्द्र बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावी तथा समय पर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) सरकार का खान बचाव केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने और उन्हें सुदृढ़ करने का विचार है।

(ख) और (ग) इस समय 12 बचाव केन्द्र हैं। वर्ष 1977-78 के दौरान दो और बचाव केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। वर्ष 1978-79 के दौरान 2 और बचाव केन्द्र खोलने का विचार है। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के दौरान और बचाव केन्द्र खोलने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

2. यह भी प्रस्ताव है कि वर्ष 1977-78 और वर्ष 1978-79 के दौरान वर्तमान पुराने श्वसन उपकरणों और उपस्करों को आधुनिक तथा हल्के उपकरण से बदला जाए।

भारत-ईराकी सहयोग करार

*343. **डा० हेनरी आस्टिन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ईराक ने एक दूसरे के साथ व्यापक सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार पर कब हस्ताक्षर किये गये और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दु) : (क) जी नहीं। लेकिन भारत-ईराक संयुक्त आयोग का चौथा अधिवेशन नई दिल्ली में 7 से 9 नवम्बर, 1977 तक हुआ था जिसकी समाप्ति पर सहमत कार्य वृत्त पर हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त आयोग के इस अधिवेशन में विभिन्न क्षेत्रों में पहले जो भारत-ईराकी सहयोग हुआ था उसकी समीक्षा की गई। इस सहयोग की शुरूवात संयुक्त आयोग के पहले सत्रों के दौरान की गई थी। समूचे सहयोग पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए संयुक्त आयोग ने अपने आपको पांच समितियों में विभक्त कर दिया, यथा, व्यापार, संस्कृति तथा तकनीकी सहयोग, परिवहन एवं सेवाएं, कृषि एवं सिंचाई, और औद्योगिक सहयोग तथा परामर्श।

व्यापार संबंधी समिति ने भारत-ईराक के बीच वाणिज्यिक संबंधों पर विचार किया तथा विकास के और क्षेत्रों का पता लगाया। इन कठिनाईयों को दूर करने के उपाय और तरीकों पर चर्चा हुई जिनसे व्यापार की प्रगति रूकी हुई थी। औद्योगिक सहयोग एवं परामर्श सेवा समिति में ईराक के विभिन्न असैनिक निर्माण कार्यों और आन्तरिक संरचना प्रयोजनाओं में भारत की साझेदारी की संभावनाओं पर विचार किया गया और कतिपय ऐसी औद्योगिक परियोजनाओं के विषय में भी भारत "टर्न की" सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में है जिनमें परामर्श सेवा भी शामिल है। कृषि एवं सिंचाई संबंधी समिति में भारत ने मत्स विकास तथा उष्ण कटिबंधीय और शुष्क क्षेत्रों में खेती के संबंध में सहायता प्रदान करने की पेशकश की। परिवहन एवं सेवाओं के संबंध में ईराकी रेल सेवा के विकास में भारत की संभावित साझेदारी के विषय में विस्तृत-विचार-विमर्श हुआ। जहां तक तकनीकी सहयोग का प्रश्न है ईराक में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं की ईराकी पक्ष ने सराहना की तथा ईराक को उसके विकास कार्यक्रमों में सहायता देने के उद्देश्य से और सुचारु रूप देने के विषय में विचार किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में हुए विकास पर भी विचार-विनिमय हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेलेट बनाने का संयंत्र

*344. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेलेट बनाने का संयंत्र स्थापित करने के बारे में विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय लेने में केन्द्रीय सरकार को कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बेलाडोला खानों से निकलने वाले लोह अयस्क के चूरे से प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन पेलेट बनाने की क्षमता का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। मैटालर्जीकर एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्स (इण्डिया) लि० को इस प्रायोजना के लिए सलाहकार इंजीनियर नियुक्त किया गया है। अपेक्षित प्रक्रिया जानकारी रखने वाली प्रसिद्ध पार्टियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर पुनः आमिन्त्रित किए गए टेण्डर अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुए थे तथा अब उन की राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा जांच की जा रही है। तकनीकी जानकारी / प्रक्रिया रूपांकनकारों के चयन के पश्चात्, मेकन इस परियोजना के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लेगी।

फिर भी, इस कारखाने के निर्माण के बारे में पूंजी-निवेश का निर्णय समग्र प्राथमिकताओं के अन्तर्गत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धि और पैलेटों की बिक्री की व्यवस्था हो जाने पर निर्भर करेगा।

मच्छरों तथा खटमलों द्वारा कुष्ठ रोग फैलाना

*345. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी अनुसंधान के इस प्रकार के निष्कर्ष निकले हैं कि कुष्ठ रोग मच्छरों तथा खटमलों द्वारा भी फैलाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारी उपाय किये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : (क) 1969 से इस विषय पर जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में एक अध्ययन शुरू किया गया है। इस अध्ययन से एक बात यह मालूम हुई है कि जिन इंडोज ईजेप्टाय किस्म के मच्छरों को पहले अनुपचारित लेप्रोमायुक्त कुष्ठ रोगियों से और तत्पश्चात चूहों के पांवों के तलों से अपना आहार लेते रहने दिया गया था, उन्हें कुष्ठ रोगियों से चूहों के पांव के तलों पर माइकोबैक्टोरियम लेप्रे पहुंचाते पाया गया था क्योंकि उन चूहों के तलवों पर

बाद में इन कीटाणूओं में वृद्धि हुई देखी गई। तथापि इस क्षेत्र में कुष्ठ के फैलाने में मच्छरों की वास्तविक भूमिका क्या है इसके बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस समय उपलब्ध परिणाम काफी नहीं है। यह कार्य अभी चल रहा है।

(ख) चूंकि यह कार्य इस समय प्रयोगात्मक अवस्था में है और अभी अन्तिम रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए रोकथाम के लिए उपाय सुझाने और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता।

स्टेनलेस स्टील के बढ़ते हुए मूल्य

3069. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों से स्टैनलेस स्टील के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या विदेशों में भारत की स्टैनलेस स्टील की वस्तुओं की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उद्योग के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाये जाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) से (ग) : संभवतः अभिप्राय मिश्र इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित बेदाग इस्पात की चादरों, छड़ों, गोल छड़ों आदि से है। यह सही नहीं है कि गत कुछ महीनों से इन मदों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही है। इसके विपरित मूल्यों में कुछ कमी आई है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है चूंकि हम स्वयं बेदाग इस्पात की चादरें आदि आयात कर रहे हैं अतः समय इन मदों का निर्यात करने की कोई सम्भावना नहीं है।

सेवा समाप्ति आदेशों के बारे में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा डाक्टरों का ज्ञापन

3070. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के कुछ अस्थायी डाक्टरों ने सेवासमाप्ति आदेशों और अपनी सेवाओं को नियमित करवाने के बारें में सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) तदर्थ चिकित्सा अधिकारियों की कठिनाइयों पर अब भी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर विचार किया जा रहा है। तथापि, तदर्थ डाक्टरों को बनाए रखने का निर्णय लिया गया है यदि उनके संगठन में स्पष्ट रिक्त पद हो जिन पर उन्हें रखा जा सकता हो।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था

3071. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भागलपुर के नानगचिया सब डिवीजन और मुंगेर जिले के खगरिया सब डिवीजन में कितने नये डाकघर खोले जायेंगे ; और

(ख) क्या इस योजना में गोपालपुर खंड के मुरलोगांव को शामिल किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) दो प्रस्ताव (एक ननगछिया सबडिवीजन में और दुसरा खगड़िया सब-डिवीजन में) विचाराधीन हैं ।

(ख) मुरलो गांव में डाकघर खोलने के प्रस्ताव को जांच को गई थो किन्तु विभागीय मानदंडों के अनुसार उसका औचित्य सिद्ध नहीं हुआ ।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में टेलीफोन सुविधा

3073. **श्री गिरीधर गोमांगी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में ब्लाक मुख्यालयों, उप-डाकघरों, तहसील कार्यालयों को टेलीफोन देने हेतु कितने प्रस्ताव सब डिवीजनल कार्यालय में जांच के लिये पड़े हुए हैं; और

(ख) उड़ोसा सर्किल के टेलोफोन निदेशक द्वारा उनमें से कितने प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष में निष्पादित किये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) उड़ोसा के कोरापुट जिले में खंड मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा देने से संबंधित 6 प्रस्ताव जांच के लिये पड़े हुये हैं । तहसील मुख्यालयों में टेलोफोन सुविधा देने से संबंधित कोई प्रस्ताव जांच के लिये नहीं पड़ा हुआ है। अन्य प्रस्तावों को मंजूरो दे दो गई है । सभो उप डाकघरों में टेलीफोन सुविधा देने के बारे में नीति संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोरापुट जिले के 5 खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलोफोन घर खोलने का प्रस्ताव है ।

देहरादून में दूसरे भू-केन्द्र की स्थापना में संचार में प्रगति

3074. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में दूसरा भू-केन्द्र खोले जाने से भारत को संचार सेवा में विशेषकर सीधी टेलोफोन सेवा, उपग्रह सेवा के माध्यम से सीधी टेलेक्स सेवा, रेडियो फोटो और टेलोविजन सेवाओं में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ग्रामीण उपग्रह कार्यक्रम सेवाओं में यदि कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) देहरादून में दूसरे उपग्रह भू-केन्द्र की दिसम्बर, 1976 में स्थापना हो जाने पर भारत के उत्तरीय

और पूर्वी क्षेत्र के टेलीफोन, टेलेक्स, तार आदि के बाहृय परियात को उपग्रह के द्वारा निबटाने की सहूलियत हो गई है । इस केन्द्र से टेलीफोन के 32 और टेलेक्स के 28 उपग्रह परिपथों का प्रचालन किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली भी इस केन्द्र, की सहायता से लागू की जा सकी है जो अब नई दिल्ली और बम्बई से ब्रिटेन के सभी नगरों के लिए दिन-रात उपलब्ध है ।

यह केन्द्र अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन परियात को सम्भालने में सक्षम है। यहां से 9 अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रमों और 643 रेडिओ फोटो के परियातों को सम्भाला गया।

सीधे अथवा अन्य उपग्रह (शरूपुट) के सम्पर्क तंत्र द्वारा, पुणे और देहरादून के उपग्रह भू-केन्द्र, टेलीफोन का 99 प्रतिशत टेलेक्स का 95 प्रतिशत और तार का 75 प्रतिशत बाह्य परियात उपग्रह संचार व्यवस्था द्वारा निबटाते हैं ।

(ख) कुछ चुने हुए गांवों में, प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण उपग्रह दूर दर्शन को सीधी प्रसारण सेवा, 1-8-1975 से 31-7-1976 तक, एक वर्ष के लिए, चालू की गई थी। यह कार्यक्रम 'साइट' (उपग्रह आनुदेशिक दूर दर्शन प्रयोग) कहलाता था। देहाती क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की सेवा सम्भव हो सकेगी। यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इसेट) के माध्यम से संभव होगी जो मंजूरशुदा बहुउद्देशीय घरेलू उपग्रह प्रायोजना है ।

चिकित्सा संस्थाओं के सुधार के लिए उड़िसा द्वारा दिया गया ज्ञापन

3075. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा राज्य को चिकित्सा संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उक्त स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम के लिए कितने धन की आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) इस ज्ञापन में उड़ीसा की चिकित्सा संस्थाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओ में सुधार करने सम्बन्धी सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कुल 1655.22 लाख रुपये की धनराशि का अनुरोध किया था जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
(1) वक्ष संस्थान की स्थापना	22.80
(2) राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम	5.72
(3) जनजातीय क्षेत्रों की विशेष समस्यायें	210.57

(4)	कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास	14.50
(5)	विशेषज्ञ सेवा संस्थान	600.00
(6)	स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का विकास . .	530.40
(7)	आयुर्वेदिक फार्मेसी	6.86
(8)	होमियोपैथिक फार्मेसी	3.04
(9)	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा-चिकित्सा केन्द्र . .	93.96
(10)	मेडिकल कालेजों का सुधार, हृदय विज्ञान तथा वक्ष शल्य सम्बन्धी सुविधाओं का बढ़ावा . . .	26.00
(11)	कैन्सर संस्थान	14.97
(12)	भवन कार्यक्रम	108.40
(13)	396 उप-केन्द्रों को जारी रखना . . .	18.00

(ग) और (घ) : "स्वास्थ्य" का विषय राज्य सूची में होने के नाते, इन स्कीमों के लिए अपने संसाधनों से आवश्यक धन जुटाने का काम राज्य सरकार का है। फिर भी, केन्द्र पोषित और विशुद्धता रूप से केन्द्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार अपने पास उपलब्ध धन की सीमा के भीतर राज्य सरकार को सहायता देती है। राज्य सरकार को खुली छूट है कि वह जब चाहे अपनी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं को चलाने के लिए अपेक्षित किसी भी विशेष सहायता के लिए उस के विषय में पूरा औचित्य देते हुए योजना आयोग से अनुरोध कर सकती है।

जी० बी० पन्त अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर

3076. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अस्पतालों में इस समय जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो पोर्टब्लेयर स्थित जी० बी० पन्त अस्पताल में डाक्टरों और रोगियों का अनुपात क्या है तथा ऐसे ही अन्य स्थान के अस्पतालों की तुलना में वह अनुपात कितना है ; और

(ग) क्या पोर्टब्लेयर स्थित जी० बी० पन्त अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सरकारी अस्पताल-वार भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुल कितने विशेषज्ञ तैनात किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, पोर्टब्लेयर में डाक्टरों और रोगियों का अनुपात इस प्रकार है :—

बाह्य रोगी विभाग

138 रोगियों के लिए एक डाक्टर।

अंतरंग रोगी विभाग

43 रोगियों के लिए एक डाक्टर।

ऐसे ही स्थानों में स्थित अन्य अस्पतालों के डाक्टरों और रोगियों के अनुपात के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ग) गोविन्द वल्लभ अस्पताल में विशेषज्ञ ग्रेड–2 के स्वीकृत तीन पदों और जूनियर विशेषज्ञों के स्वीकृत 6 पदों में से केवल जूनियर विशेषज्ञों के दो पद खाली पड़े हुए हैं। कारनिकोबार अस्पताल के लिए स्वीकृत किया गया शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ का पद और संवेदनाहरण के जूनियर विशेषज्ञ का पद भी खाली पड़ा हुआ है।

काकोरी के शहीदों के स्मारक डाक टिकट जारी करना

3077. **श्री सुरेन्द्र बीक्रम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 दिसम्बर 1977 को काकोरी कांड की स्वर्ण जयंती के अवसर पर काकोरी शहीदों, सर्वश्री अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेन्द्र लाहिड़ी की स्मृति में डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं ; और

(ख) कितने स्वाधीनता सेनानियों के स्मारक डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरी प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में अब तक इक्यावन डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं।

एम० एम० सिद्धू समिति का गठन

3078. **श्री नटवरलाल परमार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों के कार्यकरण की जांच करने के लिए डा० एम० एम० सिद्धू समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निदेश पद क्या हैं और क्या इस समिति ने अब कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित करने का विचार है। समिति के विचारार्थ विषयों तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में एशियन रिजनल टीम फार एम्लायमेंन्ट प्रोमोशन की शिफारिशें

3079. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री श्रम मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के पष्ठ 24 के संदर्भ में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-75 के दौरान 7 विशिष्ट क्षेत्रों में से दो क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में "एशियन रिजनल टीम फार एम्पलायमेंट प्रोमोशन" द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) संबंधित मंत्रालयों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) और (ख) रोजगारवर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल ने "भारत में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना" नामक अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1973 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में की गई मुख्य रिफारिशें ये थीं—रोजगार योजना के सूचना आधार को सुदृढ़ करना, शिक्षा प्रणाली के परम्परागत पाठ्यक्रम को नयी आकृति प्रदान करना ताकि उन्हें कार्य वातावरण एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके, रोजगार योजनाओं/उद्यमता विकास योजनाओं, जैसे कि परियोजनाओं का चयन, उम्मीद्वारों आदि का चयन, के आयोजन, संगठन और कार्यान्वियन को सुधारने के तरीके, व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रमों आदि को सुदृढ़ करना।

रोजगार और बरोजगारी के आंकड़ों संबंधी एक तकनीकी सलाहकार समितो (टी० ए० सी०) गठित की गई है, जो रोजगार और बेरोजगारी के क्षेत्र में सूचना के एकत्रीकरण, सारणीकरण, विश्लेषण और संगठन से संबंधित सभी मामलों पर निरन्तर आधार पर विचार करेगी। जहां तक शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का संबंध है, रोजगार वर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल ने स्वयं यह नोट किया है कि भारत में पहले से जो अनेक शैक्षिक परोक्षण और मागदर्शी परियोजनाएं चलायी जा रही हैं वे रोजगार वर्तन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल की विचारधारा की दशा में है। रोजगार कार्यक्रमों तथा उद्यमता विकास योजनाओं के संबंध में रोजगार वर्धन संबंधी एशियाई क्षेत्रीय दल की रिपोर्ट में सुझाए गये सुधारों कों इसी प्रकार की योजनाओं को बनाते समय संभव सीमा तक ध्यान में रखा गया है। व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम को सद् करने के लि उठा ग कदमों में, मार्गदर्शन कार्मिकों के लि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार अवसरों संबं ी वर्तनाम सूचना प्राप्त करने के लिए उद्योग जनशक्ति सर्वेक्षण और व्यावसायिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों का आयोजन शामिल हैं।

दुर्गापर इस्पात संयंत्र के विस्तार से पद बनने की संभावनायें

3080. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 23 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर के एलाय-स्टील प्लांट में इस प्रसार से कुल कितने पद बनने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने के विस्तार के प्रथम चरण के लिए अतिरिक्त जन-शक्ति की आवश्यकता अनुमानतः 300 के लगभग है।

बोकारो मे विस्थापित युवकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्ययन करने क लिये छात्रवृत्ति देना

3081. श्री ए० के० राय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील सिटी से विस्थापित युवकों को वर्ष 1968 से 1973 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अध्ययन करते समय बोकारो स्टील लिमिटड से छात्रवृत्ति और रोजगार देने की गारंटी मिली थी ;

(ख) क्या यह सच है, कि बोकारो स्टील सिटी के विस्थापित लोग शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और बोकारो स्टील लिमिटेड ने उनकी भूमि लेने से पहले उनको प्रशिक्षण तथा रोजगार देने का वचन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या बोकारो स्टील लिमिटेड उक्त योजना को पुन: आरम्भ करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) बिहार सरकार के प्रयोजना भूमि और पुनर्वास के निदेशक द्वारा किए गए इस क्षत्र के विस्थापित परिवारों के आरम्भिक सर्वेक्षण में लाया गया था कि इन परिवारों की शिक्षा तथा कार्यकुशलता का स्तर निम्न है और यदि भर्ती में सामान्य मानकों को अपनाया गया तो विस्थापित व्यक्ति बोकारो स्टील लि० में कुशल कामगारों की श्रेणियों में नौकरी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अत: कम्पनी ने विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी के अधिक अवसर देने के लिए किए गए उपायों में से एक उपाय के रूप में, बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों में तथा इस्पात कारखानों में उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए सन 1964 में एक विशेष योजना आरम्भ की थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया था कि राज्य सरकार के अभिकरणों को बोकारो में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। कम्पनी ने प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति दी थी और उन्हें सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर नौकरी देने की गारंटी दी थी। यह योजना 1976 तक चलती रही।

जब बोकारो स्टील सिटी में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं था तो बोकारो स्टील लि० ने कुछ विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध किए थ और चूंकि उस समय बड़ी संख्या में खाली स्थान उपलब्ध थे अत: उन्हें नौकरी देने में कोई कठिनाई नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की समानान्तर योजना चलाना आवश्यक नहीं है।

बोकारो स्टील लिए ने भूमि का कब्जा लेने से पहले विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण तथा नौकरी देने का ऐसा कोई वचन नहीं दिया था।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा बोकारो में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को देखते हुए यह आवश्यक नहीं है। फिर भी, बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धको ने अपने अपेक्षित योग्यता न रखने वाले अकुशल कामगारों (जिनमें विस्थापित व्यक्ति भी शामिल हैं) के लिए प्रशिक्षण योजनाएं शुरू की हैं ताकि विभिन्न कार्यों के लिए उनकी कार्यकुशलता बढाई जा सके।

केवल डाक्टरों और औषधियों से स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं हो सकता

3082. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री कचरुलाल हेमराज जैन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित विश्व स्वास्थ्य प्रवृत्ति के अध्ययन में, जो वाशिंगटन में प्रकाशित किया गया है, कहा गया है कि अच्छा स्वास्थ्य डाक्टरों और औषधियों पर धन खर्च करके खरीदा नहीं जा सकता जैसा कि 21 नवम्बर, 1977 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने इस समाचार को देखा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अध्ययन की एक प्रति प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इस मामले पर आगे विचार किया जा सके।

दक्षिण एशिया में परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र

3083. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मुख्य राजनीतिक समिति में उस समय भाग नहीं लिया जब पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र की सिद्धांत रूप में विचार की पुष्टि करने सम्बन्धी संकल्प कार्य-सूची में था ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत ने इसी संकल्प पर पिछले अवसरों पर इसके विरूद्ध मत दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो समिति में भाग न लेने के कारण क्या हैं और दक्षिण एशिया में परमाणु शस्त्रों की शक्ति का उपयोग करने के बारे में सरकार की नवीनतम नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी, हां।

(ख) 1974 तथा 1976 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 29 वें तथा 31 वें अधिवशनों में भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही प्रस्तावों के विरोध में मतदान किया था। 1975 में 30 वे अधिवेशन में एक उसी तरह का प्रस्ताव बिना मतदान के पारित किया गया था। इस अवसर पर भारत के प्रतिनिधि ने इस आशय का एक वक्तव्य दिया था कि यदि प्रस्ताव पर मतदान हुआ होता तो भारत इसके विरोध में मत देता।

(ग) भारत ने सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के सभी प्रस्तावों का सदैव समर्थन किया है जिसमें, विशेषकर, परमाणु निरस्त्रीकरण भी शामिल है। भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत परमाणुअस्त्रों के पूर्णतः विरूद्ध है और ऐसे अस्त्र बनाने या उसे प्राप्त करने का उसका कोई विचार नहीं है। भारत परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र के सिद्धांत के भी विरूद्ध नही है और वास्तव में लेटिन अमरीका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया में ऐसे क्षेत्रों के बनाये जाने का उसने समर्थन किया है। इन्ही कारणों से हम दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र रहित क्षेत्र की स्थापना सम्बन्धी प्रारुप संकल्प का विरोध नहीं कर पाये। इसके साथ-साथ हमने इन कारणों से भी संकल्प का समर्थन नहीं किया, प्रथम, क्योंकि हम महसूस करते है कि दक्षिण एशिया पर जो एशिया और प्रशान्त का एक अभिन्न आज है अलग से विचार नहीं किया जा सकता, और दूसरे, हम क्षेत्र के देशों के बीच पूर्व परामर्श के बिना संयुक्त राष्ट्र में इस मामले के निपटान के विरूद्ध है। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू सत्र में इस मामले पर भारत की अनुपस्थिति सही है और इस मामले पर हमारे दृष्टिकोन के पूर्णतया अनुरुप है।

प्रबंन्ध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कानून बनाया जाना

3084. **डा० रामजी सिंह : क्या संसदीय काय तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या प्रबन्ध में श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाए जाने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवींन्द्र वर्मा) : प्रबन्ध में श्रमिकों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है। तथापि सरकार ने विभिन्न स्तरों पर प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता पर विचार करने व एक व्यापक योजना की रूप-रेखा की सिफारिश करने के लिए प्रबंध तथा इक्विटी में श्रमिकों की सहभागिता विषयक एक समिति नियुक्त की है ।

विदेश सेवा में सुधार

3085. **श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उनके द्वारा दिए गये इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि हमारी विदेशी सेवा में कुछ त्रुटि है;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था जैसा कि अखबारों में छपा है; और

(ग) विदेश सेवा में सुधार करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन से लौटने पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए विदेशी मंत्री ने कहा था कि हमारे राजदूतावासों में आमतौर से सक्षम अधिकारी है लेकिन उन्हें सही दिशा निर्देश की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इन सेवाओं के अधिकारीगण, चाहे वे भारतीय विदेश सेवा के हों या प्रशासनिक सेवा के, अपने मूल स्रोत के कट जाते हैं और भारतीय लोगों से मिलते-जुलते नहीं ।

(ग) विदेशी मंत्रालय अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम पर निरंतर निगाह रखता है और विदेश मंत्री को जो त्रुटियां नजर आयी हैं उन्हें ठीक करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

हाल ही में मंत्रालय द्वारा इस तरह के अनुदेश जारी किये गये हैं जिनमें विदेश स्थित अपने मिशन से ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि लोगों की उन तक आसानी से पहुंच हो सके और उनका विश्वास पा सकें ।

भारतीय आप्रवासियों के परिवारों को विसा न दिया जाना

3087. **श्री राजकेशर सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आप्रवासियों की पत्नियों और बच्चों को ब्रिटेन में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से बात-चीत की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी नहीं। लेकिन कुछ मामलों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों को जांचने में देर लग जाती है।

(ख) जी हाँ। ब्रिटिश अधिकारियों ने सरकार को यह विश्वास दिलाया है कि यद्यपि प्रदेश पाने वालों के आवेदन पत्रों की संख्या बहुत है परन्तु फिर भी वे आवेदन पत्रों की जाँच का काम शीघ्र पूरा कर प्रवेश पत्र जारी करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

पारपत्र विनियम

3088. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1977 को नये नियम लागू होने के पश्चात् पारपत्र विनियमों को हाल में अधिक कठोर बना दिया गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

यूनियन की सदस्यता के सत्यापन के बारे में पारादीप श्रमिक कांग्रेस की ओर से अभ्यावेदन

3089. **श्री सरत कार** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को पारादीप श्रमिक कांग्रेस की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि आपात स्थिति के दौरान किए गए सत्यापन को रद्द करके ट्रेड यूनियन के सदस्यों की सूची का नये सिरे से सत्यापन किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पारादीप पत्तन न्यास में श्रमिक प्रतिनिधित्व के बारे में सिफारिश करने से पूर्व सदस्यता का पुनः सत्यापन करने का आदेश देने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 31-12-76 की स्थिति के अनुसार पारादीप पत्तन सहित मुख्य पत्तनों में कार्यरत पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की यूनियनों की सदस्य-संख्या का सत्यापन करने के लिए पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।

सोवियत रूस के दल का आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा का दौरा

3090. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस के तकनीशियनों के एक दल ने हाल में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के उन स्थानों का दौरा किया है जहां देश में एक अथवा दो अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने के लिये बाक्साइट उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने किन स्थानों का दौरा किया तथा उसने क्या रिपोर्ट दी है तथा उस पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत दल ने आंध्र प्रदेश में सापरला, जरेला और गालीकोंडा तथा उड़ीसा में पोटंगी और पंचपटमाली के बाक्साइट क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दल ने विशाखापत्तनम बंदरगाह, कलकत्ता, रांची तथा दिल्ली का भी दौरा किया। सोवियत दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

इस दौरे के अन्त में भारत एल्युमिनियम कं० और सोवियत दल के बीच एक समझोते पर हस्ताक्षर किए गए। सोवियत पक्ष ने भारत एल्यूमिनियम कं० को आंध्र प्रदेश में बाक्साइट निक्षेपों पर आधारित एल्यूमिना संयंत्र के लिए, जो 'प्रतिपूर्ति' आधार पर स्थापित किया जाएगा, साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहायता देने की पेशकश की है। इस अध्ययन के बारे में सोवियत पक्ष शीघ्र ही अपने प्रस्ताव भेजेगा।

इस्पात का उत्पादन

3091. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेन्लैस स्टील पर आयात शुल्क में कमी के पश्चात् स्टैन्लैस स्टील की बिलेट और शेडों का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन के स्तर को आयात शुल्क में परिवर्तन से पूर्व के स्तर तक लाने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : तारीख 18 जून 1977 को अधिसूचनाओं द्वारा बेदाग इस्पात की प्लेटो, चादरों और पत्तियों पर आयात-शुल्क में कमी की गई थी लेकिन बाद में 15 जुलाई, 1977 को इसमें आंशिक वृद्धि की गई थी। बेदाग इस्पात के उत्पादन के आंकड़े ब्लूम और गोल छड़ों, प्लेटों और चादरों तथा फोर्जड ब्लूम और गोल छड़ों के लिए एकत्रित किये जाते हैं। इसलिए बेदाग इस्पात के बिलेट और छड़ों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 1977-78 के पहले छ: महीनों के दौरान केवल इस्पात के प्रति मास 1060 टन औसत उत्पादन के मुकाबले में जुलाई, 1977 के बेदाग इस्पात का कुल उत्पादन 883 टन था जिसे कम कहा जा सकता है। लेकिन अगस्त, 1977 से लेकर उत्पादन में वृद्धि का रूख है। सितम्बर, 1977 में 1273 टन उत्पादन हुआ जो अधिकतम था।

(ग) बिक्री बढ़ाने और इस तरह उत्पादन बढ़ाने के लिए दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने ने अगस्त, 1977 में मूल्यों में कुछ हद तक कमी की है।

Supply of Sulphuric Acid by Hindustan Zinc Ltd.

3092. **Shri Laiji Bhai :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the supply of sulphuric acid to the Udaipur dealers by the Hindustan Zinc Limited, Udaipur (Rajasthan) has been discontinued ; and

(b) if so, the reasons therefor and the action Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) & (b) There was a temporary postponement of supplies for 12

days from 1st November, 1977. The supplies to all including Udaipur parties have been resumed thereafter. The postponement was due to a temporary shut down of the acid plant.

Utilisation of Welfare Fund for Bidi Workers of Maharashtra

3094. **Shri Subash Ahuja:** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether a sum of Rs. 20 lakhs has been raised for the welfare of bidi workers in Bhandara District of Maharashtra under the Bidi Workers Welfare Fund Act, 1976;

(b) whether Government have formulated any scheme regarding utilisation of this fund; and

(c) if so, the details thereof and when it is proposed to be introduced?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai): (a) Seperate figures for Bhandara District of Maharashtra are not readily available. From Maharashtra State an amount of approx. Rs. 24.40 lakhs has been collected as Cess up to September, 1977.

(b) and (c): The Beedi Welfare Fund will be used to meet the expenditure to be incurred in connection with measures and facilities for various welfare measures on the same lines as adopted for other welfare organisations; viz. Iron Ore Mines Labour Welfare Fund, Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund etc. The Schemes are under formulation.

Publications of Telephone Directories

†3095. **Shri Mrityunjay Prasad:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the dates on which telephone directories for New Delhi, Calcutta, Bombay, Patna, Kanpur and Lucknow were published last indicating the dates upto which correct entries were included therein and the number of days after which they were actually distributed?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): The information is given in Annexure.

ANNEXURE

Sl. No.	Name of Telephone District	Scheduled month of publication.	Entries corrected up to.	Actual month of publication	Distribution started on	No. of days between date of correction & distribution
1.	New Delhi . . .	May, 77	28-2-77	Oct., 77	16-10-77	229
2.	Calcutta . . .	Jan., 77	1-1-77	Apr., 77	25-4-77	114

P.T.O.

Sl. No.	Name of Telephone District	Scheduled month of publication.	Entries corrected up to.	Actual month of publication	Distribution started on	No. of days between date of correction & distribution
3.	Bombay . . .	Dec. 76	1-12-76	Dec. 76	31-12-76	30
4.	Patna (Bihar Circle Directory).	July, 73	31-7-73	April, 74	7-5-74	280
5.	Kanpur . . .	March, 77	31-3-77	May, 77	6-6-77	67
6.	Lucknow . . .	Nov., 76	30-9-76	Jan., 77	18-2-77	140

डाक्टरों और रोगियों के लिये चिकित्सा बीमा

3097. **श्री वसन्त साठे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर 1977 के नेशनल हेराल्ड में "मैडिकल इंश्योरेंस फार डाक्टर्स, पेशेन्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी० एस० लाम्बा की मृत्यु के लिए उत्तरदायी तथ्यों तथा परिस्थितियों को जांच-पड़ताल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित किए गए देशपांडे आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर जो कार्यवाही की गई उसका एक ज्ञापन 14 नवम्बर, 1977 को लोक सभा के पटल पर रखे जा चुके हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० -1298/77**]

केरल के वायानाड क्षेत्र में सोने का पाया जाना

3098. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग का केरल के वायानाड क्षेत्र की रेत में सोना होने का पता लगाने के लिए उस क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब से शुरू होगा और इसके कब पूरा होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था का 1977-78 के क्षेत्रगत सत्र में वायानाड के दक्षिण में नीलाम्बर घाटी में स्वर्ण सहित अन्य कीमती धातुओं के लिए भू-गर्भीय और भू-संरचना संबंधी सर्वेक्षण करने का विचार है। इस काम के 1980 तक चलते रहने की संभावना है।

इस्पात संयंत्रों के मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक

3099. **डा० बापू कालदाते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खानों तथा इस्पात संयंत्रों के मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की बैठकें हाल में बुलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों के बुलाने का उद्देश्य क्या था ;

(ग) इन बैठकों में किन-किन व्यवस्थाओं के किन-किन प्रतिनिधियों को बुलाया गया था ; और

(घ) इन बैठकों के बुलाने पर कुल कितना व्यय हुआ ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : संभवतः अभिप्राय इस्पात उद्योग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के बारे में सुझाव देने/सिफारिशें करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा गठित किए गए छः अध्ययन दलों द्वारा बुलाई गई बैठकों से है जिनमें इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधि हैं।

(ग) सभी अध्ययन दलों के 30 नवम्बर, 1977 को हुए पूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के लिए मजदूर संघों के जो प्रतिनिधि बुलाए गए थे उनके नाम अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अनुलग्नक

ग्रुप 'क'—उत्पादन तथा उत्पादिता

केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	जी० रामानुजम	इन्टक
2.	संभल चक्रवर्ती	एटक
3.	पी० के० मुखर्जी	सीटू
4.	राम नरेश सिंह	बी०एम०एस०
5.	सतीश दासगुप्ता	यू०टी०यू०सी० (एल० एस०)
6.	एस० आर० सेनगुप्ता	यू०टी०यू०सी०
7.	चन्द्रकान्त देसाई	एच०एम०एस०

संयंत्र/इकाई स्तर पर मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1.	डी० के० चोबे	बी० एस० एल०
2.	जी० पी० शर्मा	बी० आई० एल०
3.	बी० सी० महापात्र	बी० आई० एल०
4.	ए० दर्शी	डी० एम० आई० एल०
5.	अजित मुखर्जी	डी० एस० पी०
6.	आर० सी० दासगुप्ता	सी० एस० ओ०/एच०एस०एल०
7.	आर० पी० सिंह	टिस्को
8.	के० सी० प्रसाद	इस्को
9.	एस० एन० बालाकृष्णा	वी० आई० एस० एल०

केन्द्रीय मजदूर संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1.	पी० के० सूर	एटक/ए० एस० पी०
2.	एस० एन० मांझी	एन० एफ० आई० टी० यू०/आर० एस० पी०

अनुलग्नक—जारी

3.	जे० एम० शर्मा	बी० एम० एस०/टिस्को
4.	जी० डी० महामुलकर	बी० एम० एस०/डी० एस० पी०
5.	सन्तोष कुमार मित्रा	बी० एम० एस०/डी० एस० पी०
6.	वी० एन० कपूर	बी० एम० एस०/इस्को
7.	एच० एम० छसिद्दप्पा	बी० एम० एस०/वी० आई० एस० एल०
8.	दीपक सेनगुप्ता	बी० एम० एस०/ए० एस० पी०
9.	ऊमा शंकर चौहान	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)/ए०एस० पी०
10.	धनंजय प्रामनिक	तदैव/डी० एस० पी०
11.	रंजीत कुमार दास	तदैव/डी० एस० पी०
12.	ए० राजरतनम्	एटक/बी० एस० पी०
13.	जे० पी० सिन्हा	तदैव
14.	वी० रामास्वामी	एच० एम० एस०/वी० आई० एस० एल०
15.	एम० एस० फिरदौसी	एटक/टिस्को
16.	एस० के० कवी	एटक/आर० एस० पी०
17.	बी राजू	इन्टक/वी० आई० एस० एल०
18.	सरबन प्रसाद मुखर्जी	एटक/डी० एस० पी०
19.	जयमंगल सिंह	एटक/इस्को
20.	एन० मिश्रा	सीटू/टिस्को
21.	ए० चक्रवर्ती	सीटू/इस्को
22.	अशोक चक्रवर्ती	एन० एफ०आई०टी० यू०/इस्को
23.	सी० आर० नायर	सीटू/बी० एस० पी०
24.	आर० एस० यादव	वी० एम० एस०/वी० एस० पी०
25.	बी० एल० सिंह	एच० एम० एस०/वी० एस० पी०
26.	एस० तरफदार	इन्टक/डी० एस० पी०
27.	एस० के० दासगुप्ता	सीटू/आर० एस० पी०
28.	सी० एम० महापात्रा	इन्टक/आर० एस० पी०
29.	ए० रामरत्नम	आर० डब्ल्यू० यू०/आर० एस० पी०
30.	असिम दत्ता	इन्टक/ए० एस० पी०

किसी भी केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से असम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1.	आर० एस० सिंह	बोकारो स्टील श्रमिक संघ, बोकारो
2.	एम० के० सिन्हा	बोकारो स्टील मजदूर सभा, बोकारो
3.	वी० के० मोहन्ती	राउरकेला स्टील प्लांट इम्प्लाईज एसोसिएशन
4.	बी० एस० पट्टी	नार्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनीयन

नोट : अनुलग्नक के अन्त में संक्षेप में दिए शब्दों का पूरा नाम दिया गया है।

अनुलग्नक—जारी

ग्रुप 'ख'—कल्याण तथा सामाजिक ध्येय

केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1. ए० जी० मुखर्जी	इन्टक
2. गया सिंह	एटक
3 उमापाद मुखर्जी	सीटू
4. सरोज मित्रा	बी० एम० एस०
5. बादशाह खान	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)
6. मधु बेनर्जी	यू० टी० यू० सी०
7. राम देसाई	एच० एम० एस०

संयंत्र/इकाई स्तर पर मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. ए० एन० त्रिपाठी	बी० एस० एल०
2. के० एल० चन्द्राकर	बी० आई० एल०
3. एस० सी० बोयटी	आर० आई० एल०
4. कल्याण बोस	डी० एम० आई० एल०
5. मृणाल बेनर्जी	डी० एस० पी०
6. तपन चक्रवर्ती	सी० एस० ओ०/एच० एस० एल०
7. एस० के० दुबे	टिस्को
8. अरुण बिकास मुखर्जी	इस्को
9. एच० नरसिंधई	वी० आई० एस० एल०

स्वतन्त्र मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. एम० पी० शुक्ला	बोकारो प्रगतीशील कर्मचारी संगठन बोकारो
2. एन० वी० एम० आचार्य	यूनिवर्सल लेबर फेडरेशन बोकारो
3. यू० पी० दानी	छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा भिलाई
4. जी० एन० सेनान	राउरकेला स्टील प्लांट इम्पलाईज एसोसिएशन राउरकेला।
5. जे० एन० गांगुली	हिन्दुस्तान स्टील (सी० एस० ओ०/सी० टी० एस० ओ०) कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता।
6. ए० पी० दास	नार्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. सुकमोल दत्ता	एटक/आर० एस० पी०
2. जी० एका	एन० एफ० आई० टी० यू०/आर० एस० पी०
3. जी० एस० पी० श्रीवास्तव	बी० एम० एस०/टिस्को
4. सी० आर० सिंह	बी० एम० एस०/आर० एस० पी०

5.	बिमनेश मुखर्जी	बी० एम० एस०/टिस्को
6.	रविन्द्र कुमार मिश्र	बी० एम० एस०/बी० एस० पी०
7.	कृष्ण लाल जैसवाल	बी० एम० एस०/ए० एस० पी०
8.	एम० डी० बदरूदोजा	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)/ए० एस० पी०
9.	एन० सी० राय	यू० टी० यू० सी (एल० सी०)/डी० एस० पी०
10.	एच० एम० सिदप्पा	बी० एम० एस०/वी० आई० एस० एल०
11.	एम० सी० सोनो	एटक/बी० एस० पी०
12.	द्वारिका प्रसाद पाठक	एटक/टिस्को
13.	एस० अहमद	एटक/बी० एस० एल०
14.	बी० रंगप्पा	इन्टक/वी० आई० एस० एल०
15.	आनन्दो भट्टाचार्जी	एटक/बी० एस० एल०
16.	श्रीधर चक्रवर्ती	एटक/ए० एस० पी०
17.	एन० मिश्रा	सीटू/टिस्को
18.	जे० एन० करचोधरी	सीटू/इस्को
19.	सत्यन मुखर्जी	एन० एफ आई० टी० यू०/इस्को
20.	पनची लाल यादव	बी० एम० एस०/वी० एस० एल०
21.	टी० एल० सिगोर	सीटू/बी० एस० पी०
22.	आर० एन० मिश्रा	एच० एम० एस०/बी० एस० पी०
23.	एस० के० गुहा	इन्टक/डी० एस० पी०
24.	एल० डी० नाइक	तदैव
25.	एस० हक	इन्टक/आर० एस० पी०
26.	बी० जैना	आर० डब्ल्यू० यू०/आर० एस० पी०
27.	मृगेन पाल	इन्टक/ए० एस० पी०

ग्रुप 'ग'—कामगारों की भागीदारी

केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1.	गोपेखर	इन्टक
2.	डी० सी० मोहन्ती	एटक
3.	टी० एन० सिंह	सीटू
4.	रामदेव प्रसाद	बी० एम० एस०
5.	फटीक घोष	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)
6.	एच० एन० सिंह	एच० एम० एस०
7.	अशोक चेटर्जी	यू० टी० यू० सी०

अनुलग्नक—जारी

संयंत्र/इकाई स्तर पर मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. एच० सी० एल० श्रीवास्तव .	बी० एस० एल०
2. आर सी आर्य . .	बी० आई० एल०
3. जगदीश नाग . .	आर० आई० एल०
4. प्रनब चक्रवर्ती . .	डी० एम० आई० एल०
5. दिलीप मुजूमदार . .	डी० एस० पी०
6. गुरूदास चौधरी . .	सी० एस० ओ०/एच० एस० एल०
7. एस० पी० राय . .	टिस्को
8. एन० शिवादिगप्पा . .	वी० आई० एस० एल०
9. एन० जी० सरकार . .	इस्को

स्वतन्त्र मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. चन्द्रमा पासवान . .	लोकतांत्रिक मजदूर संघ, बोकारो स्टील लि०
2. आर०ए० चौधरी . .	बिहार स्टील वर्कर्स यूनियन, बोकारों स्टील लि०
3. के० सी० मिश्रा . .	राउरकेला स्टील इम्पलाईज एसोसिएशन
4. जे० सी० सरकार . .	नार्थ उडीसा वर्कर्स यूनीयन

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. सुब्बा राव . . .	एटक/वी० एस० पी०
2. ए० पतरो . . .	एन० एफ० आई० टी० यू०/आर० एस० पी०
3. अरुन प्रसाद .	बी०एम०एस०/टिस्को
4. एल० घटक . .	एन्टक/ए० एस० पी०
5. के० एन० निगम	बी० एम० एस०/आर० एस० पी०
6. दयानन्द प्रशाद .	बी० एम० एस०/इस्को
7. एस० राम . .	बी० एम० एस०/बी० एस० एल०
8. एच० के० दास . .	इन्टक/आर० एस० पी०
8. राज मंगल सिंह .	बी० एम० एस०/ए० एस० पी०
10. बादल राय . .	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)/ए० एस० पी०
11. गोपाल कुण्डु . .	तदैव/डी० एस० पी०
12. जी० ओंकारप्पा . .	बी० एम० एस०/वी० आई० एस० एल०
13. बी० शंकरलिंग गोवदा . .	इन्टक/वी० आई० एस० एल०
14. एल० डी० नाईक . .	एस० ई० टी० यू०/आर० एस० पी०
15. गुलजारा सिंह . .	एटक/आर० एस० पी०
16. रामशंकर राय . .	एटक/टिस्को

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

17. अरुन राय	. . .	एटक/डी० एस० पी०
18. एच० चटराज	. .	एटक/इस्को
19. एस० पी० चटर्जी	. .	एटक/ए० एस० पी०
20. एन० पाण्डे	. . .	सीटू/टिस्को
21. डी० भट्टाचार्जी	. .	सीटू/इस्को
22. एच० एल० यादव	. .	एन० एफ० आई० टी० यू०/इस्को
23. एम० एन० के० पिल्लई	. .	सीटू/बी० एस० पी०
24. एम दूबे	. . .	एच० एम० एस०/बी० एस० पी०
25. चिनमय गांगुली	. .	इन्टक/डी० एस० पी०
26. एस० एम० चौधरी	. .	बी० एम०एस०/डी० एस० पी०
27. एस० के० दास गुप्ता	. .	सीटू/आर० एस० पी०
28. एस० के० चक्रवर्ती	. .	आर० डब्लू० यू०/आर० एस० पी०
29. एच० पी० शर्मा	. .	इन्टक/ए० एस० पी०
30. बी० शंकरालिंग	. .	इन्टक/वी० आई० एस० एल०

ग्रुप 'घ'— विपणन, वित्त तथा मूल्यन

केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1. सी० एल० चन्द्राकर		इन्टक
2. केदार दास	. . .	एटक
3. निर्मल चक्रवर्ती		सीटू
4. रामजी दास शर्मा		बी० एम० एस०
5. तपस दत्ता	.	यू० टी० यू० सी०
6. नरेन सेन	. . .	एन० एफ० आई० टी० यू०
7. बिमल बेनर्जी	. .	एच० एम० एस०

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. तहिर हुसैन	. .	एटक/इस्को

ग्रुप 'ङ'— इस्पात उद्योग का विस्तार

केन्द्रीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि

सर्वश्री

1. बी० के० मोहन्ती	. .	इन्टक
2. के० जी० श्रीवास्तव	.	एटक
3. शान्ति शेकर बोस	. .	सीटू
4. टी० सी० जुमादा	. .	बी० एम० एस०
5. प्रतीशा चन्दा	. .	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)
6. डा० श्रीमती मैत्रेय	. .	एन० एफ० आई० टी० यू०
7. मरेश देसाई	. . .	एच० एम० एस०
8. हीरालाल जादव	. .	यू० टी० यू० सी०

अनुलग्नक—जारी

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. अनुराधा .	एटक/बी० एस० एल०
2. निर्मल बेनर्जी . .	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)/ए० एस० पी०

ग्रुप 'घ'— एक उद्योग में एक यूनियन का रखना

संयंत्र/इकाई स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ

सर्वश्री

1. बिन्देश्वरी दुबे	बी० एस० एल०
2. डी० सुकुमारन	बी० आई० एल०
3. आर० के० सामन्तराय .	आर० आई० एल० .
4. निशित भट्टाचार्या	डी० एम० आई० एल०
5. अजित मुखर्जी .	डी० एस० पी०
6. एम० के० जोरदार .	सी० एस० ओ०/एच० एस० एल०
7. वी० जी० गोपाल .	टिस्को
8. अबदूल्ला खान	इस्को
9. सी० एन० रामन्ना	वी० आई० एस० एल०

स्वतन्त्र मजदूर संघो के प्रतिनिधि

1. ए० पी० सिंह . .	छोटानागपुर मजदूर कांग्रेस, बोकारो स्टील लि०
2. एन० ई० होरो	झारखण्ड मजदूर संघ, बोकारो स्टील लि०
3. एस० के० बिस्वास .	यूनाइटेड स्टील वर्कर्स यूनियन, भिलाई इस्पात लि०
4. के० सी० मिश्रा	राउरकेला स्टील प्लांट इम्प्लाईज एसोसिएशन
5. सुजित बोस . . .	हिन्दुस्थान स्टील इम्प्लाईज (सी०एस०ओ०/सी टी० एस० ओ०) कर्मचारी यूनियन, कलकत्ता ।
6. बी० बग . . .	नार्थ उड़ीसा वर्कर्स यूनियन

केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन से सम्बद्ध पंजीकृत मजदूर संघों के प्रतिनिधि

1. मोनिश मजूमदार .	एटक/डी० एस० पी०
2. पी० कुल्लु . .	एन० एफ० आई० टी० यू०/आर० एस० पी०
3. उमेश्वर प्रसाद	बी० एम० एस० / टिस्को
4. एस० के० मित्रा .	बी० एम० एस०/आर० एस० पी०
5. सीताराम बत्रा	बी० एम० एस०/डी० एस० पी०
6. गनेश झा . .	बी० एम० एस०/इस्को
7. आर० के० ठाकुर .	बी० एम० एस०/बी० एस० एल०
8. ए० पी० मिश्रा .	इन्टक/आर० एस० पी०
9. पी० पाठक . .	बी० एम० एस०/ए० एस० पी०
10. सरोज कुमार मित्रा . .	बी० एम० एस०/आर० एस० पी०
11. जयदेव दास . .	यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)/ए० एस० पी०

अनुलग्नक—जारी

12.	एम० एस० सिन्हा	यू०टी० यू०सी०/(एल०एस०)/डी० एस० पी०
13.	शगुन्याय	बी० एम० एस०/बी० आई० एस० एल०
14.	एस० ए० हक्क	एटक/बी० एस० पी०
15.	मि० जी० चित्ती बाबू	एटक/टिस्को
16.	मुर्लीधर परिदा	एटक/आर० एस० पी०
17.	सी० आर० सिदोजी राव	इन्टक/बी० आई० एस० एल०
18.	मृत्युन्जय दास गुप्ता	पी० एल० यू०/डी० एस० पी०
19.	ए० के० मित्रा	एटक/ए० एस० पी०
20.	मनीश मजूमदार	एटक/डी० एस० पी०
21.	मोहम्मद जियाउद्दीन	एटक/इस्को
22.	एम० मुखर्जी	सोटू/टिस्को
23.	एस० एन० चन्दा	सोटू/इस्को
24.	एम० के० विजयन	सोटू/बी० एस० पी०
25.	आर० एस० यादव	बी० एम० एस०/बी० एस० पी०
26.	आर० डी० सिंह	एच० एम० एस०/बी० एस० पी०
27.	पूर्णानन्द राय	इन्टक/डी० एस० पी०
28.	एल० बिस्वास	सोटू/आर० एस० पी०
29.	ए० रौत्रे	आर० डब्ल्यू० यू०/आर० एस० पी०
30.	एस० मुखर्जी	इन्टक/ए० एस० पी०

संक्षेप में दिए शब्द	पूरा नाम
1. इन्टक	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस
2. एटक	आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
3. सीटु	सेन्ट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन
4. बी० एम० एस०	भारतीय मजदूर संघ
5. यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (लेनिन सारणी)
6. यू० टी० यू० सी०	यूनाइटेड ट्रेडस् यूनियन कांग्रेस
7. एच० एम० एस०	हिन्द मजदूर सभा
8. बी० एस० एल०	बोकारो स्टील लिमिटेड
9. आर० आई० एल०	राउरकेला इस्पात लिमिटेड
10. डी० एम० आई० एल०	दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड
11. डी० एस० पी०	दुर्गापुर स्टील प्लान्ट
12. सी० एस० ओ०/एच० एस० एल०	सेन्ट्रल सेल्स आर्गेनाइजेशन/हिन्दुस्तान स्टील लि०
13. टिस्को	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
14. इस्को	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०

अनुलग्नक—समाप्त

15.	बी० आई० एस० एल०	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि०
16.	एन० एफ० आई० टी० यू०	नेशनल फ्रन्ट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन
17.	आर० डब्ल्यू० यू०	राउरकेला वर्कर्स यूनियन
18.	एस० ई० टी० यू०	स्टील इम्प्लाईज ट्रेड यूनियन
19.	पी० एल० यू०	प्रोग्रेसिव लेबर यूनियन

Telephone Facility in Hill and Adivasi Area

†3100. **Shri T. S. Negi:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have a scheme to provide a public telephone for a population of 2,500 in hill/Adivasi/backward areas; and

(b) if so, the details of this scheme and the time by which this scheme would be implemented, specially in hill areas of Uttar Pradesh?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukdeo Sai): (a) The Government have approved a scheme to open Public Call offices at all places having a population of 2,500 or more in hilly and backward areas. Adivasi areas are expected to be covered mostly under hilly and backward areas.

(b) PCOs at such places are proposed to be provided irrespective of profit or loss. In the hilly areas of Uttar Pradesh, there are 8 places with a population of 2,500 or more without Telephone facility and PCOs are likely to be opened at all these 8 places in the next two years.

औद्योगिक न्यायालय संख्या 2, धनबाद, में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति

3101. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायालय (संख्या 2) धनबाद में पिछले एक वर्ष से कोई भी पीठासन अधिकारी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह नियुक्ति कब तक की जाएगी।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी; हाँ। तथापि न्याय-निर्णय के लिए भेजे गए सभी विवाद केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय सं० 1 और 3, धनबाद को सौंप दिए गए हैं।

(ख) औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों को कार्यभार के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षक एकक द्वारा एक पुनरीक्षण किए जाने का विचार है। जब तक उपर्युक्त एकक की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस पद को रिक्त रखा गया है।

अलीगढ़ मुस्लीम विश्वविद्यालय में जड़ी बुटियां सर्वेक्षण संयंत्र की स्थापना करना

3102. **श्री नबाब सिंह चौहान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 28 जुलाई, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रियों तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों के सचिवों की कथित बैठक इस बीच हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जड़ी बूटी सर्वेक्षण संयंत्र की स्थापना करने के बारे में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) क्या प्रादेशिक अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद), झांसी ने अलीगढ़ क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण कार्य किया है और यदि हां, तो कहां पर और सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां । 28 और 29 जुलाई, 1977 को नई दिल्ली में बैठक हुई थी ।

(ख) भारतीय चिकित्सा तथा होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद ऐसी योजनाओं पर विचार करने के लिये सक्षम है और इस योजना को आरम्भ करने का पहले ही निर्णय कर लिया गया है बशर्ते कि इस के लिये धन उपलब्ध हो । इसलिये 28 और 29 जुलाई, 1977 को हुये राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों तथा सचिवों के सम्मेलन को कार्यसूची में इस विषय को शामिल नहीं किया गया था ।

(ग) क्षत्रीय अनुसंधान केन्द्र, झांसी ने दिसम्बर, 1977 के दूसरे पखवाड़े में अलीगढ़ के वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया है ।

आन्ध्र प्रदेश के कस्बों में डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था

3103. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के शहरों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किन-किन स्थानों को डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन किया जा सकता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) जी हां ।

(ख) गुंटूर, हैदराबाद, काकीनाडा, राजामुन्द्री, तिरुपति, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(ग) (i) गुंटूर से हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच ।

(ii) हैदराबाद से अलेप्पी, बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, दिल्ली, एर्नाकुलम, इरोडे, गुंटूर, कोट्टायम, कोजीकोड, मद्रास, मदुरै, ऊटी, पालघाट, क्विलोन, सेलम, तिरुपुर, त्रिचूर, त्रिची, त्रिवेन्द्रम और विजयवाड़ा के लिए ।

(iii) काकीनाडा से राजामुन्द्री, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम ।

(iv) राजामुन्द्री से काकीनाडा के लिए

(v) तिरुपति से मद्रास के लिए

(vi) विजयवाड़ा से गुंटुर हैदराबाद, काकीनाडा और विशाखापत्तनम के लिए

(vii) विशाखापत्तनम से काकीनाडा और विजयवाड़ा के लिए ।

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

3104. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य को टेलीफोन कनेक्शनों से संबंधित मांगों को पूरा कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो नवम्बर, 1977 तक उनके मंत्रालय के सामने ऐसी कुल कितनी मांगें थीं ; और

(ग) सभी टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) जी नहीं । देश के सम्पूर्ण विकास के लिए सीमित साधन उपलब्ध हैं । इन्हीं साधनों से दूरसंचार के विस्तार के लिए साधन प्राप्त होते हैं । इसलिए अन्य राज्यों को भांति गुजरात राज्य में भी टेलीफोन कनेक्शनों को सम्पूर्ण मांगें पूरी करना संभव नहीं हो सका है । क्रमिक योजनाओं के लिए जो साधन उपलब्ध होते हैं, वे इतने पर्याप्त नहीं होते कि उनसे टेलीफोनों को संपूर्ण मांगें पूरी की जा सकें । इन्हीं साधनों में से देहाती इलाकों और छोटे नगरों को टेलीफोनों की मांगों को प्राथमिकता दी जाती है । इसलिए, बड़े शहरों की प्रतीक्षा सूचियों में आवेदकों के नाम बढ़ते जाते हैं ।

(ख) नवम्बर, 1977 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बकाया पड़ी मांगों की कुल संख्या 21,717 थी । इनमें से अधिकांश मांगें गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और अन्य बड़े शहरों में दर्ज हैं ।

(ग) बड़े शहरों में टेलीफोनों के लिए अर्जी प्राप्त होते ही टेलीफोन लगाने की व्यवस्था करना भविष्य में भी काफी अर्से तक संभव नहीं होगा । फिर भी, ऐसे विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उन सभी आवेदकों को, जो 1-4-1977 तक प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज थे, अगले दो से तीन वर्षों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जायें । आशा है कि कुछ शहरों को छोड़कर अधिकांश मामलों में ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी । ऐसे मामलों में भी कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके मौजूदा सभी मांगें पूरी कर दी जायें ।

टेलीफोन उपकरणों का कार्यकरण

3105. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न बड़े और महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी लागत से लगाय गये कई नये टलीफोन उपकरण सक्षम, प्रभावपूर्ण और तुरंत सेवा नहीं दे पा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए मामले से कैसे निपट रही है कि उपरोक्त उपकरणों से तुरंत और संतोषजनक सेवा प्राप्त हो सके ; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही और उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) और (ख) जी नहीं। उपस्करों की स्थापना के बाद कुछ ही मामलों में खराबिया मालूम पड़ती हैं। इन खराबियों पर तुरंत ध्यान दिया जाता है और इन्हें दूर करने के उचित उपाय किए जाते हैं।

(ग) उपस्कर में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) कमियों का विश्लेषण करना

(2) खराब पुर्जों को बदलना

(3) सर्किट और उत्पादन संबंधी तकनीकों में आवश्यकता के अनुसार फेरबदल करना।

काम कर रहे उपस्करों में ऐसे फेर-बदल विभिन्न चरणों वाले कार्यक्रम के अनुसार किए जाते हैं। निर्माणाधीन उपस्कर में भी ये परिवर्तन शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज का आयात

3106. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संचार मंत्री और संचार मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव ने क्रासबार एक्सचेंज रमाइक्रोवेन मंगाने के लिए 125 करोड़ का क्रयादेश जापानी कंपनियों को दिया था ;

(ख) क्या उपरोक्त उपकरणों को खरीदने के लिए विभाग ने टेंडर मंगाए थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिना टेंडर मंगाए इन उपकरणों को खरीदने का क्या औचित्य है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) विश्व बैंक ऋणों की धनराशि से उस समय डाक तार विभाग ने क्रासबार एक्सचेंज और माइक्रोवेव उपस्कर के लिए जापानी कंपनियों को नीचे लिखे आर्डर दिए थे :—

(1) क्रासबार स्विचिंग उपस्कर—60,000 लाइनें, कुल लागत लगभग 9 करोड़ 37 लाख रुपये, नवम्बर-दिसम्बर 1975 में।

(2) माइक्रोवेव उपस्कर—1,251 मार्ग किलोमीटर, कुल लागत लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपये, नवम्बर 1976 में।

(3) क्रासबार स्विचिंग उपस्कर—20,000 लाइनें, कुल लागत लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये, जून-सितम्बर, 1976 में।

(ख) जी हां। विश्व बैंक के 5 वें दूरसंचार ऋण की धनराशि से क्रासबार उपस्कर खरीदने के लिए जुलाई, 1974 में विश्वजनीन टेंडर मांगें गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा म क्रोमाइट खनन का पट्टा

3107. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्रोमाइट खनन का पट्टा किन-किन फर्मों को दिया गया और उनका ब्यौरा क्या है ;

4—366 LSS/ND/77

(ख) प्रत्येक फर्म को कुल कितना पट्टा क्षेत्र आबंटित किया गया ;

(ग) क्या इस बारे में कोई कदाचार और अनियमितता सरकार की जानकारी में आई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर एक ब्यौरा संलग्न है । (देखिये पृष्ठ 49)

(ग) और (घ) मैसर्स मिश्री लाल माइन्स (प्रा०) लि० के पट्टे के 1974 में नवीकरण में कथित अनियमितता के बारे में कुछ समय पहले शिकायत मिली है जिसकी जांच की जा रही है ।

टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग

3108. **श्री श्यामसुन्दर गुप्त : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन इंजीनियरिंग विभाग में एक अधिकारी के एक स्थान पर ठहरने की कोई अवधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो यह अवधि कितने समय की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) असिस्टेंट इंजीनियर और उससे बड़े पद के कितने अधिकारी एसे हैं जो गत पांच वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं (इसमें उनके दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट, रिसर्च विंग और डाक तार महा-निशालय में ठहरने की अवधि भी सम्मिलित है) ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : (क) जी हां । यह अवधि एक पद पर 4 वर्ष और एक स्थान पर 6 वर्ष रहने की है । अलबत्ता, बचत करने ी दृष्टि से इस समय बारी-बारी से (रोटेशनल) तबादले नहीं किए जा रहे हैं ।

(ख)	(1) सहायक इंजीनियर	141
	(2) मंडल इंजीनियर	32
	(3) निदेशक, दूरसंचार आदि	36
	(4) महाप्रबन्धक आदि	8

Demand of Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd., Junagarh District

†3109. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Mercantile Co-operative Bank Limited, Veraval in Junagarh District, Gujarat had submitted a 11-point memorandum on the 10th August, 1977 in regard to telephone and telex ;

(b) if so, the demands made in the memorandum ; and

(c) the action taken by Government so far in regard to each of the demands made therein ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) to (c) : Yes Sir, a memorandum has been received

Contd. on page 50

विवरण

क्रोमाइट खनन पट्टों की सूची

क्र० सं०	पट्टेदार का नाम	क्षेत्र	स्थिति	अवधि	पट्टा देने की तारीख	टिप्पणी
1	मैं० मिश्री लाल माइन्स (प्रा) लि०	640 एकड़ या 250 हेक्टेयर	सरुआविल गांव सुकिन्दा पी० एस० जाजपुर उप प्रभाग जिला कटक	15-5-74 से 20 साल के लिए	20-8-74 को नवीकरण किया गया	
2	मैं० टाटा आयरन एंड स्टील कं० लि०	16,614 वर्ग कि०मी० या 1261.476 हेक्टेयर	कालारागी आदि, रानसोल कालिया पानी, महुलखंड गांव और कटक जिले में जाजपुर उप-प्रभाग के सुकिन्दा पी० एस० में वन ब्लाक नं० 27	12-1-73 से 20 साल के लिए	15-4-77 को नवीकरण किया गया	
3	मैं० फेरो अलायेंस कारपोरेशन .	187.05 हेक्टेयर	बाऊला आर० एफ० से सी पी० एस० आनन्दपुर प्रभाग जिला क्योंझर	9-2-72 से 20 साल के लिए	6-8-72 को कार्यान्वित	
4	--वही--	280 एकड़ या 113.312 हेक्टेयर	कठपाल गांव भुवन पी०एस० कामख्यानगर उप प्रभाग, जिला धेनकनाल	7-10-72 से 20 साल के लिए	7-10-72 को कार्यान्वित	
5	मैं० एस० लाल एंड कं० (प्रा०) लि०	682.195 एकड़ या 276.078 हेक्टेयर (खनन पट्टा)	तुलसीपोसी, लोकनाथपुर, जिला धनकनाल	20 साल	कार्यान्वित नहीं हुआ ।	
6	मैं० उड़ीसा माइनिंग कार० लि०	1288 एकड़ (खनन पट्टा)	बिरातल और खुनारहिल	4-11-76 से 20 साल के लिए	4-11-76 को कार्यान्वित	
7	मैं० उड़ीसा माइनिंग कार० लि०	26.763 एकड़	कटक जिले के सुकरंगी और सरलाबिल	20 साल	कार्यान्वित नहीं हुआ ।	

from Veraval Mercantile Cooperative Bank Ltd., Veraval. The main demands made in the memorandum and the action taken are given in the annexure.

ANNEXURE

Statement

1. The working of the Coaxial Rajkot to Bombay is defective from the inception and has remained so till this day.	Staff strength has been increased and proper watch is being kept over working of the system. The performance of the Coaxial system is satisfactory.
2. Additional direct dialling channels to Bombay.	Three additional direct dialling circuits have been planned. These will be provided on conversion of Ahmedabad-Bombay coaxial system to higher capacity in 1978.
3. Direct dialling facilities to Ahmedabad, Baroda, Surat and North Gujarat.	Direct operator dialling facility is already provided to Ahmedabad. The existing volume of traffic does not justify the provision of this facility to other places.
4. Direct circuits to Porbander, Manvadar, Dhorji, Jamnagar, Bhavnagar, Jetpur, Savarkundle, Amreli, Dhari, etc.	Direct trunk circuits exist to Porbander Manavadar, Dhorji, Jamnagar, Amreli. Circuits to other stations will be provided as and when traffic justifies.
5. Failure to observe the correct priorities in setting up Trunk calls.	Calls are being established only on the basis of their booking time and class of priorities. However interse priority cannot be invariably ensured between terminal and non-terminal calls on the same route and also between calls established on prescribed routes and alternative routes during interruptions.
6. Increase in number of Operators .	The vacant posts of Telephone Operators will be filled up by December 1977.
7. Wrong telephone billing . . .	Cases of wrong billing are attended to as and when the same are brought to the notice.
8. No prompt attention from Trunk Enquiry/Booking.	Watch is being kept on working of Trunk Booking and Enquiry positions and ensuring prompt attention. However, slight delay or inattention cannot be avoided during the change over of shifts, heavy absenteeism etc.
9. Performance of the Exchange . .	The performance of the exchange is constantly watched and remedial action taken. However, due to pro-

ANNEXURE—*Concld.*

	ximity to sea coast and predominently overhead wires, faults occur due to corrosion. Heavy over-head alignment being gradually replaced by underground cable.
10. Commissioning of telex . . .	A 20 line telex is planned to be commissioned in 1978.
11. Installation of auto exchange at Veraval.	The automatisation of Veraval Exchange is likely to take time due to acute shortage of equipment.

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० द्वारा कच्चे लोहे के लिए चीन के साथ निर्यात सौदा

3110. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटो आफ इंडिया लि० ने कच्चे लोहे के निर्यात के लिए चीन के साथ एक निर्यात सौदे को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चीन ने यह शर्त लगाई है कि लोहा भारत के एक विशेष इस्पात संयंत्र का ही होना चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा सौदे के सम्पूर्ण निर्यात को पूरा करने की समय अनुसूची क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) : सिवाय इसके कि चीन ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है कि कच्चा लोहा किसी विशेष इस्पात कारखाने का ही होना चाहिए, निर्यात के इस सौदे के बारे में और अधिक ब्योरा देना देश के वाणिज्यिक हित में न होगा ।

Implementation of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 and the Beedi Workers Welfare Cess Act by States

3111. **Shri Govindram Miri** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have taken the responsibility for enforcing the Beedi Workers Welfare Cess Act and Beedi Workers Welfare Fund Act passed by the Parliament during the last year ;

(b) if so, the basis thereof, particularly in the circumstances when the responsibility for industrial relations in Beedi Industry has been entrusted to the State Governments ;

(c) whether all the Industries, in which Labour Welfare Fund has been created so far comes under the jurisdiction of the Centre, whereas Beedi industry as a whole comes under the jurisdiction of the States ; and

(d) whether the Central Government will consider the question of entrusting the work of implementation of both these Acts to the State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang sai) : (a) Yes Sir.

(b) The Acts as passed by the Parliament require the Central Government to administer them. As such the Beedi Workers Welfare Fund is also being administered by the Central Government.

(c) The mines for which welfare funds are created, come under the jurisdiction of the Central Government for the purpose of the Industrial Disputes Act. The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 is administered by the State Governments.

(d) There is no proposal to transfer the administration to State Governments.

चिकित्सा परिषद् अधिनियम के बारे में इन्टीग्रेटिड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन

3112. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टीग्रेटिड मेडिकल प्रेक्टीशनर्स एसोसियेशन ने सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की धारा 17 को लागू न किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 17 को लागू करने का निर्णय लिया गया था और उसे पहली अक्तूबर, 1976 से लागू कर दिया गया था ।

महाराष्ट्र के सांगली डिवीजन में दैनिक डिलीवरी सुविधाएं

3113. **श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सांगली डिवीजन में 100 प्रतिशत दैनिक डिलीवरी सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से पांच और शाखा डाकघर खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त डाकघर किन किन स्थानों पर खोलने का प्रस्ताव है और इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुकदेव सई) : (क) जी हां ।

(ख) इन स्थानों के नाम इस प्रकार है :—

(1) वट्टी (2) जोलाम्बी (3) कोन्होली (4) अम्बोले और (5) पेडलोंद ।

यदि इन प्रस्तावों का औचित्य सिद्ध हुआ तो 31-3-1978 तक उनके कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ।

Building of Post Office in Jhalawar

†3114. **Shri Chaturbhuj:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Post Office building in Jhalawar (Rajasthan) a district headquarter, is very small, and congested and is this affecting the efficiency of the employees ; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Jhalawar Head Post Office is housed in a rented building owned by the Municipality. Though the accommodation is less than justified as per departmental norms, efficiency is not hampered as the available space is sufficient to meet minimum requirements.

(b) The Municipality is not willing to sell the present building to the P&T Department. The Department has taken up the case with Collector, Jhalawar, for purchasing a plot of land for construction of a Departmental building.

जी० एम० टी० उड़ीसा द्वारा अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाना

3115. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जी० एम० टी०, उड़ीसा सर्किल, भुवनेश्वर ने आपात् स्थिति के दौरान कितने अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया था तथा उनमें से कितने अधिकारियों को अब तक सेवा में बहाल किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुकदेव सई) : उड़ीसा के महाप्रबन्धक, दूर संचार, ने नौ कर्मचारियो को समय से पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया था । उनमें से दो कर्मचारियों की आयु सेवा-निवृत्ति अर्थात् 58 वर्ष की हो गई है । उनमें से एक कर्मचारी का देहान्त हो गया है । शेष छह कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

Enquiry Report on Death of Dr. Ram Manohar Lohia

3116. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay the report of the Commission who enquired into the death of Late Dr. Ram Manohar Lohia in Willingdon Nursing Home, on the Table of the House and if not, the reasons therefor ; and

(b) the names of the doctors who were attending on Dr. Lohia and the lapses on their part and the action being taken against the persons responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) & (b) : Copies of the Committee's Report are being placed in the Parliament Library. Action on the report is under consideration.

विदेश रोजगार प्रकोष्ठ

3117. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेश रोजगार प्रकोष्ठ नामक सैल की संरचना क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : विदेश रोजगार प्रकोष्ठ की संरचना निम्नानुसार है :—

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
उप निदेशक	1
अनुभाग अधिकारी	2
अनुसंधान अधिकारी	2
वरिष्ठ अन्वेषक	2
सहायक	2
कनिष्ठ अन्वेषक	2
आशुलिपिक ग्रेड-II	1
उच्च श्रेणी लिपिक	1
कनिष्ठ संगणक	6
निम्न श्रेणी लिपिक	1
योग	20

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय में प्रशासनिक कर्मचारी

3118. **श्री जी० एन० रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में कुल कितने प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1976 में उन पर तथा कार्यालयों के लिए किराया देने पर कुल कितना धन व्यय किया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के मुख्यालय के नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 223 है। इनमें से 89 अधिकारी हैं और शेष कर्मचारी हैं ।

(ख) वर्ष 1976 में कर्मचारियों को किये गये भुगतान तथा उनके लिए की गई व्यवस्था पर कुल मिलाकर लगभग 37.44 लाख रुपये तथा कार्यालयों के किराये पर लगभग 9.86 लाख रुपये खर्च हुए थे ।

हज यात्रा

3119. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू अवधि के दौरान हज यात्रियों को ले जाने वाले अनेक जहाज अपनी यात्री क्षमता का पूरा उपयोग किए बिना रवाना हुए जबकि तथ्य यह है कि बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनको हज समिति ने अस्वीकृत कर दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे जहाजों की संख्या कितनी है और उनमें कितने रिक्त स्थान थे ; और

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों के व्यापक हितों को देखते हुए हज समिति के पास यह मामला उठाया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) : जी नहीं। 1977 के हज के लिए जाने वाले 10 हज जहाजों की कुल क्षमता को देखते हुए कुल मिलाकर इनमें सिर्फ 219 स्थान खाली रह गए थे। लेकिन चौथा जहाज अपनी क्षमता से 238 यात्री कम ले गया।

(ग) सरकार ने इस समूची समस्या पर समुचित विचार किया है। सामान्यत: हज यात्री प्रस्थान करने से 5 दिन पहले बम्बई पहुंच जाते हैं। यदि कुछ यात्री समय पर नहीं आते और उनकी वजह से कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं तो ऐन मौके पर इन्हें भरना पूरी तरह सम्भव नहीं होता। फिर भी हज समिति मौजूदा हज के लिए उन यात्रियों को लेकर जिनका नाम प्रत्याशी सूची में होता है और यहां तक कि जिनके आवेदन 'कुर्रा' में चाहे अस्वीकृत भी हो गए हों, यदि वे बम्बई में उपस्थित हों तो उन यात्रियों को भी लेकर प्रत्येक जहाज को उसकी क्षमता तक भरने की कोशिश करती है।

Criteria for Setting up of Branch Post Offices

†3120. **Shri Amarsinh Rathua** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the population on the basis of which Branch Post Offices are set up in the rural areas;

(b) the number of B.P.Os. in Gujarat and the number thereof in the backward areas;

(c) whether there is any scheme to improve the postal services in the backward areas and if so, the details thereof; and

(d) whether Government propose to provide telephone facilities in the B.P.Os.?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) Minimum population is one of the conditions governing the opening of branch post offices in rural areas. Details of all conditions including population are set out in Annexure 'A'.

(b) There are 6190 branch post offices in Gujarat, out of which 1378 are in backward areas.

(c) It is proposed to open 57 more Branch Post Offices upto March 1978 to improve the postal facilities to backward areas in the State.

(d) Government propose to provide telephone facilities in those branch post offices which qualify for the facility on the basis of their administrative importance, population of the place, remoteness from existing telephone facility, touristic importance etc.

STATEMENT

Norms for opening of Post offices in Rural Areas

FOR RURAL AREAS

Post Offices to be opened in rural areas have been classified into the following eight categories: —

(i) Remunerative or self-supporting.

(ii) To be opened in payment of N.R.C.

(iii) To be opened in villages with a population of 2,000 or more.

(iv) To be opened for a compact group of villages with a population 2,000 or more.

(v) To be opened for a village or a compact group of villages with a population of less than 2,000.

(vi) To be opened at villages which are the headquarters of Administrative units like Tehsils, Talukas, Thanas etc.

(vii) To be opened at villages which are headquarters of community projects, or where there are schools run by District Boards, Local Boards or Schools run by private parties with the said of State Government or where there are Block Headquarters.

(viii) To be opened in areas which are scheduled as very backward from the point of view of postal development.

2. The above categories are desired in the then Ministry of Transport and Communications letter No. 1-16/56-Plg, dated 18-2-59. There are certain conditions which have to be fulfilled by all proposals in all categories before a post office can be opened. There are certain additional conditions which have to be fulfilled by certain categories in addition to the general conditions. The two categories of conditions are discussed below: —

(A) *Conditions Applicable to all Proposals*

(i) No post office can be opened within a distance of 3.2 Kms. (2 miles) if the proposal falls under any of the categories (i), (ii), (vi), (vii) or (viii).

(ii) No post office can be opened within 4.8 Kms. or 3 miles of an existing post office if the proposal falls in categories (iii) or (iv) or (v).

NOTE: —The distance condition can be relaxed by the Director General in special cases, for example, if there is a natural barrier as unbridged river or hill or forest intervening between the proposed post office and the nearest existing post office.

(iii) Except in case of proposals under category (ii), no proposal for opening of a post office can be sanctioned unless the anticipated revenue or minimum guaranteed income of the proposed post office is at least 25% of its anticipated cost.

NOTE (i): The minimum guaranteed income is not required for post offices proposed to be opened for Defence requirements in border areas.

NOTE (ii): The minimum guaranteed income required in very backward area is 15% of the estimated cost of the proposed post office.

NOTE (iii): The minimum guaranteed income required in hilly areas (regardless for the category) is 10% of the anticipated cost.

(iv) Except in the case of proposals to be opened on N.R.C. the opening of a new post office should not result in the parent office working at a loss beyond the permissible limit of Rs. 500/-.

(B) *Special Conditions Applicable to Various Categories*

(a) *Category (i):* Remunerative or self supporting:

(i) The anticipated income should be more than or equal to the anticipated cost.

(ii) The parent office should also be self supporting.

(b) *Category (ii):*

Post Offices on NRC are classified as in 'General Interest' or in "Limited Interest" as defined below:—

(i) A post office is in "General Interest" when it is justified under the prescribed standards of distance and population even if not justified according to financial standards.

(ii) A post office is in 'Limited Interest' when it is established to meet specific requirements of Governments, individuals, commercial interest or in places where opening of post offices is not justified under the prescribed standards.

In case of an office opened in "General Interest" the NRC recoverable will be an amount over and above the permissible limit of loss prescribed for the category under which the said office would have been opened otherwise.

As regards an office opened in 'Limited Interest' the amount of NRC will be amount equal to the entire anticipated loss of the proposed office subject to the condition that this amount will not exceed the total cost of the proposed post office.

NOTE: If the parent office of the proposed post office was opened on NRC, the proposed post office or any other office in account jurisdiction of such parent office can not be opened on NRC.

(c) *Category (iii):* To be opened in villages with a population of 2,000 or more.

The loss should not exceed Rs. 750/- per annum.

(d) *Category (iv):* To be opened for a compact group of villages with a population of 2,000 or more:

(i) villages to be grouped for purposes of proposals under this category should be within a radius of 2 miles (3.2 Kms.) from the proposed post office.

(ii) The loss should not exceed Rs. 750/- per annum.

(e) *Category (v)*: To be opened for a village or a compact group villages with a population of less than 2,000.

(i) Post Offices can be opened in this category at the discretion of the Head of the Circle if due to spare population and location of villages at long distances, it is not possible to form a group of villages with a population of 2,000 within a radius of 2 miles (3.2 Kms.).

(ii) The loss should not exceed Rs. 500/- per annum.

(f) *Category (vi)*: To be opened at villages which are the Headquarters of Administrative units like Tehsils, Talukas, Thanas etc.

The loss should not exceed Rs. 750/- per annum.

(g) *Category (vii)*: To be opened at villages which are headquarters of community projects or where there are schools run by District Boards, Local Boards or Schools run by private parties with the aid of State Governments or where there are Block Headquarters.

(i) If the population to be served by the post office within a radius of 2 miles is 2,000 or more, the loss should not exceed Rs. 750/- per annum.

(ii) If the population to be served within a radius of 2 miles is less than 2,000 the loss should not exceed Rs. 500/- per annum.

(h) *Category (viii)*: To be opened in areas which are scheduled as very backward from the point of view of postal development.

(i) The permissible limit of loss is Rs. 1,000/- and Rs. 2,500/- per annum under the powers of the Heads of the Circle and the Director General respectively provided the nearest post office is at a distance of at least 3.2 Kms. (2 miles).

NOTE: Since the loss of parent office has been fixed at the maximum of Rs. 500/- per annum and loss of the proposed post office at a maximum of 2,500/- p.a. a post office in this category can be opened if the combined total loss of the proposed post office and the parent office does not exceed Rs. 3,000/- regardless of the component of the loss of the parent office being less or more than Rs. 500/- per annum.

FOR URBAN AREAS

There are no conditions except that the proposed post office should be self supporting and have minimum work-load of 5 hours per day.

पश्चिम बंगाल में डाक खानों का दर्जा बढ़ाया जाना

3121. श्री के० बी० चेतरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में किन शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है ;

(ख) क्या दर्जा बढ़ाए गए डाकखानों में तार तथा टेलीफोन की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी ;

(ग) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग जिले के तीन पहाड़ी सब डिवीजनों में केवल सीमित संख्या में शाखा डाकघर और उप डाकघर है ; और

(घ) यदि हां, तो और अधिक शाखा डाकघरों की स्थापना करने तथा अधिक शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप डाकघर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्रवाई करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरी प्रसाद सुखदेव सई) : (क) पश्चिम बंगाल सर्किल में वर्ष 1977-78 के दौरान देहाती इलाकों के जिन शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाने वाला है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—बारासात डिवीजन के अन्तर्गत 24 परगना जिले में हाटगाछा, संदेशखाली, नजत हाट खोला, दक्षिण प्रेसिडेंसी डिवीजन के अंतर्गत 24 परगना में छोटोमोला खाली फत्तेहपुर, टालडी, बकरोहट बांकुश डिवीजन के अन्तर्गत पुरुलिया जिले में बाघमूंडो, पारा, हुगली डिवीजन में बलीदीवान गंज, बाटानाल, नातिबपुर, राजहाटी बंदर, जलपाईगुड़ी जिले में कमखोता, माल्दा डिवीजन के अंतर्गत पश्चिम दिनाजपुर जिले में गोपालगंज ।

(ख) उपर्युक्त 15 डाकघरों में से चार डाकघरों अर्थात्—संदेशखाली, बाघमुंडी, पारा और गोपालगंज में तार/टेलीफोन सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं । शेष 11 स्थानों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) दार्जिलिंग जिले के देहाती इलाकों में 10 और शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । कुछ मौजूदा शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय उप डाकघर बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Services of Indian Electrical Engineers for Libya

†3122. **Shri Bhanu Kumar Shastri :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Libya have requested the Department of Personnel and Administrative Reforms for the services of Indian Electrical Engineers ;

(b) if so, the facilities these engineers will get in Libya ; and

(c) whether it is a fact that the conditions of Indian Engineers is not good in Libya ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) Yes, Sir. The Government of India have received request from the Government of Libya for Indian technical personnel including electrical engineers for employment on deputation to Libya.

(b) The recruitment of Indian personnel is allowed after the terms and conditions offered are found to be satisfactory. Complete terms and conditions have not been received so far. The salary is fixed according to qualifications and experience ; facilities like free housing or allowance in lieu of, free medical facilities etc. are also provided.

(c) We have not received any general complaints that the conditions of Indian Engineers in Libya are not good. Individual grievances, as and when received, are looked into and whatever assistance is possible is rendered.

Telephone Service Between Etah and Mainpuri

†3123. **Dr. Mahadeepak Singh Sakhya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide direct telephone service between Etah and Mainpuri Districts; and

(b) if so, the action taken in this regard and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) & (b): No Sir. The present traffic does not justify provision of direct circuits between Etah and Mainpuri.

आयातित खाद्य तेल का बम्बई में नष्ट होना

3124. **श्री निहार लास्कर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपिअन एक्सप्रेस जहाज में दोषपूर्ण भंडारण के कारण बम्बई में सैंकडो टन आयातित खाद्यी तेल नष्ट हो गया था, जैसा कि 11 अगस्त, 1977 के दैनिक "हिन्दूस्तान" में छपा था।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार कितना और कितने मूल्य का खाद्य तेल नष्ट हुआ ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 11 अगस्त, 1977 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है लेकिन यह सही नहीं है कि खाद्य तेल की दोषपूर्ण भण्डारण के कारण बम्बई की बंदरगाह पर नष्ट कर दिया गया था। जिन टीनों में यह तेल भरा हुआ था उनमें से कुछ टीन खराब मौसम के कारण रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गये थे और उनमें भरा तेल खराब हो गया था।

(ख) "योरोपीय एक्सप्रेस" नामक जहाज में आर०वी०डी० परमोलीन के 15.5 किलोग्राम वाले टीन थे। खराब मौसम के कारण ये टीन रास्ते में क्षतिग्रस्त हो गये थे। यहां पहुंचने पर 1676 क्षतिग्रस्त टीनों को अलग कर दिया गया था।

(ग) क्षतिग्रस्त टीनों में लगभग 27 टन तेल था और उसका मूल्य लगभग 1.88 लाख रुपए है।

Export of Pig Iron

3125. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the value of the pig iron exported to the foreign countries during the last three years, year-wise and country-wise; and

(b) the value of pig iron proposed to be exported during the current year?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) During the last 3 years, i.e. from 1974-75 to 1976-77, India exported pig iron to 17 countries. The value of these exports during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 was Rs. 7.70 crores, Rs. 23.10 crores and Rs. 71.33 crores respectively. It would not be in our commercial interest to disclose the country-wise value of these exports.

(b) During the current year, pig iron valued at about Rs. 50 crores is likely to be exported, subject to availability and taking into account the domestic demand for the same.

धनबाद के कोयला खान कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम की पालिसियां दिया जाना

3126. **श्री ए० के० राय :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद, ने भारतीय जीवन बीमा निगम, जमशेदपुर द्वारा कोयला खान भविष्य निधि, योजना, 1965 के अन्तर्गत कोयला खान श्रमिकों के 225 स्वीकृत प्रस्ताव तथा पालिसियों के पहले प्रीमियम की राशि जमा कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इतने लम्बे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दोष के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) कोयला खान भविष्यनिधि प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, जमशेदपुर डिवीजन में कोयला खान श्रमिकों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्वीकृति किसी भी प्रस्ताव के पहले प्रीमियम की राशि की अदायगी बाकी नहीं है ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

Opening of Public Call Offices in Rajasthan

†3127. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the progress in regard to opening of new public call offices in Rajasthan particularly in Bharatpur, Kota and Jaipur Divisions is very slow, and if so, the reasons therefor;

(b) the number of new public call offices being opened in these three Divisions along with their locations during the current financial year;

(c) whether cases relating to opening of P.C.Os. in several places of Kota and Bharatpur Divisions have been pending for a long time and if so, the names of places where these are proposed to be opened;

(d) whether the local Gram Panchayats and other institutions in the above two divisions have given the guarantee of revenue from such P.C.Os. or at some places ten or more than ten persons have applied for such P.C.Os.; and

(e) if so, the reasons for not opening P.C.Os. at such places?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai): (a) No, Sir.

(b) & (c): New Public Call Offices are proposed to be opened at 4 places in Bharatpur Division, 10 places in Kota Division and 16 places in Jaipur Division during the current financial year. The names of the places are given below:—

(1) **Bharatpur Division :**

1. Sahajanpur
2. Santha
3. Samochi
4. Shahbad

(2) **Kota Division :**

1. Manoharthana
2. Dag
3. Sultanpur
4. Buhrawada Khurd
5. Itawa
6. Fatehpur
7. Sarola-kalan
8. Raj Mahal
9. Harigarh
10. Panwar

(3) **Jaipur Division :**

1. Karad
2. Bajawa
3. Bichool
4. Dabla
5. Jharli
6. Pachlangi
7. Sakhoon
8. Budana
9. Chapoli
10. Karansar
11. Kotri Luharwas
12. Narhar
13. Mau
14. Puranwas
15. Doojod
16. Med.

All the above 30 cases are current cases pending execution for less than one year.

(d) & (e): There is no such case amongst the above 14 cases in Bharatpur and Kota Divisions. The P.C.Os. are opened progressively according to a phased programme.

Functioning of Garhmora PCO, Bharatpur (Rajasthan)

†3128. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of days when the Garhmora Public Call Office, Gangapur city, Bharatpur (Rajasthan) functioned during the last six months according to the Fault Register ; and

(b) whether no action has been taken by the higher authorities in spite of repeated complaints made by the local Post Master regarding the above P.C.O. remaining out of order ; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Garhmora Public Call Office working off Bamanwas SAX functioned for 172 days during the last 6 months. However, trunk working of the SAX with the parent exchange at Gangapur functioned for 158 days during the period.

(b) Faults are promptly attended to when detected or reported.

दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

3130. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरापुट जिल्हे (उड़ीसा) के दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम करने वाले डाक तार कर्मचारियों को जो परियोजना भत्ता पुनर्वास विभाग के आदेशों के आधार पर समय समय पर मंजूर किया जा रहा था, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ते की मंजूरी 28-2-1977 के बाद अभी तक नहीं दी गई है।

(ख) 28-2-77 के बाद डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता जारी रखने के लिए इस बात की जानकारी मालूम की जा रही है कि कौन-कौन से डाक-तार कार्यालय परियोजना क्षेत्र में अभी भी हैं।

बालाघाट में प्रद्रावक संयंत्र

3131. श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बालाघाट (मध्य प्रदेश) में तांबा अयस्क की खुदाई आरंभ करने और प्रद्रावक संयंत्र की स्थापना करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : बालाघाट जिले के मालजखंड इलाके में कच्चे तांबे का खनन 1981 के अंत तक शुरू हो जाने की आशा है। बालाघाट जिले में प्रद्रावक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा वहां पर तैयार तांबा सान्द्र देश में अन्यत्र स्थित प्रद्रावकों को भेजा जाएगा।

Health Condition in NDMC Area

3132. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the deteriorating health conditions in the New Delhi Municipal Committee area ; and

(b) if so, the steps being taken to improve the working of the Health Department of the New Delhi Municipal Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) No such information/complaint has been received by the Government of India. But the Government are making necessary enquiries in this regard.

(b) Does not arise.

Construction of Building for Telephone Exchange in Gangapur City, Bharatpur (Rajasthan)

†3133. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the dispute about the rent of the building of Gangapur City (Bharatpur, Rajasthan) telephone exchange is pending for a long time, and if so, the reasons therefor;

(b) whether many essential and important articles such as boards batteries and diesel engines of the exchange have been lying outside the building for many months because of the non-expansion of the said building and the exchange has also not been expanded ; and

(c) whether Government propose to construct a new building for telephone exchange in Gangapur city and if so, when ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Negotiations for increase of rent and construction of additional amenities like bath room, lavatory etc. and an engine room were in progress. A final agreement has been reached recently.

(b) No Sir, no exchange equipment is lying outside the building. No immediate expansion of the exchange is planned since there is some spare capacity in the exchange, while there is no waiting list.

(c) For the time being there is no proposal to construct a new departmental building.

Functioning of SAX Telephone Exchange, Bamanwas, Bharatpur District

†3134. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether SAX Telephones Exchange, Bamanwas (Bharatpur, Rajasthan) is not functioning properly and generally remains out of order since its inception ; and, if so, the reasons therefor ;

(b) whether telephone subscribers and representatives of the people have made complaints many times to the officers concerned in this regard but no action to bring about any improvement has been taken so far ; and if so, the reasons therefor ; and

(c) whether no arrangement has been made to replace the equipment to ensure its smooth functioning ; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) No, Sir. The exchange is now functioning well.

(b) Yes, Sir. Complaint was received through Hon'ble Member Parliament of the area. A standby battery set has been provided to ensure that service does not suffer due to power failure. Arrangement is also being made for additional junction line.

(c) In view of the reply given against (a) & (b), necessity for replacement of existing automatic exchange equipment does not arise.

पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के लिए अधिकारियों को विवेकाधिकार

3135. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की मंजूरी देने के लिए अधिकारियों को विशेष विवेकाधिकार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय अधिकारियों को क्या विवेकाधिकार मिले हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में पर्वत प्रतिपूर्ति भत्ता

3136. श्री दुर्गा चन्द : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल सरकार हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को पर्वत-प्रतिपूर्ति भत्ता देती है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को पर्वत-प्रतिपूर्ति भत्ता देने का प्रस्ताव है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तारीख से यह भत्ता दिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को पर्वत-प्रतिपूर्ति भत्ता जैसा कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। अलबत्ता, हिमाचल प्रदेश सरकार के तारीख 19-1-1977 के पत्र सं० 6-4-73 फिन (रैग) के अनुसार हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिपूर्ति भत्ते में पर्वत-प्रतिपूर्ति भत्ता भी शामिल है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को, जिनमें डाक-तार कर्मचारी भी शामिल है, पर्वत-प्रतिपूर्ति भत्ता उन पर्वतीय स्थानों पर दिया जाता है जो 1000 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में आटो एक्सचेंज तथा माइक्रोवेव सिस्टम

3137. श्री. गांचन्द : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर, चम्बा में आटो-एक्सचेंज और माइक्रोवेव सिस्टम स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त 'सिस्टम' कब तक स्थापित किया जाएगा; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख)

1. आटोमेटिक एक्सचेंज :

आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्करों की भारी कमी है। इसलिए मौजूदा मैनुअल एक्सचेंजों को बदल कर उनकी जगह आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का काम उतनी तेजी से नहीं किया जा सका है जितनी तेजी से इनकी जनता की ओर से और विभाग की ओर से मांग की जाती है। आटो एक्सचेंज स्थापित करने के लिए विभिन्न चरणों के कार्यक्रमों पर अंमल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में, राज्य की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को प्राथमिकताएं दी गई हैं।

धर्मशाला और चम्बा जिला मुख्यालय हैं। इनके लिए आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर की क्रमशः वर्ष 1978-79 और 1979-80 में सप्लाई का कार्यक्रम बनाया गया है। आशा है कि ये एक्सचेंज वर्ष 1980 और 1981 के दौरान चालू हो जाएंगे।

पालमपुर जिला मुख्यालय नहीं है। इसलिए आटो एक्सचेंज के उपस्कर की सप्लाई में जब तक वृद्धि नहीं हो जाती तब तक यहां के लिए इन्तजार करना पड़ेगा।

2. माइक्रोवेव :

हालांकि इन स्थानों के लिए कोई माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने की योजना नहीं बनायी गयी है, धर्मशाला-जालंधर मार्ग पर एक मल्टी चैनल यू०एच०एफ० लिंक स्थापित करने की योजना नहीं बनायी गयी है। आशा है यह लिंक वर्ष 1980 में चालू हो जाएगा।

चम्बाडलहौजी के लिए एक और यू०एच०एफ० लिंक स्थापित करने की योजना बनायी गयी है। यह कार्य कुछ समय बाद वर्ष 1978-83 की परिवर्तनशील योजना के दौरान शुरू किया जाएगा।

ट्रंक यातायात कम होने के कारण फिलहाल, पालमपुर से माइक्रोवेव/यू०एच०एफ० लिंक स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, यातायात का समय समय पर पुनरीक्षण किया जा रहा है और जैसे ही व्यवहार्य होगा, एक प्रणाली स्थापित करने की योजना बनायी जाएगी।

पोर्ट ब्लेयर में भविष्य निधि कार्यालय का खोला जाना

3138. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर में अब तक भविष्य निधि कार्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या मालिकों द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण भविष्य निधि के अनेक मामले पश्चिम बंगाल के भविष्य निधि आयुक्त के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) मैसर्स एलबियन प्लाइवुड के प्रबंधक द्वारा भविष्य निधि की देय राशि जमा न करवाये जाने के कारण उनके विरुद्ध सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

श्रम ओर संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंहा) : (क) पोर्टब्लेयर में एक निरीक्षणालय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने पोटब्लेयर में कार्यभार संभालने के लिए एक अधिकारी को कार्यभार से मुक्त कर दिया है। यह कार्यालय बहुत जल्दी कार्य करना आरंभ कर देगा।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सुचना एकत्र को जा रहो है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दो जाएगी।

ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षित करने की योजना

3139. डा० पो० बो० पेरियासामी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ग्रामीण श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए आरंभ की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) प्रस्तावित सात 'पायलट' परियोजना एक कहां-कहां पर आरंभ की जाएगी; और

(ग) क्या यह कार्यक्रम देश के 40 केन्द्रों में चलाया जायेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंहा) : (क) इस योजना का मुख्य प्रयोजन ग्रामीण श्रमिकों को इस संबंध में विवेचनात्मक ज्ञान कराना है कि उनके सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण की समस्याएं क्या हैं; और श्रमिकों, ग्रामीण समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में उनके हक तथा उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस योजना का उद्देश्य इस आशय से उनकी सहायता करना भी है कि वे अपनी समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी तथा उत्तरदायित्व पूर्ण भूमिका निभाए। इस योजना के अन्तर्गत 1977-78 में बोर्ड के 7 क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई जाएंगी। इन परियोजनाओं की परिधि में भूमिहीन श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, वन तथा मत्स्य उद्योग श्रमिक, सीमान्त किसान, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति तथा अधिकारी श्रमिक आएंगे। इन बातों के साथ-साथ इन परियोजनाओं में शामिल किए जाने वाले विषयों का संबंध निम्नलिखित बातों से होगा :—

(1) कृषक आंदोलन तथा ग्रामीण श्रमिक संगठन ;

(2) ग्राम-विकास तथा परिवर्तन ;

(3) सामाजिक तथा विधायी उपाय जिसमें भूमि-सुधार शामिल है ;

(4) सहकारी शिक्षा ; और

(5) जनसंख्या शिक्षा तथा परिवार कल्याण।

(ख) जिन स्थानों पर प्रारंभिक योजनाएं शुरू की गई हैं या शुरू करने का विचार है, वे ये हैं :--

1. अहमदाबाद क्षेत्रीय केन्द्र .	(1) देवढोलेरा ग्राम जिला, अहमदाबाद (2) जैम्प ग्राम, जिला अहमदाबाद।
2. बरेली, क्षेत्रीय केन्द्र . .	(1) जियोलीकोट, जिला नैनीताल। (2) बिजाभाव ग्राम, जिला बरेली।
3. भिलाई, क्षेत्रीय केन्द्र . .	(1) चाडाकुरी, जिला रायपुर। (2) सर्वेक्षण किया जा रहा है।
4. जमशेदपुर, क्षेत्रीय केन्द्र .	(1) खुंटी, जिला रांची। (2) बरहागोरा, जिला सिंहभूम।
5. मंगलोर, क्षेत्रीय केन्द्र . .	(1) मंगलौर, जिला दक्षिण कनारा। (2) गाजीनुर, जिला शिमोगा।
6. नागपुर क्षेत्रीय केन्द्र . .	(1) सेलपुरा ग्राम, जिला वार्धा। (2) सिंदवाही ग्राम, जिला चन्द्रपुर।
7. तेजपुर क्षेत्रीय केन्द्र . .	स्थानों के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ग) इसके बारे में इन प्रायोगिक परियोजनाओं से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर विचार किया जाएगा।

मलेशिया और सिंगापुर से खाद्य तेलों का आयात

3140. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अक्तुबर 1977 के "हिन्दू" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि मलेशिया और सिंगापुर से मद्रास में आयात किया गया खाद्य तेल निम्न स्तर का पाया गया था ;

(ख) क्या सोमा शुल्क और पतन स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनके नमूने केन्द्रोय खाद्य प्रयोगशाला द्वारा दुबारा जांच कराने के लिए विमान से कलकत्ता भेजे थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धो ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Quality of Steel Sheets

3141. **Shri Ugrasen:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the sheets of stainless steel manufactured in the country are of inferior quality and four times costlier than those manufactured in Japan, Poland, West Germany and other countries ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to improve their quality and reduce the prices thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Stainless steel sheets produced in the country meet the quality specifications even for some sophisticated end uses though it might not be possible to satisfy quality requirements for all end uses.

The cost of production varies from country to country but considering the import quotations received by MMTC for import of stainless steel sheets, the cost of production of sheets within the country is higher.

(b) Manufacturers are constantly endeavouring to reduce the cost of production and improve the quality of the stainless sheets by adhering to strict control on specifications, analysing complaints and taking corrective steps. Government is contemplating to set up more production facilities for stainless steel sheets and plates at Salem and Alloy Steel Plant, Durgapur based on modern technology. It is expected that with the commissioning of new facilities their quality will improve and prices will come down.

मूंगफली के तेल में मिलावट

3142. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि विशेषकर दक्षिणी राज्यों में मूंगफली के तेल में, जो कि आम आदमी के लिये खाना पकाने का साधन है, मिलावट पाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत मूलक लोगों को श्रीलंका छोड़ने के लिए रियायत देने की पेशकश

3143. **डा० हेनरी आस्टिन :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री के० टी० कोसलराम :
श्री शंकर सिंहजी बघेला :
श्री सी० एन० विश्वनाथन् :
श्री एम० कल्याणसुन्दरम :
श्री अनन्त दवे :
श्री ईश्वर चौधरी :
श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री के० मालन्ना :
श्री चित्त बसु :
श्री नवाब सिंह चौहान :
श्री एडुआर्डो फलीरो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मूल के अनेक लोगों ने उन पर हमलों के बाद श्रीलंका छोड़ने के लिय रियायत दिये जाने के बारे में श्रीलंका की पेशकश को अब तक स्वीकार नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पेशकश की गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने श्रीलंका में भारतीय राष्ट्रिकों पर हमलों और उनकी हुई हानि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इन भारतीय राष्ट्रिकों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार वहां पर भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिये श्रीलंका सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से सन्तुष्ट है; और

(च) क्या सरकार का विचार अच्छे सम्बन्ध सुदृढ करने के विचार से श्रीलंका को एक शिष्टमंडल भेजने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) : जी हां, जहां तक सरकार को मालूम है, भारतीय मूल के ऐसे बहुत कम व्यक्तियों ने, जो भारत प्रत्यावर्तन के पात्र हैं श्री लंका सरकार के उस प्रस्ताव का लाभ उठाया है जिसम उसने कहा है कि श्री लंका में हाल ही में हुए दंगों में ऐसे जिन लोगों को क्षति पहुंची है उन्हें निःशुल्क यात्रा और 500 रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया जा सकता है।

(ग) सरकार को श्री लंका स्थित भारतीय मूल के ऐसे कुछ व्यक्तियों से वहां के हाल ही में हुए दंगों में नुकसान पहुंचाने के समाचार मिले हैं जो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं अथवा जिन्होंने अन्ततः भारत प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से अपने-आप को पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया है।

(घ) मुआवजे के उनके दावों को निपटाने के लिए श्रीलंका के प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ङ) भारत सरकार को बताया गया है कि श्रीलंका के प्राधिकारी ऐसे सभी संभव कदम उठा रहे हैं जिससे कि श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की जान और माल की रक्षा हो सके और हिंसात्मक दंगे फिर न हों ।

(च) सरकार ने हमेशा से ही विभिन्न स्तरों पर दोनों देशों के बीच आवागमन का समर्थन किया है । लेकिन निकट भविष्य में किसी सद्भावना प्रतिनिधि मंडल को श्रीलंका भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पूर्वी क्षेत्र में खनिज संसाधन

3144. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त खनिज संसाधनों का उस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर कोई सराहनीय प्रभाव परिलक्षित नहीं होता क्योंकि इन खनिजों की खोज और विदोहन ठीक ढंग से नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो बुराइयों को दूर करने के लिये और इस क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था से सीधे सम्बद्ध खनिज संसाधनों का विकास करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा खनिज गवेषण निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र में खनिज स्रोतों की खोज और समन्वेषण का काम लगातार किया जा रहा है । इस क्षेत्र के उन स्थानों में, जहां खनिज स्रोतों की खोज का काम तेजी से चल रहा है, खनिजों की गहन खोज और खुदाई के फलस्वरूप वस्तुतः इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है ।

श्रीलंका के साथ करारों का पुनर्विलोकन

3145. **श्री चित्त बसु :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि श्रीलंका और भारत दोनों देशों में राजनीतिक परिस्थितियों में आये परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए श्रीमावो-शास्त्री तथा श्रीमावो-इंदिरा गाँधी करारों का अब पुनर्विलोकन किया जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कुण्डू) : (क) और (ख) : भारत और श्रीलंका के बीच भारतीय मूल के व्यक्तियों से सम्बद्ध 1964 के करारों को क्रियान्वित करने का कार्य अधिकारी स्तर पर निरन्तर समीक्षाधीन है । स्वयं करार पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसके अतिरिक्त भारतीय मूल के 150000 व्यक्तियों से सम्बद्ध 1974 के अनुपूरक करार पर अमल तभी किया जाएगा जब 1964 के करार पर अमल पूरा हो जाएगा ।

Discussion with U.S.S.R. for scrapping Visa and Passport

†3146. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether during the recent talks with Soviet Russia issue of scrapping passports and visa for travel to both the countries was also discussed ; and

(b) whether Government intend to send delegations of students, youths, teachers, trade union workers, etc. to Soviet Russia for promoting mutual Indo-Soviet Cooperation ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) No, Sir.

(b) It is not the practice of the Government of India to sponsor delegations of students, youths, teachers, trade union workers to any country. Such delegations visit Soviet Union and other countries on the basis of invitations extended by the corresponding organisations in these countries and these visits take place on a non-governmental basis.

मैसर्स क्रिश्चियन माइका इण्डस्ट्रीज लि०, डोमचंच का सरकारीकरण

3148. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री क्रिस्चियन माइका इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा मजदूरों को मजूरी का भुगतान न करने के बारे में 28 जुलाई 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5287 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स क्रिस्चियन माइका इण्डस्ट्रीज लि० और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लि० (संबंधित कं०) स्वामित्व वाली अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों की दिनांक 20 जुलाई, 1977 को बैठक बुलाई थी तथा उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श कया था ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा और निर्णयों की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत जांच करके इस कम्पनी को राष्ट्रीय हित में अपने हाथ में लेने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : जी, हां । इस बैठक को बुलाने का प्रयोजन अन्तर्ग्रस्त विषयों से संबंधित विभिन्न पक्षों के विचारों का पता करना तथा स्थिति का मूल्यांकन करना था ।

(ग) कम्पनी कानून बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अधीन कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है और इस बारे में संबंधित अन्तर्ग्रस्त विषयों की जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा ।

बिहार स्थित चिरिया क्षेत्र में लोह आयस्क भंडार का विकास और उपयोग

3149. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार बिहार के चिरिया क्षत्र में भारी मात्रा में पाये गये लौह अयस्क भण्डार के विकास और उपयोग के लिये योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : इस्पात क्षेत्र के लिए पूंजी की कम उपलब्धि होने की मुख्य कठिनाई के कारण केन्द्रीय सरकार का चिरिया के लौह अयस्क का विकास और उपयोग करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सहायक उद्योगों का विकास

3150. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :**
श्री गोविन्द राम मिरी :
श्री छविराम अर्गल :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों ने अपने सहायक उद्योग विकसित किये हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वे चुने गये कारखानों को अपने संयंत्र के सहायक उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दे रहे हैं और अन्य उद्योगों का विकास कर रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : भिलाई इस्पात कारखाने द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के फलस्वरूप भिलाई में बड़ी संख्या में लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित हो गई हैं जो ऐसा माल तैयार करती हैं जो भिलाई इस्पात कारखाने और अन्य कारखानों को सप्लाई किया जाता है । इनमें से कुछ इकाइयों को "सहायक उद्योगों" के रूप में मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव प्रबन्धकों के विचाराधीन है ।

तीन वर्ष तक परमाणु विस्फोट न करने के बारे में सोवियत रुस का प्रस्ताव

3151. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन वर्ष तक परमाणु विस्फोट न करने सम्बन्धी सोवियत रुस के प्रस्ताव पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमित अवधि के लिये परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने की संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरे देखी हैं कि सोवियत संघ ने नाभिकीय अस्त्र परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने और शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट करने पर तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) तथा (ग) : नाभिकीय अस्त्र प्रसार निरोधक संधि पर हस्ताक्षर न करने के सरकार के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि अपने वर्तमान स्वरूप में यह एक असमान और भेदभावपूर्ण संधि है ।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त की आलोचना

3152. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री के० मालन्ना :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने, जबकि वह ब्रिटेन में थे, जहां कहीं भी वह भारतीय ब्रिटन के लोगों से मिले, हर जगह भारतीय उच्चायुक्त की आलोचना की थी; और

(ख) क्या भारत सरकार एक मंत्री द्वारा अपने ही राजदूत की आलोचना किया जाना उचित समझती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ब्रिटेन की 2 से 6 सितम्बर, 1977 की यात्रा के दौरान वहां की किसी भी बैठक में भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त की आलोचना नहीं की थी।

(ख) यह बात विदेश का दौरा करने वाले मंत्रियों पर निर्भर करती है और सामान्यतः ऐसी आलोचना की कोई गुंजाईश नहीं होती है।

Bauxite Exploration in Surguja District of Madhya Pradesh

3153. **Shri Parmanand Govindjiwala :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) what steps have been taken to exploit the huge reserves of bauxite in Manipet plateau in Surguja District of Madhya Pradesh; and

(b) is there any proposal to establish a National Laboratory by the Council of Scientific and Industrial Research in Madhya Pradesh for the development of minerals and forest resources ?

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda) : (a) A feasibility report was got prepared by a Soviet agency for setting up an export-oriented alumina plant based on Mainpat bauxite deposits. The feasibility report concluded that the exploitation of these deposits will not be economical for export of alumina. It was, therefore, not possible to proceed further in the matter.

(b) The Council of Scientific and Industrial Research has under consideration a proposal to set up a Research Laboratory in Madhya Pradesh for building up of design, engineering, development capabilities, and appropriate technologies, keeping in view the requirements of that State.

मध्य प्रदेश में फैरो मैंगनीज संयंत्र

3154. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में मैंगनीज के भारी निक्षेपों का विदोहन करने के लिए उक्त राज्य में फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कुरिया मुण्डा) : जी नहीं।

Minimum Wages to Employees of Kendriya Khan Mazdoor Chikitsalaya, Bihar

3155. **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether 26 employees of Kendriya Abhrak Khan Mazdoor Chikitsalaya, Karma (Koderma), Bihar (Central Mica Mines Workers Hospital) being run with Mica Labour Welfare Fund have been working for the last 8-10 years at wages of Rs. 3/- per day and the minimum wage of Rs. 5.80 fixed by the Central Government is not being paid to them ; and

(b) whether Government propose to take proper action to ensure payment of minimum wages to them and regularise them in service and if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Shri Larang Sai) : (a) and (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Training of Rural Health Workers in the Country

3156. **Shri R. L. P. Verma :**
Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :
Shri Daya Ram Shakya :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) the number of Rural Health Workers (Gram Swastha Rakshak) trained in each State under the new Rural Health Scheme so far and the number of Rural Health Workers out of them provided with jobs ; and

(b) the number of women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the training centres in Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) About 15,202 Community Health Workers (Jan Swasthya Rakshak) are undergoing training at the selected Primary Health Centres in the country. This is the first batch of such workers undergoing training. A statement showing state-wise position is placed at Annexure 'A'. On completion of training of the present batch of the Community Health Workers by the end of December, 77, they would go back to their villages to serve the community. They will be paid honorarium at the rate of Rs. 600/- per annum and another Rs. 600/- worth of medicines per annum by the Government.

(b) Information is being collected.

STATEMENT

Number of PHCs selected and approximate number of Community Health workers undergoing training in the various States

Sl. No.	Name of State/Union Territory	No. of Districts Under MPW	No. of Districts Non-MPW	Total	No. of PHCs selected for CHW Programme	Approximate No. of CHWs undergoing training
1	2	3	4	5	6	7
1	Andhra Pradesh . .	4	17	21	101 (84+17)	2020
2	Assam	..	10	10	10	200
3	Bihar	..	31	31	31	620
4	Gujarat	8	11	19	103 (92+11)	2060

STATEMENT—*Contd.*

1	2	3	4	5	6	7
5	Haryana . . .	2	9	11	25 (16+9)	500
6	Himachal Pradesh .	..	12	12	12	240
7	Jammu & Kashmir . .	..	10	10	7	N.A.
8	Karnataka . . .	..	19	19	..	..
9	Kerala	2	9	11	40 (31+9)	800
10	Madhya Pradesh . .	..	45	45	45	900
11	Maharashtra . . .	5	21	26	97 (77+20)	1940
12	Manipur . . .	1	5	6	13 (8+5)	260
13	Meghalaya . . .	..	5	5	3	60
14	Nagaland . . .		7	7	N.A.	42
15	Orissa	..	13	13	13	260
16	Punjab	2	10	12	22 (12+10)	440
17	Rajasthan . . .		26	26	27	540
18	Sikkim	..	4	4	4	80
19	Tamil Nadu . . .		15	15	Nil	..
20	Tripura	..	3	3	3	60
21	Uttar Pradesh . . .	7	48	55	182 (134+48)	3640
22	West Bengal . . .		15	15	15	300
23	A. & N. Islands . .		2	2	1	20
24	Arunachal Pradesh .		5	5	5	N.A.
25	Chandigarh . . .		1	1	1	20
26	Dadra & Nagar Haveli .		1	1	1	20
27	Delhi		2	2	..	..
28	Goa, Daman & Diu .		3	3	3	60
29	Lakshadweep		1	1	..	..
30	Mizoram. . . .		3	3	3	60
31	Pondicherry . . .		4	4	3	60
					770	15202

मंत्रियों द्वारा विदेशों में हस्ताक्षर किए गए करार/विवरण/संधियां

3157. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या विदेश मंत्री मंत्रोयों की विदेश यात्राओं के बारे में 16 नवम्बर 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दोनों के द्वारा किन-किन करारों, विवरणों और सधियों पर हस्ताक्षर किये गये और उनका ब्योरा क्या है ; और

(ख) सरकार द्वारा जारी किये गये निमंत्रणों को जिन देशों के मंत्रोयो ने स्वीकार किया उनके नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) अप्रैल-अक्तूबर, 1977 के बीच विदेश मंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान जिस करार/वक्तव्य/प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर हुए थे वह भारत-तन्जानियाई संयुक्त आयोग का सहमत कार्यवृत था जिस पर विदेश मंत्री ने तन्जानिया की अपनी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। सहमत कार्यवृत्त में औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग की समीक्षा को गयो जिसमें ऊर्जा एवं हाइड्रोकारबन्ज और व्यापार के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार किया गया। विदेश राज्य मंत्री ने अप्रैल-अक्तूबर, 1977 के दौरान विदेश यात्रा पूरी नहीं की जो कि उन्होंने अक्तूबर, 1977 में थी।

(ख) निम्नलिखित राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और मंत्रियों ने, जिन्हें इन यात्राओं के दौरान आमंत्रित किया गया था, सिद्धान्त रूप में निमंत्रण स्वीकार कर लिया है :

(i) बर्मा के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री ।

(ii) नेपाल के विदेश मंत्री ।

(iii) अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और विदेश कार्यों के प्रभारी मंत्री ।

Implementation of Recommendations of Bhor Committee

3158. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the Bhor Committee had submitted its report 30 years ago on which no action was taken; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b): In essence the major recommendations of Bhor Committee was establishment of Primary Health Centres for the rural areas. At present there are 5373 Primary Health Centres and 37,931 Sub-centres functioning in the country. It is expected by the end of 5th Five Year Plan, there will be atleast one Primary Health Centre for each of the Community Development Blocks.

सरकारी उपक्रमों में नौकरियों के लिए अखिल भारतीय स्तर का एक रोजगार कार्यालय खोलना

3159. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का सरकारी उपक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों को "प्रथम आओ प्रथम पाओ" के आधार पर रोजगार देने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर का रोजगार कार्यालय खोलने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : जी, नहीं ।

प्रयोगात्मक डाकघर मंजूर करने के लिये उदार नीति

3160. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तार विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रयोगात्मक डाक घरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों के लिये मंजूरी देने संबंधी नीति को उदार बनाने के लिये आदेश जारी किये हैं ; और

(ख) क्या क्षेत्रीय कार्यालय सरकार के उदार नीति का पालन कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) गांवों में दैनिक डाक वितरण सेवा का विस्तार करने के उद्देश्य से चलते-फिरते शाखा डाकघर और शाखा डाकघर खोलने की मंजूरी देने के लिये और कुछ श्रेणीगत स्थानों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी देने के लिये एक उदार नीति तैयार की गई है। इस नीति पर कार्यान्वयन के लिये इसे डाक सर्किलों एवं दूरसंचार सर्किलों के अध्यक्षों के पास भेज दिया गया है।

(ख) जी हां।

"इस्कोज जीतपुर कोलियरी इन डेन्जर : वर्क स्टाप्ड"

3161. **श्री वसन्त साठे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1977 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "इस्कोज जीतपुर कोलियरी इन डेन्जर : वर्क स्टाप्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : जनवरी, 1976 से जीतपुर कोलियरी की सीम संख्या 14 में तथा इसके आस-पास स्ट्रेटा मूवमेंट के कारण अप्रैल, 1977 से इस सीम से उत्पादन रोक दिया गया था। फिर भी कोलियरी की अन्य सीमों से उत्पादन सामान्य रूप से हो रहा है। सीम सं० 14 में पुनः स्थापना कार्य भी शुरू किया गया है। स्ट्रेटा नियंत्रण की समस्या के समाधान के लिए सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद की सहायता से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टिटयूट ने सीम सं० 14 के तल संचलन का विशेष रूप से अध्ययन करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस क्षेत्र में पोलैंड के विशेषज्ञों से भी तकनीकी सहायता प्राप्त की गई थी। इस समस्या का अध्ययन करने और इसके समाधान के बारे में सुझाव देने के लिए पोलैण्ड के 4 विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में जीतपुर पहुंचा है।

जहां तक चसनाला की कोयला खान का सम्बन्ध है, "डीप माइन" को पुनः चालू करने के लिए कार्रवाई की गई है। भविष्य में खान से कोयला निकालने के बारे में सलाह देने, सुरक्षात्मक पहलुओं पर विचार करने तथा किये जाने वाले कार्य की प्रकृति के बारे में सुझाव देने के लिए एक सलाह-

कार समिति का गठन किया गया है। चसनाला दुर्घटना का पता लगाने के बारे में जांच न्यायालय को 2 रिपोर्टों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। श्रम तथा संसद कार्य मंत्री ने संसद में विभिन्न दलों के नेताओं से उक्त रिपोर्टों को जांच करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए अपना-अपना एक-एक प्रतिनिधि नामित करने का अनुरोध किया है।

ब्रिटिश पारपत्र धारी भारतीय

3162. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विभिन्न देशों को लिखा है कि वे वहां रह रहे ऐसे भारतीयों की संख्या बतायें जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने देशों ने सूचना दे दी है ; और

(ग) ब्रिटिश पारपत्रधारी कुल कितने भारतीय विदेशों में रह रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) : ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारतीयों के विषय में विशिष्ट रूप से पूछ-ताछ करने के सम्बन्ध में कोई पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन विदेश मंत्रालय विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की कुल संख्या का पता लगाने का प्रयत्न कर रहा है। उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।

Provident Fund Outstanding against Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay and No. 2, Ujjain (MP)

3163. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the amount of Provident Fund deposited by the owners and shareholders of Phoenix Textile Mill No. 1, Bombay and Phoenix Textile Mill No. 2, Ujjain (Madhya Pradesh) during the last three years and the amount outstanding against them; and

(b) the action being taken by Government to realize the arrears ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha) : (a) and (b) : The The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Gazetted and Non-Gazetted Employees of P&T who got themselves sterilized during Emergency

3164. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of gazetted and non-gazetted employees in the Ministry who got themselves sterilized during emergency ; and

(b) whether Government would conduct an enquiry to find out whether some of the operations were done forcibly ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : The number of such employees is 5,962. Necessary details regarding those employees who were allegedly forced to undergo sterilization have been furnished to the Department of Family Welfare for necessary further action.

Increase in Production of Steel

3165. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the extent to which production of steel is likely to increase after three years as compared to that during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : Total production of saleable steel in the Country is likely to be about 10 million tonnes in 1980-81 as compared to about 8 million tonnes in the current year.

ब्रिटेन के ढांचे पर स्वास्थ्य योजना

3166. **डा० बापू कालदाते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन में व्यवहार में लाई जा रही स्वास्थ्य योजना के ढांचे पर आम जनता के लिये एक स्वास्थ्य योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उपयोग की अवधि समाप्त होने के बाद लगाये गये टीकों का बच्चों पर प्रभाव

3167. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर, 1977 के राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा कस्बे में जो टीके बच्चों को लगाये गये थे, उनमें 4 और 5 वर्ष के बच्चों के हाथों में पीप पड़ गया था ;

(ख) क्या टीकों के उपयोग की अवधि समाप्त होने के कारण ऐसा हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है और केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को ऐसी दवाइयों के उपयोग के मामले में जांच कराने तथा इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए निदेश देगी ताकि वहां लोगों में संतोष की भावना पैदा हो जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : राजस्थान सरकार से रिपोर्ट मंगाई गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

6—366 LSS/ND/77

P. C. O. and Telegraph Facilities to Rural Post Offices and in Khagaria Sub-Division, Bihar

†3168. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to provide telegraph and P.C.O. facilities in the rural Post Offices functioning efficiently for many years ;

(b) if so, the number of such Post Offices proposed to be provided with these facilities during 1977-78 ; and

(c) the number of Post Offices in Khagaria Sub-Division of North Bhagalpur and Monghyr Districts in Bihar to be provided with these facilities ?

The Minister of State in the Ministry of Communication (Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai) : (a) & (b) : Telegraph & PCO facilities are provided in rural Post offices if the provision of the service is viable. The service is also provided on loss to certain categories of stations depending on their population, administrative importance, remoteness from existing facilities, touristic interest etc. The Target for 1977-78 was fixed at 1000 PCOs and 1300 COs but later on it was raised to 4,000 PCOs and COs in the 2 year period 1977-78. Efforts are being made to exceed the original target during 1977-78 so as to meet the 2 year target in time.

(c) Khagaria Civil Sub-Division falls in Monghyr District and not in North Bhagalpur District. The number of post offices at category stations in Khagaria Sub-Division yet to be provided with these facilities are as under:

Telegraph facilities . . .	13
PCO facilities	14

त्रूटिपूर्ण नक्शों के कारण चसनाला खान दुर्घटना

3169. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की : कृपा करेंगे की :

(क) क्या हाल ही में कोई ऐसा साक्ष्य मिला है जिससे यह पता चला है कि चासनाला खान दुर्घटना त्रटिपूर्ण नक्शों के कारण हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) और (ख) : सम्भवत: माननोय सदस्य का संकेत सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन, धनबाद के निदेशक श्री एस० बागची द्वारा दिय गय कुछ वक्तव्यों से है जो 11 तथा 12 नवम्बर, 1977 के कुछ समाचार-पत्रों में छपे थे। श्री बागची ने उनके द्वारा दिय गय बताये जाने वाले कुछ वक्तव्यों के बारे में इन्कार किया है। त्रुटिपूर्ण नक्शों के प्रश्न के बार में ऐसा लगना है कि श्री बागचो ने केवल यही कहा था कि जहां तक उन्हे मालूम है चसनाला खान दुर्घटना "पुराने नक्शों को अद्यतन न करने तथा नक्शों का ठीक तरह से मिलान न करने के कारण" हुई थी। जाहिर है कि यह उनका व्यक्तिगत विचार था जो स्वतंत्र रूप से किये गये किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं था।

न्यायाधीश श्री० यू० एन० सिन्हा की अध्यक्षता में गठित जांच-न्यायालय की रिपोर्ट में दर्ज साक्ष्य के अलावा कोई नया साक्ष्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

Increase in Production of Steel

3170. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are making efforts to increase production of Steel during the current year ; and

(b) if so, the target set for total production this year ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Yes, Sir.

(b) The aggregate target of production of saleable steel from the integrated steel plants for 1977-78 is 7.373 million tonnes against the actual production of 6.922 million tonnes in 1976-77.

Action against Guilty Officers

†3171. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6287 on the 4th August, 1977 and state:

(a) whether Government have since collected the facts ;

(b) if so, the details thereof and the action being taken against the guilty officers ;

(c) whether it is a fact that Government have not been able to act against these officers because they are very influential ; and

(d) if not, the reasons why action has not been taken so far ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) & (b) : Yes, Sir. The information in respect of parts (a) and (b) of Unstarred Question No. 6287 provisionally answered on 4th August 1977 was furnished to the Department of Parliamentary Affairs on November 24, 1977 for laying it on the Table of the House. As regards parts (c) and (d) thereof, despite efforts by the Indian High Commission in London no information has so far come to light regarding the alleged incident.

(c) & (d) : Do not arise.

Hindi Speech by Minister of External Affairs in U.K.

†3172. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that, besides English newspapers, all the Hindi newspapers were also supplied with only the English version of the speech he delivered in the U.N. General Assembly recently ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) how far the Embassy is responsible for sending only English version ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) : (a) to (c) : The Hindi version of Foreign Minister's speech at the UN General

Assembly could not be distributed in time to Hindi newspapers in India because Hindi telex link is not available between New York and Delhi. The Hindi version was despatched by the Permanent Mission of India to the UN in New York by the first available Diplomatic Bag and promptly distributed to newspapers etc. in India.

Number of Hindi and English Typists in the Indian High Commissions

†3173. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Hindi as well as English typists, clerks, stenographers and typewriters in the Indian High Commission in U.K., Canada and Australia as well as in Indian Embassy in United States of America separately; and

(b) whether the employees working against the English and Hindi posts of same categories are getting uniform pay scales; if not, the reasons therefor and the pay scales of each category?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri S. Kundu) :

(a) The required information is furnished in the statement laid on the Table of the House.

(b) The pay scales of employees whether against Hindi or English posts are uniform.

STATEMENT

Number of Hindi and English Typists in the Indian High Commissions

	English	Hindi	Total
(i) *U.K. — High Commission of India, London* :			
(a) *India-based staff :*			
Stenographers	23	..	23
U. D. C.	23	..	23
L. D. C.	24	1	25
	70	1	71
(b) *Local staff :*			
Junior Assistants	33	..	33
Shorthand Typists	14	..	14
Typists	20	..	20
	67	..	67
(c) *Typewriters :*	150	2	152

STATEMENT—*Contd.*

	English	Hindi	Total
(ii) *CANADA — High Commission of India, Ottawa:*			
(a) *India-based staff:*			
Stenographer	3	..	3
Clerk-Typist	..	..	..
	3	..	3
(b) *Local staff:*			
Stenographer-cum-Social Secretary	1	..	1
Clerk-Typists	6	..	6
	7	..	7
(c) *Typewriters:*	16	..	16
(iii) *AUSTRALIA — High Commission of India, Canberra:*			
(a) *India-based staff:*			
Stenographer	3	..	3
Clerk-Typist	..	..	..
	3	..	3
(b) *Local staff:*			
Stenographer	..	..	..
Clerk-typists	5	..	5
	5	..	5
(c) *Typewriters:*	14	..	14
(iv) *UNITED STATES OF AMERICA—Embassy of India, Washington:*			
(a) *India-based staff:*			
Stenographers	15	1	16
Clerk/Typists	8	..	8
	23	1	24

STATEMENT—*Contd.*

	English	Hindi	Total
(b) *Local staff :*			
Senior Clerks	19		19
Stenographer Secretaries	3		3
Steno-Typists	8		8
Junior Clerks	30	..	30
	60	..	60
(c) *Typewriters :*	72	2	74

डाक लिफाफों का आकार और मूल्य

3174. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग बड़े और छोटे दो आकार के डाक लिफाफे निकालने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मूल्यों में कोई अन्तर है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) : ऐसा एक प्रस्ताव डाक-तार विभाग के विचाराधीन है ।

'ट्रोपोस' संचार सम्पर्क

3175. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने 'ट्रोपोस' संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1977 में सोवियत रुस के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सम्पर्क स्थापित हो गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी हां । भारत और सोवियत संघ के बीच टेलीफोन तार, टेलेक्स आदि के परियात को निपटाने के उद्देश्य से टोपस्कैटर संचार सम्पर्क स्थापित करने हेतु भारत और सोवियत संघ की सरकारों ने, 27 अप्रैल, 1977 को, एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

(ख) इस परियोजना की लागत 3.90 करोड़ रुपये आंकी गई है । आशा है कि योजना 1980 तक पूरी होगी ।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 52 का 20 से कम श्रमिकों को रखनेवाले कारखानों पर लागू किया जाना

3176. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, 1952 केवल उन्हीं कारखानों पर लागू होता है जहां 20 या उससे अधिक लोग काम करते हैं ;

(ख) क्या विभिन्न न्यायालयों ने '20 व्यक्तियों' शब्दों का अर्थ ऐसे 20 लोगों से लिया है जो नियमित रूप से काम कर रहे हों ;

(ग) क्या कारखानों के मालिक उक्त अधिनियम के लागू होने से बचने के लिए उपरोक्त व्याख्या का लाभ उठा रहे हैं और वे 20 से कम लोगों को नियमित नौकरी पर रखते हैं और शेष को नैमित्तिक के रूप में ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : कर्मचारी भविष्य निधि प्रधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :--

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 इन पर लागू होता है :—

(क) प्रत्येक प्रतिष्ठान जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा कारखाना हो तथा जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, और

(ख) बीस या उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला कोई भी अन्य प्रतिष्ठान या ऐसे प्रतिष्ठानों का वर्ग जिन्हें इस बारे में केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट करें ।

तथापि, यह अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा :—(क) ऐसे प्रतिष्ठान पर जिसमें 50 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों प्रतिष्ठान को स्थापना को तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए परन्तु जहां 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, वहां प्रतिष्ठान को स्थापना की तारीख से 5 वर्ष के लिए; अथवा (ख) सहकारी समितियां अधिनियम (1912 का 2) के अधीन पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान पर या किसी ऐसे अन्य कानून के अधीन जो किसी राज्य में पचास से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली तथा पावर की सहायता के बगैर चलने वाली सहकारी समिति के संबंध में फिलहाल लागू हो ।

(ख) मैसर्स टी० एस० हरिहरण के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि ऐसे कुछ व्यक्तियों के रोजगार को जिन्हें किसी आपात् स्थिति के कारण नियुक्त किया गया हो या जिन्हें असामान्य परिस्थिति के कारण किसी अल्पावधि के लिए नियोजित करना आवश्यक हो गया हो, जो प्रतिष्ठान के कारोबार में नियमित रूप से होने वाली चीज नहीं हैं, कर्मचारी भविष्य निधी तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 1(3) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों को संख्या की गणना करने के लिए शामिल नही किया जा सकता ।

(ग) और (घ) : अधिनियम से बचने के कुछ मामले देखने में आए हैं । अधिनियम के प्रवर्तन से बचने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रवर्तन कर्मचारियों को सतर्क कर दिया गया है ।

गुजरात में डाकघरों का खोला जाना

3177. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ नये डाकघर खोले जाने हैं ;

(ख) चालू वर्ष में कितने नये डाकघर खोले गये हैं ; और

(ग) वर्ष 1978 में कितने डाकघर खोलें जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई) : (क) जी हाँ ।

(ख) कुल 91 डाकघर खोलने का लक्ष्य है । उनमें से चालू वर्ष (1977-78) के दौरान अब तक 41 डाकघर खोले जा चुके हैं ।

(ग) वर्ष 1978-79 के दौरान (31-3-79 तक) 98 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

गार्डन रीच क्षेत्र कलकत्ता में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन अस्पताल खोलना

3178. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन गार्डन रीच क्षेत्र कलकत्ता जिसमें अधिक तथा औद्योगिक श्रमिक रहते हैं, एक अस्पताल खोलने के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने, जिसे इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया था, सूचित किया है कि उन्होंने यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया था, जो कि उस राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेवार है । राज्य सरकार ने निगम को निम्नानुसार सूचित किया है :—

300 बिस्तरों वाला एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बज-बज में पहले ही चालू हो चुका है । ठाकुरपुर में 250 बिस्तरों वाले एक अन्य अस्पताल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि उक्त दो अस्पताल गार्डन रीच क्षेत्र के बीमाकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जो कि अधिक दूर नहीं हैं । तथापि, राज्य सरकार गार्डन रीच क्षेत्र में एक अन्य अस्पताल खोलने की संभावना पर विचार कर रही ।

Double Telephone Lines from Madhavpur (Ghed) to Mangrol, District Junagarh

†3179. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) when the work for providing double telephone lines from Madhavpur (Ghed) to Magrol in Junagarh District, Gujarat was started and the progress made in this regard ;

(b) when the aforesaid double lines are likely to start functioning ; and

(c) whether traders had made any demand or had launched any agitation in this regard and, if so when and the nature of demand made by them and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) & (b) : The work has commenced in July 1977. Brackets are being provided for accommodating second pair. The alignment is also being shifted for better maintenance. The erection of second pair is expected to be completed in early 1978.

(c) There was agitation in July 1977 for the inefficient telephone service. Defects have been attended to and provision of second trunk circuit for improved trunk service is in progress.

Telephone Exchange at Saman, Jamnagar District

†3180. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether 30 persons of the Samana Village of Jamjodhpur Taluka in Jamnagar District, Gujarat, have deposited money a year ago for opening a telephone exchange there ; and

(b) if so, when a telephone exchange will be opened there ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes, Sir.

(b) A 50 line small automatic Telephone Exchange has been planned for Samana. It was earlier hoped to commission the exchange by March, 1978. However due to temporary shortage of certain line materials, it is now expected to be commissioned during 1978-79.

Connecting Shedhwadala in Jamnagar District from Dharafa Telephone Exchange

†3181. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Shedhwadala village Panchayat in Jamjodhpur Taluka of Jamnagar District, Gujarat, has made a demand for a telephone line from Dharafa Telephone Exchange ; and

(b) if so, when a telephone connection will be provided to the said village ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir. Shedhwadala village Panchayat in Jamjodhpur Taluka of Jamnagar District, Gujarat made a demand for a PCO but not for a telephone connection as such from Dharafa telephone exchange and the demand has since been withdrawn.

(b) The place is not a category station for providing the P.C.O. on loss under the present policy. The PCO can be provided after rent and guarantee terms are accepted.

Telephone to Nani Papdi and Moti Papdi Villages, Rajkot District

†3182. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the cooperative Society of Nani Papdi village and the people of Moti Papdi in Dhoraji Taluk in Rajkot District in Gujarat have demanded installation of telephone connections and if so, when ;

(b) the reasons for delay in providing telephone connections to this Society and the people ; and

(c) the time by which they are likely to be provided telephone connections ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdeo Sai) : (a) Yes Sir. The demands were received in 1974.

(b) These connections are long distance telephones for which large quantity of stores are required. A few such cases of skipped over connections are pending installation in various parts of the country because of limitation of financial and material resources.

(c) Action is being taken to clear these cases progressively.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र द्वारा कनोई इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० को 30,000 टन लोहा सकल स्क्रैप की बिक्री

3183. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या एक समझौते के अनुसार, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ने लगभग 30,000 मीट्रिक टन लोहा सकल स्क्रैप (लेडल्स और मिक्सर स्पाउट्स) की कनोई इण्स्ट्रीज प्राइवेट लि०, कलकत्ता को बिक्री की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कम्पनी से अब तक कुल कितनी रकम वसूली हुई है और उसने कितना माल उठाया है; और

(ग) क्या अधिकारियों ने यह मत व्यक्त किया है कि उक्त कम्पनी अपने करार सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने को इच्छुक नहीं है और उक्त कनोई इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, कलकत्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने एक टेंडर के आधार पर 14-2-75 को 30,000 टन लोहा सकल स्क्रैप (लेडिल्स एण्ड मिक्सर स्पाउट्स) 415 रुपये प्रति मी० टन (उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और अन्य खर्चे शामिल नहीं हैं) की दर से मैसर्स कनोई इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० कलकत्ता को बेचना स्वीकार किया था। खरीदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि यदि कच्चे लोहे के रेलवे स्टेशन तक निष्प्रभार मूल्यों में वृद्धि हुई तो वह बढ़े हुए मूल्य अदा करेगा। करार की अवधि 18 महीने की थी तथा पार्टी द्वारा बयाने के रुप में जमा की गई एक लाख रुपये की राशि करार के आरम्भ होने पर जमानत की राशि मान ली गई थी। पार्टी निर्धारित समय में करार में दी गई समस्त मात्रा उठाने में असफल रही। पार्टी ने कुल लगभग 8520 मी० टन माल ही उठाया।

(ग) पार्टी करार में किए गए अपने वायदे का पालन करने में असफल रही है। दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने पार्टी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि पार्टी ने करार में वर्णित अपने दायित्वों की उपेक्षा की है और उनका पालन करने में विफल रही है। पत्र में यह भी कहा गया है कि बाकी माल को कम्पनी के जोखिम और कीमत पर बेचने के उपाय किए जा रहे हैं और यदि इस प्रकार की गई पुनः बिक्री से कम कीमत मिलती है तो कमी पार्टी से पूरी की जायेगी। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों का करार की शर्तों के अनुसार पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है।

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प के कामगारों के विवाद का समाधान

3184. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय श्रम आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय का आदेश दिया था कि वह उत्तर प्रदेश हस्त शिल्प के कामगारों के साथ अपने विवाद का समाधान करें;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में राज्य सरकार को क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त विवादों का इस बीच समाधान हो गया है; और यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। केन्द्रीय सरकार ने या मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया।

बिहार में खनिजों की रायल्टी में वृद्धि

3185. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों की रायल्टी की दर पर पुनर्विचार करने के प्रयोजन के लिए चार वर्ष की अवधि को घटाकर दो वर्ष करने के बारे में बिहार की राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने यह जानकारी भी दी है कि रायल्टी का भुगतान किये बिना ही कुछ अनाधिकृत व्यक्ति बड़ी संख्या में खानों का उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) जी हां।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) में खनिजों पर रायल्टी की दरों में चार वर्ष की अवधि में केवल एक बार परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। यह व्यवस्था तर्कसंगत समझी जाती है।

(ग) राज्य सरकार ने कुछ पार्टियों द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं पर स्वीकृत स्टे-आर्डरों के फलस्वरुप हो रहे कोयले के अवैध खनन के मामलों की ओर कोयला विभाग को लिखा था। बाद में इन स्टे-आर्डरों को सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित कर दिया है।

(घ) केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में संशोधित आदेशों के प्रकाश में समुचित कार्यवाही की जाए।

पटना में टेलीफोनों के बारे में शिकायतें

3186. श्री युवराज प्रसाद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में पटना में टेलीफोनों के ठीक काम न करने के बारे में शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं और गत वर्ष इसी अवधी में कितनी शिकायतें दर्ज की गई थी; और

(ग) टेलीफोन ठीक काम करें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) वर्षा ऋतु में शिकायतों की संख्या कुछ अधिक रही है; किन्तु साफ मौसम शुरु होते ही शिकायतों की संख्या कम हो गई है।

(ख) शिकायतें आम तौर पर टेलीफोनों के कार्यकरण के संबंध में हैं। पिछले छह महीनों के दौरान शिकायतों के माहवार आंकड़े और पिछले वर्ष में उन्हीं महीनों के आंकड़े अनुबंध (अगले पृष्ट पर) में दे दिए गए है।

(ग) टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए नीचे बताए गए कदम उठाए जा रहे है :—

(i) आंतरिक और बाह्य संयंत्रों की जांच और उनकी पूरी मरम्मत के लिए एक विभिन्न चरणों का कार्यक्रम शुरु किया गया है। इस वर्ष उपभोक्ताओं के 50 प्रतिशत उपकरणों और फिटिंग की पूरी मरम्मत करने की योजना है और शेष 50 प्रतिशत के ओवरहाल का काम अगले वर्ष किया जाएगा।

(ii) बार-बार पैदा होने वाली खराबियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि शिकायतें कम आएं।

(iii) वर्षा ऋतु में केबुल की खराबियाँ कम करने के उद्देश्य से भूमिगत केबुलों को धीरे-धीरे प्रेशराइज किया जा रहा है।

Ferro-Manganese Plant in Madhya Pradesh

3187. **Shri Govind Ram Miri :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state whether Government propose to set up a Ferro-Manganese Plant in Madhya Pradesh in view of large deposits of manganese there?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : Government have no such proposal at present.

अनुबंध

महीना और वर्ष	प्रति 100 टेलीफोनों पर प्रतिमास शिकायतें		प्रति 100 टेलीफोनों पर प्रतिमास खराबियां		कालों की खराबी का प्रतिशत				कैफियत
					स्थानीय		जंक्शन		
	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	
अप्रैल 76	79.0	70.0	46.0	33.0	2.3	2.0	3.0	3.0	
अप्रैल 77	59.0	60.0	36.7	35.0	2.0	2.0	4.1	3.0	
मई 76	86.0	70.0	48.0	33.0	2.4	2.0	3.1	3.0	
मई 77	68.6	60.6	40.6	35.0	1.87	2.0	4.1	3.0	
जून 76	85.0	95.0	55.0	40.0	2.3	2.0	3.2	3.0	वर्षा ऋतु के महीनों (जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर) का लक्ष्य।
जून 77	60.08	70.0	38.13	45.0	2.3	2.0	4.3	3.0	
जुलाई 76	85.0	108.0	55.0	40.0	1.86	2.0	3.2	3.0	
जुलाई 77	77.0	70.0	47.2	45.0	2.1	2.0	4.3	3.0	
अगस्त 76	84.0	85.0	51.0	40.0	2.4	2.0	10.0*	3.0	*जंक्शन काल फेल होने के प्रतिशत ज्यादा होने का कारण यह था कि क्रास बार एक्सचेंज से स्ट्रांगर एक्सचेंज का और स्ट्रांगर एक्सचेंज से क्रासबार एक्सचेंज को जंक्शन काल फेल रही। अगस्त 76 में आई० सी० आर० ओ०/जी० चेनों पर स्तर ऊंचा करने का काम चलने के कारण शिकायतें ज्यादा आई। इससे सेवा पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
अगस्त 77	69.0	70.0	45.25	45.0	2.6	2.0	4.3	3.0	
सितम्बर 76	78.0	85.0	49.0	40.0	2.3	2.0	5.0	3.0	
सितम्बर 77	63.0	70.0	40.0	45.0	2.0	2.0	3.7	3.0	
अक्तूबर 76	66.4	70.0	40.5	33.0	2.5	2.0	5.6	3.0	
अक्तूबर 77	64.0	60.0	41.0	35.0	2.6	2.0	3.9	3.0	

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में बाक्साइट के निक्षेप

3188. **श्री गोविन्द राम मिरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरगुजा जिला (मध्य प्रदेश) के मनोपेट पठार में वृहद बाक्साइट निक्षेपों का विदोहन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या वैज्ञानकि तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का विचार खनिज/बन संसाधनों का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने का है; और

(ग) क्या राज्य में चुना पत्थर और बाक्साइट के निक्षेपों का विदोहन सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है तथा क्या उसका विदोहन निकट भविष्य में करने का प्रस्ताव है; और यदि नहीं, तो गैर-सरकारी क्षेत्र को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) मैनपत बाक्साइट भंडारों पर आधारित निर्यात-प्रधान एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु एक साध्यता रिपोर्ट सोवियत एर्जेसी से तैयार कराई गई थी। साध्यता रिपोर्ट का निष्कर्ष था कि एल्यूमिना निर्यात हेतु इन भंडारों का समुपयोजन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए इस मामले पर आगे कार्रवाई करना संभव नहीं था। फिलहाल इन भंडारों के समुपयोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मध्य प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन, इंजीनयरी, विकास क्षमताओं तथा समुचित औद्योगिकी निर्माण के लिए वहां एक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात और एल्यूमनियम संयंत्रों की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रमशः मध्य प्रदेश के चूना पत्थर तथा बाक्साइट भंडार वाले कुछ क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में खनन आदि के लिए आरक्षित कर दिया गया है। परन्तु क्षेत्रों के इस प्रकार के आरक्षण पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाता है।

बकाया टेलीफोन बिल

3189. **श्री बी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर 1 अक्तूबर 1977 को टेलीफोन बिलों की 10,000 रुपये या इससे अधिक की राशि बकाया थी; और

(ख) क्या प्रत्येक मामले में टेलीफोन कनेक्शन काट दिया गया है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) : वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मंत्रिमण्डल स्तर क मंत्रियों के टेलीफोन बिल और टेलीफोन कालों की अधिकतम सीमा

3190. **डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के निवास-स्थानों पर लगे टेलीफोनों के 1 अप्रैल, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक के टेलीफोन के बिलों की कुल राशि कितनी है; और

(ख) क्या मंत्रियों द्वारा किये जाने वाले टेलीफोन के उपयोग पर कोई अधिकतम सीमा लगाई गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के निवास स्थानों पर लगे हुए टेलीफोन कनेक्शनों से संबंधित 1-4-77 से 30-9-77 तक की अवधि के टेलीफोन बिलों की कुल धनराशि संलग्न विवरण पत्र में दे दी गई है। इन धन राशियों में शामिल किये हुए स्थानीय कालों के कुछ बिल अभी जारी किए जाने हैं। ट्रंक काल बिलों की धनराशि में सभी टेलीफोन कनेक्शनों के 30-9-77 तक की अवधि के ट्रंक काल बिल शामिल नहीं है।

(ख) डाक-तार विभाग की ओर से मंत्रियों द्वारा टेलीफोन के उपयोग पर कोई पाबंदी नहीं है।

विवरण

मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों के निवास-स्थानो पर लगे टेलीफोन कनेक्शनो से संबंधित 1-4-77 से 30-9-77 की अवधि के टेलीफोन बिलों की कुल धनराशि प्रदर्शित करने वाला विवरण-पत्र

	रुपये
1. प्रधान मंत्री	30,222.10
2. संचार मंत्री	21,064.10
3. ऊर्जा मंत्री	19,706.40
4. कृषि और सिंचाई मंत्री	26,683.50
5. पेट्रोलियम और रसायन मंत्री	40,843.16
6. वाणिज्य, सिविल सप्लाई और सहकारिता मंत्री	17,011.95
7. श्रम और संसदीय कार्य मंत्री	11,349.25
8. रेल मंत्री	12,001.85
9. शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री	5,666.90
10. रक्षा मंत्री	27,139.00
11. उद्योग मंत्री	6,630.95
12. सूचना और प्रसारण मंत्री	10,343.00
13. वित्तमंत्री	11,194.65
14. गृह मंत्री	16,377.80
15. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	4,127.95
16. पर्यटन और सिविल विमानन मंत्री	18,516.83
17. इस्पात और खान मंत्री	7,737.00
18. पुनर्वास निर्माण और आवास मंत्री	6,438.29
19. विदेश कार्य मंत्री	15,691.90
20. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	39,472.25

रोजगार के लिए विदेशों में जाने वाली नर्सें

3191. श्री बी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 और 1977 के दौरान रोजगार की खोज में कुल कितनी प्रशिक्षित नर्सें भारत छोड़कर विदेश चली गई; और

(ख) प्रशिक्षित नर्सों के इस निष्क्रमण को, विशेष रुप से जो सरकारी खर्च पर प्रशिक्षित की गई है, रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में नियुक्ति के लिए 1976 में 151 नर्सों को और 1977 में 610 नर्सों को चुना गया था। फिर भी यह पता नहीं है कि वास्तव में इनमें से कितनी नर्सें गई है। इसके अतिरिक्त यह आंकड़े भारत सरकार द्वारा स्पांसर की गई नर्सों के बारे में हैं और इसमें वे नर्सें शामिल नहीं हैं तो अपनी मर्जी से गई है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विदेश में नियुक्तियों के लिए बनाए जाने वाले पैनल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए चिकित्सकों परा-चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के आवेदन पत्र भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू कर दिया गया था जिनके आवेदन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को पहले ही भेजे जा चुके थे और जिन्हें विदेशीं नियुक्ति के लिये भी चुन लिया गया था। फिर भी इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है तथा केवल उन्हीं नर्सों को डेपुटेशन पर विदेश जाने की अनुमति दी जा रही है जिनके मामले में विदेश मंत्रालय यह समझता है कि यह अनुमति देना संबंधित देशों के साथ हमारे राजनीतिक और आर्थिक हित में होगा। विदेशी एजेंसियों को नर्सों का चयन करने के लिए सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाती और भर्ती करने वाली एजेंसियों के भर्ती बोर्डों/समितियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए भी विदेश मंत्रालय को सलाह दे दी गई है।

अमरीकी कारपोरेशन के भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर में शेयर

3192. डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के इंटरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ कारपोरेशन के भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलोर में शेयर हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अमरीकी कारपोरेशन से अपने शेयर छोड़ने को कहने के लिए क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) अमरिका की इन्टरनेशनल टेलीफोन एण्ड टेलीफोन कार्पोरेशन द्वारा नियंत्रित इन्टरनेशनल स्टेण्डर्ड इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन न्यूयार्क के पास इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलोर के हिस्से हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा इन हिस्सों को लेने की शर्तों पर इन दिनों बातचीत चल रही है।

पासपोर्टों के लिए अनिर्णित पड़े आवेदन पत्र

3193. **श्री बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तुबर, 1977 को विभिन्न पारपत्र कार्यालयों में पासपोर्टों के लिए कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे;

(ख) 31 अक्तुबर, 1976 को कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे;

(ग) पारपत्र कार्यालयों में जमा हुए काम को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पारपत्र कार्यालयों में जमा हुए काम का निपटान करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों का व्यवस्था करने में कोई कठिनाई है और यदि हां, तो स्थिति ठीक करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 31-10-1977 को तथा 31-10-76 को अनिर्णीत आवेदनों को कुल संख्या बतायी गई है। कालम चार में उन आवेदनों की कुल संख्या बतायी गयी है जो सर्वांगपूर्ण नहीं थे और कालम पांच में उन आवेदनों को संख्या बतायी गयी है जो सर्वांगपूर्ण हैं किन्तु निपटाये जाने हैं।

(ग) और (घ) : आवेदनों को इस बढ़ी हुई संख्या को निपटाने के लिए सरकार ने नौ पासपोर्ट कार्यालयों में लिपिकों के 247 पद और बढाये हैं। दस महीने में (जनवरी-अक्तूबर 1977) में पिछले वर्ष की इसी अवधि को अपेक्षा 51 प्रतिशत अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। सरकार इस स्थिति पर निगरानी रख रही है और जब कभी आवश्यक होगा फिर समुचित उपाय बरतेगी।

विवरण

क्र० सं०	पासपोर्ट कार्यालय	31-10-1976 को अनिर्णीत पासपोर्ट आवेदनों की संख्या	31-10-1977 को अनिर्णीत आवेदनों की कुल संख्या	31-10-1977 को एक मास से अधिक अवधि से अनिर्णीत सर्वांग-पूर्ण आवेदनों को संख्या
1	2	3	4	5
1	अहमदाबाद	11,524	22,399	21,684
2	बंबई	13,064	26,931	11,082
3	कलकत्ता	2,727	5,403	1,656
4	चंडीगढ़	20,420	44,971	29,422
5	दिल्ली	15,785	39,173	21,985
6	अर्नाकुलम	46,539	1,02,453	80,480
7	हैदराबाद	7,377	24,892	10,543
8	लखनऊ	10,275	17,892	11,431
9	मद्रास	14,924	37,696	32,465
	कुल योग	1,42,635	3,21,760	2,20,748

7—366 LSS(ND) 77

वर्क्स कमेटी

3194. **श्री के० रामसूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वर्क्स कमेटी का गठन नहीं किया जाता है (देखिए वर्ष 1976-77 के लिए मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन, पृ० 138); और

(ख) इन राज्यों से यह जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) वर्क्स कमेटियां, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 3 (i) के अधीन इन राज्यों में गठित की जानी अपेक्षित हैं।

(ख) बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से सूचना शीघ्र भेजने के लिए पुनः प्रार्थना की गई है ।

महिलाओं के लिए उच्च दक्षता प्रशिक्षण और प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शी पाठ्यक्रम

3195. **श्री के० रामसूर्ति : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन तीन व्यवसायों के नाम क्या हैं, जिनमें मार्च, 1977 में महिलाओं के लिए उच्च दक्षता प्रशिक्षण और प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया था; और

(ख) किन किन स्थानों पर उनकी स्थापना की गई है और कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में मई, 1977 में मार्गदर्शी आधार पर उच्च दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरु किए गए थे । अब तक शुरू किए गए व्यवसायों और इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित/प्रशिक्षण दी जाने वाली महिलाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

नियमित पाठ्यक्रम :

ड्रेस मेकिंग में उच्च दक्षता प्रशिक्षण	71
कशीदाकारी और नीडल क्राफ्ट में उच्च दक्षता प्रशिक्षण . . .	22
कटिंग और टेलरिंग में अनुदेशक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम . . .	49
ड्रेस मेकिंग	16
सचिवालयिक पद्धति	7

बम्बई और बंगलोर में स्थापित महिलाओं के लिए 2 क्षेत्रीय, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में तीन व्यवसायों अर्थात (1) ड्रेस मेकिंग, (2) सचिवालयिक पद्धति और (3) इलैक्ट्रानिक्स में इस वर्ष के दौरान केवल बुनियादी दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। अगस्त 1978 से उन व्यवसायों में उच्च दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के शुरू करने का विचार है।

इलैक्ट्रानिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में फैलोशिप

3196. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में इलैक्ट्रोनिक्स और प्रोसेस इन्स्टूमेंटेशन के लिए उच्च प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध 20 फैलोशिप का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) वर्ष 1976-77 के लिए मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में किस प्रकार यह दावा किया गया है कि यह संस्थान जनवरी, 1976 से क्रियात्मक (फंकशनल) हो गई है, जबकि परियोजना प्रबंधक, जनवरी, 1976 में केवल एक महीने के लिए अपने पद पर रहा, परामर्शदाता जुलाई-अक्तूबर, 76 तक ही अपने पद पर रहा और डोमेस्टिक इलैक्ट्रोनिक्स विशेष केवल जुलाई, 1976 से अपने पद पर था?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित करार के उपबन्धों के अनुसार, परियोजना प्रलेख में की गई 20 छात्रवृत्तियों को क्रमिक ढंग से 5-5 छात्रवृत्तियों के 4 बचों में उपयोग किया जाना है—1975 में दो बैच, 1976 में एक बैच और 1977 में एक बैच । अन्य देशों में इसी प्रकार के संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी निदेशक और परियोजना प्रबंधक को देने और राष्ट्रीय कर्मचारियों को छात्रवृत्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थानों का भी पता लगाने के लिए स्वीडन और अन्य देशों में उनके अध्ययन दौरे के लिए परियोजना प्रलेख में व्यवस्था की गई है। चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में एक नियमित परियोजना प्रबंधक की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए यह प्रस्ताव किया गया कि केवल निदेशक ही संयुक्त अध्ययन दौरा करेंगे।

2. विभिन्न प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण यह दौरा ठीक समय पर नहीं किया जा सका और उन्होंने यह 1977 अर्थात, 11-4-1977 और 3-6-1977 में ही किया। निदेशक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होने अन्य बातों के साथ साथ प्रथमतः उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रॉनिकी, हैदराबाद के चार अधिकारयों के लिए छात्रवृत्तियों को सिफारिश की।

3. छात्रवृत्तियों के उपयोग में देरी के लिए सहायक कारण ये थे कि ये छात्रवृत्तियां उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलैक्ट्रानिको, हैदराबाद के उन कर्मचारियों को दी जानी थी, जिन्होंने अपनी 2 वर्ष को परिवीक्षा अवधि मुश्किल से पूरी की थो । विदेश में प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों के अधीन ऐसे अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने उस विभाग में पांच वर्ष की सेवा पूरी नहीं की थी। इस से सामान्य नियमों में छूट प्राप्त करने की अवश्यकता पड़ी, जिसमें भी समय लगा।

4. वर्तमान स्थिति यह है कि छात्रवृत्तियों का प्रयोग करने के लिए सभी सामान्य शर्तों और औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलैक्ट्रानिकी से 4 अधिकारियों के पहले बैच को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए नामित कर दिया गया है। यह प्रस्ताव किया गया है कि शेष 16 छात्रवृत्तियों का उपयोग यथा-समय किया जाएगा।

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही करने हेतु कुछ केन्द्रक स्टाफ के साथ इस संस्थान की स्थापना जन, 1974 में की गई थी। जनवरी,

1976 में प्रथम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध देशी उपकरण और स्थानीय स्टाफ तथा भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से शुरू किया गया था । 1976 में सारे वर्ष में परियोजना मैनेजर या विशेषज्ञों की कमी से उपलब्ध सुविधाओं के साथ अल्प-कालीन पाठ्यक्रमों के परिचालन में बाधा उपस्थित नहीं हुई ।

मैसर्स हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैप्सूलों का उत्पादन

3197. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मैसर्स हिम्को लेबोरटरीज, सोनीपत (हरियाणा) द्वारा नकली हिमासाइक्लीन कैप्सूलों का उत्पादन करने के बारे में 28 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5159 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिम्को लेबोरेटरीज, सोनीपत (हरियाण) ने 1973 से अब तक किन औषधियों का उत्पादन किया है : और

(ख) उक्त औषधियों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस किन तिथियों को दिये गये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) : सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	औषधियों का नाम	औषधि को बनाने के लिए हिरयाणा सरकार ने जिस तारीख को लाइसेंस दिया
1	2	3
1	एनेयुरिन कम्पाउंड टेबलेट बी० पी० सी०	30-3-70
2	प्रोडिनोसीलीन टेबलेट आई० पी०	तदैव
3	डेक्सामेथासीन टेबलेट	,,
4	हिमको-स्टेप कैप्सूल	,,
5	एसेटिलसाईलिसाइलिक एसिड टेबलेट	28-3-70
6	ए० पी० सी० टेबलेट आई० पी०	तदैव
7	सेबीडन टेबलेटस	,,
8	क्लोरफेनिरामिन टेबलेट यू० एस० पी०	,,
9	डियोने पेंपाइड टेबलेट्स यू० एस० पी०	,,
10	फेरस सलफेट टेबलेटस	,,
11	क्लोरोक्विन फोसफेट टेबलेटस आई० पी०	14-1-74

विवरण—समाप्त

1	2	3
12	डायडों हाइड्रोक्सो क्यूनोलिन टेबलेट्स आई० पी०	14-1-74
13	सल्फालिसामाइड टेबलेट्स (विटामिन) वो विटामिन सो	,,
14	फेनिल बुटागोत्र और अमोडोभाईरिन टेबलेटस एन० एफ० आई०	,,
15	हिमको कफ टेबलेटस	,,
16	आक्सोटेट्रासाईक्लोन टेबलेटस यू० एस० एस० आर० पी०	,,
17	एम्पोसिलीन कैप्सूल बी० पी०	,,
18	क्लोराफिनिकल कैप्सूल यू० एस० पी०	,,
19	सल्फागोनाडोन टेबलेट्स	,,
20	सल्फाडाइमाइडिन टेबलेट्स	,,
21	अनलजोन टेबलेटस यू० एस० एस० आर० पी०	,,
22	पेरासिटामोल टेबलेट्स बी० पी०	,,
23	निवाजोन टेबलेट्स	,,
24	कैलशियम विटामिन डो टेबलेट्स	,,
25	एपामाइड टेबलेट्स	26-2-76
26	हिमापाइरिन टेबलेट्स	26-2-76
27	हिमलजाइन टेबलेट्स	26-2-76
23	कैलशियम ग्लुकोनट टेबलेट्स	14-1-74
29	फेनोबार्विटोन टेबलेट्स आई० पी०	14-1-74
30	पेप्साटेब टेबलेट्स	25-8-75
31	एललटापर टेबलेट्स	26-2-76
32	एस्कोर्बिक एसिड टेबलेट्स आई० पी०	14-1-74
33	हिमको वेसूल्स कैप्सूलस	तदैव
34	टैट्रा साइक्लोन कैप्यूलस आई० पी०	,,
35	क्लोरोप्रोमाइजाइन टेबलेट्स एच० सी०	26-2-76
36	फेनोबार्विटोन सोडियम टेबलेट्स	14-1-74
37	डेक्जामिन टेबलेट्स	तदैव
38	डाइफेन हाइड्रामाइन कैप्सूलस	,,

जम्मू और काश्मीर राज्य में टेलीफोन कर्मचारियों की बर्खास्तगी

3198. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान जम्मू और काश्मीर राज्य में कितने टेलीफोन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया तथा उसके क्या कारण हैं, और प्रत्येक कर्मचारी की सेवावधि कितनी है; और

(ख) उनको सेवा में बहाल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व सौन्दर्य सम्राज्ञी प्रतियोगिता से भारत को सौन्दर्य सम्राज्ञी का नाम वापस लिया जाना

3199. **श्री के० रामसूर्ति :**

श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व सौंदर्य सम्राज्ञी प्रतियोगिता से भारत को सौंदर्य सम्राज्ञी का नाम वापस ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं अथवा क्या इस मामले पर कोई नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) और (ख) : लन्दन में "मीका" द्वारा आयोजित विश्व सुन्दरी-प्रतियोगिता में कुमारी बीना प्रकाश का नाम भारत सरकार की ओर से प्रायोजित नहीं किया गया था। चूंकि प्रतियोगियों में दक्षिण अफ्रीका की एक प्रतियोगी भी थी, इसलिए हमने कुमारी बीना प्रकाश को यह सलाह दी थी की दक्षिण अफ्रीका की जातीय भेदभावपूर्ण नीतियों के विरुद्ध हमारे विरोध के प्रतीक स्वरुप इस प्रतियोगिता में भाग न लें। भारत सरकार को इस बात की खुशी है कि कुमारी प्रकाश ने उसकी यह सलाह मानी। हमारी बराबर यही नीति रही है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार चूंकि जातीय भेदभाव की नीति पर चल रही है और दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक लोगों को आधारभूत मानवाधिकारों से वंचित रख रही है, इसलिए राजनयिक, वाणिज्यिक और दूसरे क्षेत्रों में उसका बहिष्कार जारी रखा जाए।

वर्ष 1980 से 1989 के बीच उपग्रहों से संकेत प्राप्त करने के लिये भू-केन्द्र

3200. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 से 1989 के बीच उपग्रहों से संचार संकेत प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक भू-केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव सई) : (क) और (ख) : उपग्रह से संदेश आदि के उत्सर्जनों (एमीशनस्) के अनुश्रवण के लिए एक भूमि केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Production of Medicinal Herbs in Ladakh

3201. **Shrimati Parvati Devi :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether in view of the present policy of affording protection to and development of ancient Indian Systems of Medicine, Government have given a thought to the question of preservation and propagation as also augmentation of the production of medicinal herbs found in Ladakh ; and

(b) the schemes under consideration to undertake a scientific research in connection with the famous and ancient Ladakhi system of medicine to use the same for the advantage of countrymen ?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) As a step in the direction for preservation, propagation, augmentation and production of medicinal herbs available in Ladakh area, the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has already conducted a preliminary techno-economic survey of the region to assess the qualitative and quantitative wealth of natural resources in that area. It is now proposed to take up an in-depth survey of the region to consider ways and means for the possible augmentation of production of medicinal herbs. It has been observed from preliminary survey that Shilajit, Borax Sulphur, Antimony compound and Jaharmohara etc., are available in many valleys. Musk deer is also available in this area. The survey team had found 413 plants in preliminary survey, out of which Pushkarmoola, Dhoopa, Somalata, Bhutakeshi, Akshot, Salavamishri, Hrivera, Isabgola, Revandachini, Ativisha, Katuki, Pashanabheda, Parasikayavani and Sugandhabala etc. are important plants used in Indian systems of medicine. Podophyllum hexandrum which is used as anti-cancer drug in modern medicine is also available in this area.

(b) The Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy has taken up a research scheme to evaluate scientifically the system of medicine practised in Ladakh before considering its wider applications.

विदेश मंत्री द्वारा आस्ट्रिया का दौरा

3202. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष मई अथवा जून; किसी समय आस्ट्रिया जाने की योजना बनाई थी और इसके बारे में घोषणा भी कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने आस्ट्रिया की यात्रा की थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों;

(घ) क्या उनका जल्दी ही आस्ट्रिया जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और किस उद्देश्य से ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) से (ग) : मैंने सितम्बर, 1977 के तीसरे सप्ताह में आस्ट्रिया की यात्रा पर जाने की योजना बनाई थी लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे यह यात्रा रद्द करनी पड़ गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा के दौरान न्यूयार्क में मेरी भेंट आस्ट्रिया के विदेश मंत्री से हुई थी और मैंने उन्हें यह बताया कि किन कारणों से मुझे यह यात्रा रद्द करनी पड़ी और आस्ट्रियाई विदेश मंत्री ने मेरी असमर्थता को समझा था।

(घ) और (ङ) : जी हां। यह यात्रा परस्पर सुविधा के अनुसार तय की जाएगी। इसके लिए आस्ट्रिया के विदेशी मंत्री ने निमंत्रण दिया है और इससे द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ होने की आशा है ।

मध्य पूर्व देशों को गये मन्त्री और अधिकारी

3203. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मन्त्रियों और अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1976 के आरम्भ में मध्यपूर्व देशों को यात्रा की थी;

(ख) उन्हें वहां से जो बहुमूल्य उपहार मिले, उन पर उनमें से कितनों ने सीमा शुल्क दिया था और उनमें से कितनों ने ये उपहार सरकार के तोशाखाना में जमा कराये थे;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इन मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा ये बहुमुल्य उपहार सरकार के पास जमा न कराये जाने के बारे में जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो जांच की रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कुन्डू) : (क) विदेश मन्त्रालय से जारी की गई वित्तीय संस्वीकृतियों के आधार पर जनवरी से जून, 1976 के बीच जिन मंत्रियों और अधिकारियों ने पश्चिम एशिया की यात्रा की उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) राजस्व विभाग द्वारा उपहारों से प्राप्तो सीमा शुल्क का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। प्राप्त सभी उपहार तोशाखाना में जमा करा दिये गये या उनकी सूचना उन्हें दे दी गयी और उसके बाद उन्हें रख लिय गया जैसी कि नियमों में व्यवस्था है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विदेश मंत्रालय से जारी की गई यात्रा संस्वीकृतियों के आधार पर जनवरी से जून, 1976 के बीच जिन मंत्रीयों ओर अधिकारियों ने मध्य-पूर्व की यात्रा की उनकी सूची

दिनांक	जिन देशों की यात्रा की	नाम
(1)	(2)	(3)
जून 26-30, 1976	ईरान (भारत के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमण्डल)	(1) डा० वो० ए० सईद मोहम्मद, प्रतोक्षा-रत मन्त्री
		(2) श्री के० बालचन्द्रन, भारतीय सिविल सेवा, राष्ट्रपति के सचिव।

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
		(3) श्री के० एल० दलाल, विदेश मंत्रालय में अपर सचिव
		(4) श्री एस० के० भूटानी, विदेश मन्त्रालय में संयुक्त सचिव
		(5) मेजर जनरल के० सुरेन्द्र सिंह, ए०बी० एस० एम०, एमी० सी०, राष्ट्रपति के सन्य सचिव ।
		(6) श्री एच० एस० वाहली, नयाचार प्रमुख, विदेश मंत्रालय
		(7) श्री ए० एम० अब्दुल हामिद, राष्ट्रपति के प्रैस सचिव।
		(8) श्री अख़्तर आलम, भारतीय प्रशासन सेवा, राष्ट्रपति के विशेष सहायक ।
		(9) डा० आर० के० करोली, राष्ट्रपति के चिकित्सक
		(10) श्री एन० एन० विरमानी, गृह मन्त्रालय में संयुक्त उप निदेशक
		(11) श्री० बी० एन बरुआ, राष्ट्रपति के निजी सचिव ।
		(12) श्री के० एल० धवन, राष्ट्रपति के निजी सचिव
		(13) श्री पी० ए० मोहम्मद, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के विशेष सहायक
		(14) लेफ्टिनेंट आर० तलवार, भारतीय नौसेना, राष्ट्रपति के सहायक
		(15) कैप्टन आई० ए० सिद्दीकी, राष्ट्रपति के ए० डी० सी०
		(16) कैप्टन ए० के० वशिष्ट, राष्ट्रपति के ए० डी० सी०
		(17) श्री डी० वी० भाटिया, अनुभाग अधिकारी (पर्यटन)

विवरण—समाप्त

(1)	(2)	(3)
		(18) श्री दरयाव सिंह, राष्ट्रपति के निजी सुरक्षा अधिकारी
		(19) सुबेदार मेजर डी० बी० थापा, जे०सी०ओ० राष्ट्रपति के ए०डी०सी०
		(20) श्री चमन लाल, नयाचार संपर्क अधिकारी
		(21) टी० एस० अशोक, फोटोग्राफी अधिकारी
		(22) श्री डी० एस० जग्गी, राष्ट्रपति के निजी सहायक
		(23) श्री एम० एल० तिवारी, तकनीकी सहायक (औषधालय)
		(24) श्री अब्दुल मजीद, खिदमतगार
		(25) श्री मुशर्रफ अली, खिदमतगार
		(26) श्री अब्दुल मलिक, खिदमतगार
18-26 मार्च, 1976	बहरीन, आबू धाबी और मस्कत (निरीक्षण यात्रा)	श्री एफ० एस० देवार्स, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव

देश में खनिजों का सर्वेक्षण

3204. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा : क्या इस्पात और खान** मंत्री फराख, जम्मू और काश्मीर को खनिजों के खनन के बारे में 17 नवंम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 638 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खानों के सर्वेक्षण, विकास और उत्खनन की कसौटी क्या है;

(ख) क्या न केवल बिहार, उड़ीसा तथा असम में अपितु शेष राज्यों, विशेष रुप से जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल जैसे पिछड़े राज्यों में भी खानों का विकास, सर्वेक्षण मंत्रालय का कार्य है जिससे छिपी संपदा के उत्खनन द्वारा इन राज्यों के विकास के अवसर मिल सकें ;

(ग) क्या कोई ऐसी कसौटी है कि केन्द्र सरकार राज्यों में सर्वेक्षण नहीं कर सकती जबकि सरकार के लिए कोई संवधानिक कानूनी रुकावट नहीं है; और

(घ) क्या सरकार को जम्मू की तहसील रियासी में फराख, जिला डोडा में गांव रांका के निकट माल्दी और जम्मू और काश्मीर में सलाल तथा राजौरी के निकट लौह अयस्क की खानों का पता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री करिया मुण्डा) : (क) खनिज स्रोतों के सर्वेक्षण का मानदंड भारतीय भूसर्वेक्षण संस्था के केन्द्रीय प्रोग्रामिंग बोर्ड द्वारा पूर्ण विचार विमर्श और व्यापक सलाह-मशविरा के बाद निर्धारित कार्यक्रमों पर आधारित होते है, जिसमें संबद्ध राज्य सरकारों, खनन और खनिज संसाधनों के विकास में लगे सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रतिनिधि और गैर सरकारी तकनीकी विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्यक्रम राज्य प्रोग्रामिंग बोर्ड के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। खानों और खनिज-आधारित उद्योगों के विकास के मानदंड भी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं, निर्यात संभावनाओं तथा खनन कार्यों और खनिज आधारित उद्योगों की अर्थवत्ता को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं।

(ख) देश में खनजि स्रोतों की खोज और सर्वेक्षण का कार्य केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों विशेष रूप से भारतीय भूसर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम द्वारा किया जाता है। इसके साथ-साथ राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण और खोज कार्य किए जाते हैं। जो खनिज खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम की अनुसूची-1 में में आते हैं उनके खनन और विकास आदि कार्य केन्द्रीय सरकार के निगमों द्वारा किया जाता है। अन्य सभी खनिजों से संबंधित विकास कार्य राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अथवा निजी खान मालिकों द्वारा किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जम्मू, कश्मीर, अनन्तनाग रियासी और लद्दाख जिलों में लौह-अयस्क और पुरानी खदानों के होने की सूचना मिली है लेकिन फराख, मालदो, सलाल और राजौरी में लौह अयस्क के लिए विगत अतीत में कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।

भारत नेपाल संबंध

3205. **श्री चित्त बसु :**
श्री के० लकप्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल और भारत के बीच कौन सी बड़ी समस्यायें हैं, जिनका समाधान होना बाकी है; और

(ख) मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने हेतु सरकार ने उनका समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कुन्दू) : (क) और (ख) : नेपाल के साथ भारत के हार्दिक मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ौसियों के संबंध हैं जो कि परम्परागत, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐसे अन्य अनेक बन्धनों पर आधारित हैं जो परस्पर एक दूसरे को बांधते हैं। फिर भी नेपाल के लिए व्यापार और पारगमन सुविधाओं और जल संसाधनों को संयुक्त रुप से काम में लाने से सम्बद्ध प्रश्न निरन्तर विचाराधीन है। विदेश मन्त्री जुलाई, 1977 में जब नेपाल की यात्रा पर गये थे उस समय भारत नेपाल संबंधो को और सुदृढ़ करने के लिए तथा गलतफहमियों को दूर करने और दोनों देशों के बीच आस्था और विश्वास को बढ़ाने

के लिए रचनात्मक कदम उठाए गये। विदेश मन्त्री 26 जुलाई, 1977 को अपनी यात्रा के परिणामों के विषय में संसद् में वक्तव्य दे चुके हैं। जैसा कि प्रैस में घोषणा की जा चुकी है, प्रधान मन्त्री 9-11 दिसम्बर के बीच नेपाल की यात्रा करने वाले हैं और आशा है कि इस यात्रा से भारत और नेपाल के बीच परस्पर लाभ के लिए मित्रतापूर्ण और अच्छे पड़ोसियों के संबंधों को सुदृढ़ करने में सहयोग मिलेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 दिनांक 17-11-1977 और अतारांकित प्रश्न संख्या 731 दिनांक 17-11-1977 के उत्तरों की शुद्धि करने वाले विवरण

CORRECTING STATEMENTS TO U.S. Q. No. 682 dt. 17-11-77 and U.S. Q. NO. 731 DT. 17-11-77

17-11-1977 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 682 में श्री चतुर्भुज द्वारा निम्नलिखित पूछा गया था—

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कोटा, राजस्थान में एक अस्पताल बनाने के लिए विशेष सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर अनजाने में हां में दिया गया था। वास्तव में कोटा राजस्थान में एक अस्पताल बनाने के लिए सहायता देने का भारत सरकार का कोई विचार नहीं है। लेखन अशुद्धि के कारण पहले दिया गया उत्तर वास्तविक स्थिति से बिल्कुल विपरित हैं।

इस प्रश्न के सही उत्तर को इस प्रकार पढ़ा जाए:—

"(क) और (ख) कोटा में एक अस्पताल बनाने के लिए सहायता देने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।"

17-11-1977 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 731 के भाग (ग) के उत्तर को ठीक करते हुए 8-12-77 को सभा पटल पर रखा जाने वाला विवरण।

17-11-1977 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 731 में डा० रामजी सिह द्वारा निम्नलिखित पूछा गया था:—

(क) द्वितीय "भारत जनसंख्या परियोजना" के अन्तर्गत जिलों के चुनाव के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या मानदण्ड निश्चित किए है;

(ख) उपरोक्त मानदण्ड की दृष्टि से बिहार सरकार ने किन-किन जिलों की सिफारिश की है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त मानदण्ड और बिहार सरकार की सिफारिश के विपरीत कोई निर्णय लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना बिहार के उपरोक्त जिलों म कब लागू की जाएगी?

इस प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक में दिया गया था। इस उत्तर का विस्तार करने का विचार है। इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"(ग) जी नहीं। लेकिन इस सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा रहा है। विश्व बैंक का मिशन जब भारत में इस परियोजना की जानकारी प्राप्त करने के लिये आयेगा तब उससे परामर्श लेकर इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

श्री कृष्ण कान्त (चंदीगढ) : हम लोहिया के इलाज के बारे चर्चा करने के लिए एक सूचना देना चाहते हैं। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करना चाहिए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब इस बारे में सूचना मिलेगी, हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I want that the hon. Minister should lay the report regarding Dr. Lohia on the table of the House.

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : I have placed that report in the Parliament House's Library. The hon. Members can read it. You may fix time for discussion on this report.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर सूचना भेजी थी यह कोहिनूर मिल्स, कपाड़िया और सेन्ट्रल बैंक आफ बम्बई के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार किया जाने वाली है। इसको दो बार नहीं लिया जा सकता है।

ध्यान आकर्षण सूचनाओं के बारे में
RE : CALLING ATTENTION NOTICES

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni) : Today you have admitted a calling attention notice which is regarding disturbance in a Kanpur Textile Mill. In this connection I had sent questions for the Home Department and Labour Department but they have not been admitted. I want to draw your attention to this matter.

Shri Manohar Lal (Kanpur) : In the Calling attention notice we clearly mentioned the failure of Labour Department but it has been changed to the Home Department. It is a serious matter.

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपने प्रश्नों के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके लिए कृपया आप मेरे चेम्बर में आइये। कई बातों का निर्णय सचिव करता है और फिर यहाँ मुझे कुछ याद नहीं रहता।

Shri Ram Naresh Kushwaha (Salempur) : On a point of order, Sir. The main idea of my question has been changed completely by your office. I asked the number of Central Government employees who have been taught Hindi for the last thirty years and the number of those who do not know Hindi. But the 'last thirty years' has been changed to 'last three years'. This has altered the very spirit of the question.

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने 30 वर्ष की सूचना माँगी है तो प्रश्न को नियमानुसार अस्वीकृत कर दिया जायेगा। 30 वर्ष की सूचना नहीं दी जा सकती है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1296/77।**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कानपुर की कपड़ा मिल में कथित दंगे

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह प्रश्न कानून तथा व्यवस्था से सम्बन्धित होने के कारण राज्य का विषय है। यह यहां वैसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में आ सकता है।

यह प्रश्न श्रम मंत्री को किया जाना चाहिए। मैं विषय की गंभीरता से सहमत हूं परन्तु एक बार राज्य के विषय पर यहाँ चर्चा करने से जटिलताएं पैदा हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा श्रम मंत्री और गृह मंत्री की आपसी सहमति से हुआ है। श्रम मंत्री ने कहा है कि गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री आपकी सहमति के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? सरकार का संयुक्त दायित्व होने का यह तात्पर्य नहीं है कि इसे गृह मंत्री को सौंप दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा क्यों नहीं हो सकता।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि यह श्रम का विषय है तब तो भारत सरकार इसमें दखल दे सकती है परन्तु यदि यह कानून तथा व्यवस्था से सम्बन्धित है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का विषय बन जाता है। मैं इस मामले में आपका मार्गदर्शन चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह दो मंत्रियों के बीच का मामला नहीं है। यह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के कार्यों का सांविधिक विभाजन का मामला है। संसद राज्य सरकार के विषय पर चर्चा नहीं कर सकती है। इसका उत्तर श्रम मंत्री को देना चाहिए। राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहए।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : श्रम मंत्रालय ने कभी भी जिम्मेदारी लेने से इनकार नहीं किया है। जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे पास आया तब मैंने आपको बताया था कि यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार का है न कि केन्द्रीय सरकार का। इसमें दो मामले अन्तर्गस्त हैं। एक श्रम संबंधी है और दूसरा कानून तथा व्यवस्था संबंधी। जिसके परिणामस्वरुप 11 व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि दोनों मामलों में यह विषय उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आता है।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला मेरे पास आया, मैंने सोचा कि यह श्रम मंत्रालय से संबंधित है। मैंने निर्णय किया कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि श्रम संबंधी समस्याएं केन्द्र और राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जब मैंने इसे स्वीकार कर लिया तब मेरे पास श्रम मंत्रालय से पत्र आया कि यह राज्य का विषय है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। आखिर गृह मंत्री और श्रम मंत्री ने बातचीत करके यह निर्णय किया कि इसका उत्तर गृह मंत्री को देना चाहिए। यह उनके ऊपर है। गृह मंत्री कानून तथा व्यवस्था और श्रम कार्य दोनों देख सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : श्रीमान, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"कानपुर के एक कपड़ा मिल में हुए दंगे में पांच व्यक्तियों के मारे जाने के समाचार तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही"।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर में 6 दिसम्बर को दुर्भाग्यपूर्ण तथा खेदजनक घटनाओं के कारण चिन्ता होना स्वाभाविक है।

उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह सूचना प्राप्त होने पर कि स्वदेशी काटन मिल्स के मजदूरों ने मिल के दो अधिकारियों, नामत: सर्वश्री बी० एन० के० आयंगर और आर० पी० शर्मा का घेराव कर रखा है पुलिस अधीक्षक (सिटी) के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुंचे। जैसे ही मैजिस्ट्रेट और पुलिस दल ने दो अधिकारियों को छुड़ाने के लिए मजदूरों से बातचीत करने के वास्ते मिल के परिसर में प्रवेश किया, मजदूरों ने जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी, मैजिस्ट्रेट और पुलिस दल को घेर लिया और ईंट-पत्थरों, लोहे के टुकड़ों, लोहे की छड़ी, भारी एन्गल आइरन पाइपों, तेजाब तथा अग्न्यास्त्रों से भी आक्रमण किया। इस बीच कुछ मजदूर सर्वश्री आयंगर और शर्मा को घसीटकर पास की एक इमारत में ले गये। पुलिस अधीक्षक (सीटी) तथा अन्य कई पुलिस कर्मचारी पत्थराव से गम्भीर रूप से घायल हो गए। जब अश्रुगैस और लाठी प्रहार का कोई असर न हुआ और भीड़ ने अधिक हिंसा के साथ आक्रमण जारी रखा, तो अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अब तक मिल के दो अधिकारियों को छोड़कर 9 मौतें हुयी है। सर्वश्री आयंगर

[श्री धनिक लाल मंडल]

और शर्मा निकट की इमारत की पहली मंजिल पर, जहां उन्हें मजदूर ले गये थे, निर्दयता से पीटाई के कारण मरे पाए गए। अनेक घायल व्यक्तियों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। 230 मजदूर, जिनका दंगे में हाथ था, 6 दिसम्बर तक गिरफ्तार कर लिये गये थे और मिल को एक सप्ताह के लिए बन्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि स्थिति नियंत्रण में है तथा और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर कुछ समय से अपने मजदूरों को मजदूरी का पूर्ण तथा नियमित भुगतान करने में असमर्थ रहा था तथा मजदूर इस कारण बड़े उत्तेजित हो रहे थे। 26 अक्तूबर 1977 को भी एक ऐसी ही घटना हुयी जिसमें मिल के मैनेजर का घेराव किया गया और राज्य सरकार द्वारा मजदूरी के भुगतान का आश्वासन देने के बाद 28 अक्तूबर, 1977 को सुबह समाप्त कर दिया गया था। बताया जाता है की राज्य सरकार ने मिल की बकाया मजदूरी के भुगतान के लिये 28.50 लाख रुपये के ऋण दिये हैं तथा कलक्टर, कानपुर ने मिल के आर्थिक लेन-देन की देख रेख करने के लिए सीमित अधिकारों के साथ एक रिसीवर की भी नियुक्ति की है। उन्होंने इस मिल के एक अन्य कम्पनी में कुछ शेयरों को भी कुड़क कर लिया है जिसे वे अपनी देय राशि वसूल करने तथा मजदूरी के बकाया भुगतान करने के लिये बेचने का प्रयास कर रहे थे। हमें सूचित किया गया है कि राज्य सरकार मजदूरों को उनकी वैद्य राशि देने के सभी संभव प्रयास कर रही है। इस पृष्ठभूमि में यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मजदूरों ने कानून को अपने हाथों में लेना पसन्द किया और हिंसा के गम्भीर कार्य किये हैं।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को तभी रोका जा सकता है जब सभी सम्बन्धित व्यक्ति आवश्यक आत्मसंयम बरते और कानून की उचित प्रक्रिया के माध्यम से उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करें।

Shri Kanwar Lal Gupta : The incident which occurred in Kanpur is a great tragedy. The trouble had been continuing for many months. The workers were not getting their pay and they were carrying on agitation. Had action been taken in time, such situation would have not developed. Since the Janata Party came into power, some people are interested to show by creating such trouble that democracy cannot run in the country and the dictatorship is imperative. In view of this our Government should be more careful.

For this labour grievances should be sorted out without delay and the machinery for reconciliation should be streamlined. Labour problem should be solved in time otherwise it creates law and order problem. Gherao should not be tolerated at any cost.

In this connection I want to know from the hon'ble Minister whether he will call a meeting in which representatives of industrialists, labour and Government are called to find out some solution. Secondly, will the task of enquiry be entrusted to some independent person. Thirdly, you have registered cases of rioting but what about the two persons who had been killed. Why have you not registered this case?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : I fully agree with the hon'ble Member that Gherao etc., should not be permitted and ways of reconciliation should be found out. Here for two days i.e., on 24 and 25 October the Manager was Gheraoed by the workers on account of non-payment of wages to them. However, on assurance given by the District Magistrate that the Government will look into their grievances, they freed the Manager. The State Government should have taken showing action in the beginning. Anyhow enquiry is being conducted to find out the fact. The Government did its level best to ease the situation and they appointed a Receiver. The State Government gave Rs. 28 lakhs for disbursement as wages among the workers. Now in this incident they took away there two officers. The workers indulged in violance and the situation was getting out of hand and then A.D.M. ordered firing. Meanwhile the workers murdered the officers. We are sorry for what has happened. We agree excesses should not be committed on the workers but the workers should also not have resorted to such violance, when the Government was doing so much for them and had given Rs. 28 lakhs towards their wages.

Eleven persons lost their lives and many people had to be arrested. Firing was resorted to, when Superintendent of Police was injured. I would like to state in very clear terms on behalf of the Government that Government would never tolerate gherao whatever may be the reasons.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने दो प्रश्न पूछे थे, एक तो यह कि क्या वह बैठक आयोजित करेंगे और दूसरे, क्या निष्पक्ष जाँच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार करना सरकार का काम है। आपने अपना सुझाव दे दिया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्री कँवरलाल गुप्त एक सामान्य मामले में भी राजनीति लाने का प्रयास कर रहे हैं। वह लोकतन्त्र की तुलना तानाशाही से करने का प्रयास कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय के अधीन है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनका विचार उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने का है। एक महीने के नोटिस के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। मरता क्या न करता—जब तीन महीने तक पैसा नहीं मिलेगा, तो वह क्या करेगा, भूखा मरने से पहले जो उसको भूखा मारना चाहता है, उसको मारेगा। मजदूरों का एक करोड़ रुपया देय था। उसमें से एक तिहाई धनराशि सरकार द्वारा अदा की जानी है और वह भी पता नहीं मजदूरों को मिली है अथवा नहीं।

अगर कम्पनी अपने सारे शेयर किसी कम्पनी को बेच देती है और दिवालिया हो जाती है, तो फिर मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है। उस मजदूर यूनियन का नेतृत्व महानतम मजदूर नेता श्री एस० एम० बनर्जी कर रहे थे। मजदूर तब तक हिंसा पर उतारू नहीं हो सकते थे, जब तक पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने कोई भड़काने वाली कार्यवाही न की हो। वहां पर जनता सरकार को विधान सभा की एक सीट पर हार हुई है, इसलिए वे हिंसक घटनाओं द्वारा पिछली सरकार पर दोषारोपण करना चाहते हैं।

8—366 LSS/ND/77

Shri Charan Singh : The Honourable Member talked of defeat in me of the by-elections, but imagine of a party's activities, which loses 300 seats in the elections.

He is justifying the violance by workers. 28.5 lakhs of rupees were paid to the workers out of an amount of Rs. 98 lakhs which was payable to the workers. This was on 28th of October and this has happened on 5th of December. This period is not 3 months. Even if one does not get food, he has no right to resort to violance. You may incite the workers, but in so far as Government is concerned, it would not allow gheraos and murders and would take stringent measures to deal with them.

Shri Manohar Lal (Kanpur) : During the period of emergency, the C. P. I. and Congress had given full freedom to the Capitalists to reploit the workers. It is totally wrong that there was any Union led by Shri Banerjee of C.P.I. Janta Party people had not incited the workers. At the time of elections, the workers had decided to support the Janta Party. I am very sorry that violance was resorted to and eleven people lost their lives. The Secretary of the mill has sent this paper to me. On 22nd September, a notice was put up that wages would be distributed on 23rd of September, but wages were not distributed. The gherao by workers was lifted at the intervention of D.M., Kanpur. Four months passed, but wages were not distributed. A sum of Rs. 28 lakhs was distributed only when a Receiver was appointed by U. P. Government. A sum of Rs. 20 lakhs is still due.

The workers wanted their dues to be paid. But the Congress leaders in-collusion with the Capitalists wanted to defame the Janta Government, that is why they were hesitent to pay bonus and wages to the workers. The Congress and C.P.I. agents created the disturbances. I would urge the Government to ensure the payment of the wages to the workers.

The Labour Department of U. P. is in collusion with the agents of Congress and C.P.I., otherwise the Department could have taken action within this period of four months.

I would like to know whether Government would take action against the Capitalists and pull up Labour Deptt. for its inaction and whether Government would ensure an atmosphere so that Congress and C.P.I. agents could not indulge in disturbances.

Shri Charan Singh : I have noted down the suggestions of the Honourable Member.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Sonepat) : This calling attention is an eye opener to the Janta Government. I would request Shri M. Ram Gopal Reddy to forget Indira Gandhi and Sanjay Gandhi Mania.

There is a deep conspiracy behind these violent incidents. I know what sort of people are behind these violent incidents. The incidents at Faridabad, Sonepat and Ghaziabad clearly show that there are certain elements which are bent upon defaming the Janta Government and paralysing the administration. I am happy to see that the Home Minister has assured on the floor of the House that violent incidents would be dealt with a strong and iron hand

There is a police complicity. There is a deep rooted conspiracy to defame the Home Minister and the administration. When there were disturbances going on for one and a half months, why no arrests were made. There was laxity on the part of police. This should be enquired into.

This incident was taken lightly. According to the statement, Fire arms, acids and lethal weapons were used in this particular incident. This should be enquired into as to how these arms etc. were smuggled into the factory premises. When Police and even D.M. were not allowed entry, why no timely action was taken. I would like to know whether centre has issued any directions or instructions to the States in this regard. There is a great lacuna in the Industrial Disputes Act. I would like to know whether Government would make suitable amendments in the Industrial Disputes Act and other labour laws

Shri Charan Singh : I do not know exactly whether any Bill is being brought forward to amend the Industrial Disputes Act or not. Whole matter is under consideration of the Ministry.

In my view, persons may make mistakes, but so far as Police organisation is concerned, I have full confidence in their integrity and patriotism. If any member has any specific complaint against any particular officer or person, he may bring it to my notice. I would certainly take action in the matter.

The enquiry is going on and truth would certainly come out. But at present Government is not in a position to issue any categorical statement.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : प्रशासन और पुलिस की इसमें मिली भगत है। क्या कारण है कि 70 गोलियाँ चलाई गई। 2 बजे बुलाने के बाद भी पुलिस 4 बजे तक क्यों अन्दर नहीं गई ?

यह सही नहीं है कि 9 कर्मचारी मारे गये। मेरी जानकारी के अनुसार 15 व्यक्ति मारे गये हैं। उनके परिवारों को पर्याप्त पेंशन और मुआवजा दिया जाना चाहिए, अन्यथा मतदाताओं को दिये गये अपने वचन को हम पूरा नहीं कर रहे हैं।

इस घटना में भी क्या उसी डी० आई० जी० का हाथ है जिसने लखनऊ में शिया-सुन्नी दंगे के समय गलत ढंग से कार्यवाही की थी ? क्या वह किसी अन्य राजनैतिक दल के प्रति निष्ठा रखता है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पुलिस कारखाने में कितनी देर रही और कितनी गोलियाँ चलाई गईं ?

उ० प्र० के मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव को उप-चुनाव में हराने के लिए कुछ लोग कटिबद्ध हैं। वे जनता पार्टी को और विशेष रूप से श्री चरण सिंह को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए इन मामलों की भी जाँच होनी चाहिए।

भू० पू० कांग्रेसी संसद सदस्य श्री सीताराम जयपुरिया का इस घटना में पूरा हाथ है। श्री जयपुरिया ही वह आदमी है जिसने 1971 और 1977 के चुनावों में रायबरेली के लिए सबसे अधिक चन्दा दिया था।

विवरण-पत्र में यह कहा गया है कि श्रमिकों ने, जो संख्या में 1000 से अधिक थे, मजिस्ट्रेट और पुलिस पार्टी पर पत्थरों, लोहे की छड़ों, पाइपों और तेजाब तथा बन्दुक, पिस्तौलों से हमला किया। क्या भूखे मर रहे श्रमिक, जिन्हें महोनों से वेतन नहीं मिला हो, दुनालो बन्दुकों और राइफलों से प्रबन्धकों को मारने जायेंगे? यह किसो विशिष्ट राजनैतिक दल द्वारा किराये पर लिये गये गुण्डों का काम है।**

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भूतपूर्व कांग्रेसी संसद सदस्य श्री सीताराम जयपुरिया का, जो स्वदेशी काटन मिल्स के एक प्रमुख भागोदार हैं, इस घटना में प्रमुख हाथ है?

स्वदेशी काटन मिल्स के मालिक जयपुरिया बन्धु हैं। इसमें लगभग 9000 से अधिक श्रमिक हैं। श्री सीताराम जयपुरिया के रिश्ते के भाई, श्री राजाराम जयपुरिया इसके प्रबन्ध निदेशक हैं। स्वदेशी पोली टेक्स पर भी श्री सीताराम जयपुरिया का स्वामित्व है। यह भी जयपुरिया बन्धुओं की कम्पनी है। श्री सीताराम जयपुरिया ने एक पत्थर से दो चिड़ियों का शिकार किया है। इस घटना से श्री राजाराम जयपुरिया की तो बदनामी होती ही, जनता पार्टी भी बदनाम होगी।

1974 से वेतन का नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। 1975 में श्री राजाराम जयपुरिया ने उत्तर प्रदेश सरकार को नियमित भुगतान करने का आश्वासन दिया था, परन्तु उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। श्रमिकों के पास शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अक्तूबर, 1977 में लगभग 3 दिन तक धरना दिया गया। स्वाधीनता आन्दोलन के समय गृह मंत्री ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में धरना दिया था। **(व्यवधान)**

शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए उत्तरप्रदेश के श्रम मन्त्री ने श्रमिकों को बधाई दी थी। क्या यह भी सच है कि स्वदेशी काटन मिल्स के मालिक के व्यवहार के प्रति उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने भी चिन्ता व्यक्त की थी? क्या यह भी सच है कि जयपुरिया ने तालाबन्दी की घोषणा की थी?

क्या मन्त्री महोदय यह भी बतायेंगे कि सरकार ने शेयरों का अधिग्रहण कर लिया है और भारी मात्रा में सरकारी शुल्क, बिजली के बिलों, बिक्री कर, भविष्य निधि और किराया और अन्य करों आदि का निपटान कर दिया है?

जब कानपुर में श्रमिकों की सामूहिक हत्या हो रही थी, उसी दिन राजाराम जयपुरिया के पुत्र की शादी सीताराम सिंहानिया की पुत्री के साथ दिल्ली में हो रही थी जिसमें कई करोड़ रु० की धनराशि खर्च की गई। इसने आग में घी डालने का कार्य किया। भड़काने वाले तत्वों ने स्थिति का लाभ उठाकर श्रमिकों को भड़का कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी। इन सभी प्रश्नों का गृह मन्त्री स्पष्ट उत्तर दें।

Shri Charan Singh : Shri Sita Ram Jaipuria, an ex. M. P. of Congress and Shri Raja Ram Jaipuria are related to each other, but now there has been division of property and now this factory is in the control of Shri Raja

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

Not recorded.

Ram Jaipuria. Shri Sita Ram has become the owner of one factory at Ghaziabad. (*Interruptions*) I will bring all the information in the notice of U.P. Government. We are prepared to offer the help of the Central Police agencies, if need be, but the entire responsibility is that of the State Government.

During Mahatma Gandhi's time, the congress satyagraha was aimed to put moral pressure and not physical pressure. Gherao is definitely a crime under section 342 or 344 of I.P.C.

The information regarding D.I.G. is very desturbing. I would enquire into it. (*Interruptions*)

तपश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर बाईस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at twenty two minutes past Fourteen of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER, *in the Chair*]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिलों के आर्थिक पिछड़ेपन को हटाने के लिए उपायों के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION Re : STEPS FOR REMOVAL OF ECONOMIC BACKWARDNESS OF FOUR DISTRICTS OF EASTERN UTTAR PRADESH—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य ने मेरे विचार में, चार मुख्य बातों पर ध्यान दिया है : अर्थात् उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पन्द्रह जिलों को प्रस्तावित विशिष्ट विकास कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता, न कि केवल चार जिलों को, पटेल टीम की सिफारिशें व्यापक नहीं थी और सीमित सिफारिशो को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

पूर्वी उ० प्र० के जिन पन्द्रह जिलों का उल्लेख किया गया है, उनमें आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से स्थिति वांछनोय नहीं है। सम्पूर्ण देश में 240 जिले ऐसे हैं, जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जाता है। परन्तु वस्तुतः वे औद्योगिक दृष्टि की अपेक्षा आर्थिक रूप में अधिक पिछड़े हुए हैं।

9—366 LSS/ND/77

[श्री मोरारजी देसाई]

पटेल समिति ने केवल चार जिलों के बारे में ही अपनी सिफारिशें दी हैं, क्योंकि उन्हें चार जिलों के बारे में ही अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था न कि पन्द्रह जिलों के बारे में। उनमें से अनेक सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं, लेकिन उससे भी समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका कारण यह भी है कि हमारे विकास कार्यक्रमों में ग्रामों के विकास के लिए वह प्राथमिकता नहीं दी गई, जो दी जानी चाहिए थी। इस लिए हम ग्रामीण जीवन को सम्पन्न और प्रसन्न बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। हम सभी को कठिन श्रम करना होगा, जिससे प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सके। कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिए, सड़कों का जाल बिछाया जाना चाहिए और पेयजल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा पूर्ण स्वच्छता होनी चाहिए। हम दस वर्षों में इसे प्राप्त करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश ही क्यों, सम्पूर्ण भारत में यह होना चाहिए।

गैर-सरकारी एजेन्सियों और राज्य सरकारों को भी इसमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। केन्द्रीय सरकार राज्यों को पूरी तरह सहायता कर सकती है। हमने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ भी कर दिया है और हम प्रचार में नहीं पड़ना चाहते। हमारा कार्य स्वयं बोलेगा।

यह सच है कि इस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पीने के लिए ही नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए भी जल की व्यवस्था करना आवश्यक है। राज्य सरकारों को पहले की अपेक्षा अब अधिक प्रयत्नशील होना होगा। इस कार्य में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए।

अखिल भारतीय स्तर पर एक सिंचाई की योजना का उल्लेख किया गया है। दस्तूर द्वारा तैयार योजना से मैं काफी आकर्षित हुआ था। इसके क्रियान्वयन पर 15,000 करोड़ रु० की धनराशि खर्च होने की सम्भावना है। हमें यह देखना है कि यह सम्भाव्य है भी अथवा नहीं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हूँ कि देश के सभी भागों में प्राकृतिक जल के पूरा उपयोग हो और वह बहकर समुद्र में बेकार न जाने दिया जाय। बाढ़ों से भी बचाव किया जाय।

किसी निश्चित, व्यवहार्य योजना को बनाने में दो साल का समय लग सकता है, परन्तु हम सम्पूर्ण जल का उपयोग करना चाहते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से बिजली की समस्या भी नहीं रहेगी। लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उद्योग भी कृषि पर आधारित हैं और कृषि को उद्योगों से सहायता मिलती है। इसलिए ये असम्बद्ध प्रश्न नहीं हैं।

हमारे देश के लिये कृषि उत्पादन का बहुत महत्व है। उसके बिना हमारा देश जिन्दा नहीं रह सकता। अतः इसे प्राथमिकता दी ही जानी है और उसी से उद्योगों को भी बल मिल सकता है। यदि कृषि क्षेत्र के लोग ही औद्योगिक माल को नहीं खरीद सकेंगे तो उद्योग क्या करेंगे। यह सब परस्पर सम्बद्ध समस्याएं हैं। हम किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित नहीं है परन्तु हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा समाज हो जो ऊंच-नीच अथवा शोषण की भावना से रहित हो।

उसके लिये सब को मिल जुल कर काम करना है। आलोचना करने पर कोई रोक नहीं है। परंतु यह ऐसे मामले नहीं कि हम यह नहीं कह सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। परन्तु यदि हम कहीं पर कोई गल्ती कीये तो उसे स्वीकार करने और उसे दूर करने के लिये तैयार हैं। इसी प्रकार हम

इस समस्या को हल करने के प्रयास कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को ओर पूरा ध्यान दिया जायेगा। केवल बड़े उद्योगों से ही समस्या हल नहीं होगी। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं परन्तु इससे क्या समस्या हल हुई है? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि धनराशि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। गलतियां भी होती हैं। उसके लिये किसी को दोष नहीं दिया जा सकता परंतु जब उन गलतियों को बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताया जाये तो अवश्य कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। खैर हमें किसी को दोष नहीं देना और स्थिति का सुधार करना है। उस कार्य के लिये मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य का सहयोग लेना चाहता हूं। मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई कि उनके क्षेत्र कोई भी हरिजन भूमि के बिना नहीं है। हमें सभी जगहों पर यह स्थिति लानी है। परंतु उन्होंने जो अन्य लोगों की स्थिति का भी उल्लेख किया है वह दुखदायी है। उसे सुधारना जरूरी है।

भाग्य से स्थिति में सुधार हो रहा है। हमें इसे पूरी तरह सुधारना है। यह हर एक को रोजगार देकर ही हो सकता है। हमे अपना उत्पादन बढ़ाना है। हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। यदि हम सब मिल-जुल कर काम करें तो इसमें सुधार हो सकता है। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य से केवल इतना अनुरोध करूंगा कि वह इस बात पर विचार करें कि क्या प्रस्ताव में ऐसा कहना "कि यह सभा खेद व्यक्त करती है कि स्थिति [इस प्रकार की है" उचित है, मेरे विचार से सदन में इस पर चर्चा से उनका उद्देश्य पूरा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह उसे वापस ले लेंगे।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा प्रभावी व तर्कसंगत उत्तर देने और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देश भर की पीडित जनता के लिये उनकी सहानुभूति के लिये उनका धन्यवाद करता हूं।

मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत नहीं कि पटेल आयोग के प्रतिवेदन में इस बारे में कुछ किया गया है। मेरा तात्पर्य किसी पर दोष लगाना नहीं था परंतु गरीबी की इस दयनीय अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना मात्र था। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के डा० के० एन० सिंह के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि इस बारे में पूरी गंभीरता नहीं प्रदर्शित की गई और जो कुछ भी हुआ वह केवल कागजों पर ही है। उन्होंने स्पष्टतया यह कहा कि सभी पंचवर्षीय योजनाओं का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मेरा तर्क इसी बात पर आधारित था कि सभी को सहयोग करना चाहिये। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा राज्य क्षेत्र सभी को मिल जुल कर प्रयास करने चाहिये। इसी लिये मैंने सर्वेक्षण करने की तथा समन्वित प्रयासों के लिये प्राधिकरण की स्थापना की मांग की है। रोग बहुत गहरा है और केवल मरहमपट्टी मात्र से ही ठीक नहीं होने वाला।

मैं प्रधान मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि पटेल आयोग के प्रतिवेदन को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाये। अध्ययन दल को केन्द्र द्वारा भेजा गया था और उसकी हो यह सिफारिशें हैं। यह कृषि उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जनसंख्या, प्रति एकड आय, सिंचाई, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में थीं परंतु उनको कार्यान्वित करने के लिये प्रशासकीय ढांचा नहीं है। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक पिछडे जिले में उप निदेशक के दर्जे के किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाये जो इस बात को देखे कि काम पूरी तरह से व ईमानदारी से किया जाये। इस बात को भी देखा जाये कि राज्यों को जो कुछ करने को कहा जाता है वह उसे पूरा करें।

[श्री यादवेन्द्र दत्त]
जिन सदस्यों ने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उन सभी का आभारी हूं।

मैं संकल्प को वापस लेने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रज भूषण तिवारी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री बृज भूषण तिवारी : जी हां। मैं अपना संशोधन वापस करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री रामधारी शास्त्री, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री राम धारी शास्त्री : जी, हां। मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री उग्रसेन, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

Shri Ugra Sen : I withdraw my amendment with the hope that whatever has been said by the hon. Prime Minister would have its impact.

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : श्री यादवेन्द्र दत्त, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री यादवेंद्र दत्त : जी हां, मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
32 वां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : मैं मानव निर्मित कपड़े के लिए नकद सहायता के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 178 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 32 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मूंगफली सोलवेंट एक्सट्रेक्शन आदि के निर्यात के बारे में याचिका

PETITION RE. EXPORT OF GROUNDNUT SOLVENT EXTRACTION ETC.

5. **Shri Dharmasinhbhai Patel** (Porbandar) : I present a petition signed by Shri Savdas Thakurshi Patel and others regarding export of groundnut solvent extraction and groundnut handpicked and selected.

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के शासी निकाय

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : I move :

"That in pursuance of Rules 20(16) and (17) and 24(2) of the Rules, Regulations and Bye-laws of the Indian Council of Medical Research, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Governing Body of the Indian Council of Medical Research."

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के नियमों, विनियमों और उप-नियमों के नियम 20 (16) और (17) और 24 (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक

MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES BILL

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही है, सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन सहकारी सोसाइटियों से, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं और जो एक से अधिक राज्यों में अपने सदस्यों के हितों को पूरा कर रही हैं सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री मोहन धारिया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) बिहार में बिजली की भारी कमी

Shri Yuvraj (Katihar) : The country as a whole in general and Bihar State in particular is suffering a loss of crores of rupees on account of the shortage of power. In Bihar there are two thermal power stations—Barauni and Patratu. In Barauni Thermal Power Station out of five units three units of 15 MW are lying closed because of bad quality of coal. In a unit of 50 MW the turbine plate is broken and it is lying idle.

[माननीय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

As regards Patratu Thermal Power Station, its five units out of seven have been closed since November. The generation capacity of Patratu Station is 500 MW while only 100 MW power is being generated there at present. These days Bihar needs 500 MW and the requirement of Bihar will go up to 1200 MW during next five years.

Bihar Government has sent to the Central Government three project reports in respect of Tenughat Thermal Power Station, Mujaffarpur Thermal Power Station and Kahargaon Project. But all these projects are still pending with the Central Government. I do not know whether they have not been cleared so far due to laxity on the part of Central Government or the way of working of the officers of the Planning Commission. In Bihar all the industries and the Agriculture have been very badly affected on account of it. So, I am drawing the attention of this House towards this problem.

(दो) भागलपुर-बीहपुर रेल तथा स्टीमर सेवा को पुनः आरम्भ न करने से व्याप्त रोष

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Mr. Deputy Speaker, I would like to draw your attention to an extraordinary situation which has developed due to the cancellation of a railway train running for the last 85 years from Bihpur to Bhagalpur in District of Bhagalpur. Though I have been drawing the attention of Government to this problem by raising the matter in this House as well as writing letters. But this train has not been restored till now. Inspite of the assurances given by the Railway Minister and the General Manager of the Railways. The people of the area are agitated on it. There is great resentment in the people. The agitation of the people may take a violent turn any time. On 4th December people gathered and decided to stop the running trains. This situation was avoided somehow their representatives have met

the Railway Minister and the Prime Minister on this issue. If this train was not restored soon the people of the same area may resort to other methods and the whole responsibility of any untoward incidents in this respect will be on the Government. I therefore invite the attention of Central Government to this situation.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जांच आयोग के 1974 के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. REPORT OF 1974 OF COMMISSION OF INQUIRY INTO DISAPPEARANCE OF NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, खोसला आयोग के प्रतिवेदन को रद्द करने की मांग न केवल भारत के लोगों की है बल्कि विश्व के सभी लोकतंत्रीय देशों की है। तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध हो गया है कि खोसला प्रतिवेदन ठीक नहीं है। खोसला आयोग के प्रतिवेदन में लिखा है कि 18 अगस्त 1945 को वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें नेताजी यात्रा कर रहे थे और वह दुर्घटना में मर गये थे। इस बात की जांच अनेक संगठनों और समितियों ने की है और उन्होंने इस तथ्य को गलत पाया है। ब्रिटिश सरकार ने किसी भी ऐसी रिपोर्ट को सत्य नहीं माना है जिसमें नेताजी के मरने की बात कही गई है। नेताजी जीवित हैं अथवा नहीं इस प्रश्न पर विवाद में पड़े बिना हम यह चाहते हैं कि इस मामले पर उचित ढंग से जांच की जाये। हम चाहते हैं कि इस मामले में जांच के लिए संसद सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाये।

खोसला आयोग के प्रतिवेदन में नेताजी के बारे में कुछ अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं। उन्हें जापानी सरकार की कटपुतली बताया गया है और यह कहा गया है कि उनमें आत्म सम्मान न था और उनके समर्थक भी न थे। ये टिप्पणियां हमारे लिए शर्म की बात है। नेताजी महान क्रान्तिकारी थे। इस तथ्य से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति खोसला ने अपना प्रतिवेदन पहली सरकार के प्रभाव में आकर दिया और जांच ठीक ढंग से नहीं की। जब श्री खोसला जांच करने ताइपेह में गये तब उन्होंने वहां अपने मित्रों से पूछताछ की और उन्होंने स्थानीय सरकार के नेताओं या सरकारी कर्मचारियों और अपने राजदूत की साक्ष्य इस बारे में नहीं ली। अतः मैं संसदीय समिति द्वारा नेताजी के गायब हो जाने की जांच किये जाने की मांग करता हूं। नेताजी सुभाष का भारत से बाहर जाना एक रहस्य नहीं रहना चाहिए और उसके बारे में सचाई का पता लगाना चाहिए। वह भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य को लेकर भारत से बाहर गये। भारतवासियों के मन में उनके प्रति अत्यधिक सम्मान है और उनकी गतिविधियां चिर स्मरणीय हैं। वे महात्मा गांधी और अन्य सभी तत्कालीन नेताओं के प्रिय थे। अतः उनके बारे में वस्तुस्थिति का पता लगना चाहिए। अतः यह उपयुक्त होगा कि एक जांच समिति नियुक्त की जाये जिसमें सभा के माननीय सदस्य हों और ऐसे व्यक्ति हों जो उनसे सम्बद्ध रहे हों।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : नेताजी के लापता होने के मामले की जांच के लिए भारत सरकार ने दो आयोग नियुक्त किये है। कांग्रेस सरकार ने 1954 में एक आयोग नियुक्त किया था जिसके अध्यक्ष श्री शाहनवाज थे। उस आयोग के सदस्य नेताजी के भाई श्री शरत चन्द्र बोस भी थे।

[श्री के० मायातेवर]

उन्होंने 1955 में अपनी विमति-टिप्पणी दी थी जिसे प्रकाशित नहीं किया गया था। दूसरा जांच आयोग कांग्रेस सरकार ने 1974 में नियुक्त किया था उसने भी मेरे विचार से जांच करने का दिखावा मात्र किया।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और नेताजी भारत मां के महानतम सपूत थे। वह न केवल भारत में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में एक बहुत बड़े राजमर्मज्ञ थे। वह न केवल भारत के इतिहास में बल्कि सम्पूर्ण विश्व के इतिहास में एक महानतम देशभक्त थे।

नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए थे। लापता होने के छ: महीने के बाद वह जर्मनी के नेता हिटलर से मिले थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कि नेताजी शर्म की वजह से मर गये हैं क्योंकि हिटलर ने उनको सहायता करने से मना कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर नेताजी की मृत्यु की घोषणा की जब कि नेताजी पश्चिमी जर्मनी से जापान लौट आये थे और वहां उन्होंने आजाद हिन्द फौज का गठन किया था जिसका ध्येय भारत को आजाद कराना था। मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में यह सबसे पहली सुसंगठित सशस्त्र क्रान्ति थी जिसे विश्व के 14 देशों से इस रूप में मान्यता मिली थी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी जिसके प्रेजीडेंट वह स्वयं थे। वह सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और उसकी साथी देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। आजाद हिन्द फौज आसाम तक विजेता रही और उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाई थी। तभी नेताजी पुन: लापता हुए। कांग्रेस सरकार ने नेताजी द्वारा लड़े गये स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को क्यों दबाया यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में नेताजी का चित्र लगवाएं। आजाद हिन्द फौज का इतिहास पुनः ठीक से लिखा जाना चाहिए। ब्रिटिश प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल के अनुसार ब्रिटेन के विश्व में दो शत्रु थे—एक हिटलर और दूसरा नेताजी। आज़ाद हिन्द फौज का इतिहास न तो ठीक से लिखा गया और न उसका ठीक से प्रचार ही किया गया है। आजाद हिन्द फौज का इतिहास पुनः ठीक से लिखा जाना चाहिए।

जहां तक आजाद हिन्द फौज का सम्बन्ध है, उसके सैनिकों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। उनमें से कुछ को दंडित किया गया। आजाद हिन्द फौज के अनेक भूतपूर्व सैनिक और उनके बच्चे बेरोजगार हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनके साथ सरकार द्वारा स्वतंत्रता-सेनानियों से सैंकडों गुणा अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। आजाद हिन्द फौज के सभी भूतपूर्व सैनिकोंको बिना किसी भेदभाव के पेंशन दी जानी चाहिए। अकेले तमिलनाडु में 10,000 लोग ऐसे है जिन्हें पेंशन नहीं दी गई है। पेंशन देने वाली समिति के अध्यक्ष श्री शाहनवाज थे और उन्होंने मुझे कई बार यह आश्वासन दिया था कि वह आजाद हिन्द फौज के प्रत्येक सैनिक को पेंशन देंगे यदि वह यह सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा भी प्रमाण दे देंगे कि वह आजाद हिन्द फौज में थे। परन्तु उन्होंने अपना यह आश्वासन पूरा कभी नहीं किया। अत: मैं चाहूंगा कि उनसे प्रमाण लेते समय बहुत अधिक छानबीन न की जाये और यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि आजाद हिन्द फौज में उसका नाम दर्ज था, तो यह पर्याप्त होना चाहिए। ये लोग अपनी जन्म भूमि पर अपने देश पर मर मिटने के लिए आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए थे। अत: मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आजाद हिन्द

फौज के सभी भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन मंजूर की जाये। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे सैनिकों के वैध उत्तराधिकारियों को रोजगार और वित्तीय सहायता भी दी जाये। शिक्षा संस्थाओं में भी उनके बच्चों को सहायता दी जाये। नेताजी का चित्र संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में लगाया जाये और संसद भवन के बाहर पार्लियामैंट स्ट्रीट वाले चौराहे के बीच में नेताजी की प्रतिमा प्रतिस्थापित की जाये। इन शब्दों के साथ मैं श्री समर गुह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री एस० के० सरकार** (जयनगर): मैं श्री समर गुह को यह प्रस्ताव पेश करने के लिए बधाई देता हूं जिसके माध्यम से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने के मामले पर आज चर्चा की जा रही है। मुझे शर्म इस बात पर आ रही है कि नेताजी जैसा व्यक्तित्व भी आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद विवाद का विषय बना हुआ है। नेताजी जितने बड़े देशभक्त जितने बड़े नेता और जितने बड़े व्यक्ति थे, वह अपने आप में बेमिसाल है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जितना महान योगदान दिया वह अनुपम है और चिरस्मरणीय है। यह भी शर्म की बात है कि उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए भी हमें ऐसी चर्चा इस सदन में उठानी पड़ती है। जो नेतागण इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, वे निन्दा के पात्र हैं। अतः इस सदन में सभी पक्षों द्वारा यह पुरजोर मांग की जानी चाहिए कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को उतना बड़ा सम्मान और शान प्रदान की जानी चाहिए जिसके वे हकदार हैं। नेताजी का इतिहास अद्वितीय है और इसे मखौल में नहीं उड़ाना चाहिए। यदि हमने भारत के इस महान देशभक्त की स्मृति को भुलाने का प्रयास किया तो उस जैसा राष्ट्रीय अपराध और कोई न होगा।

शाहनवाज खां आयोग अपने आप में एक बड़ा मजाक है। उसके प्रतिवेदन से यह साफ जाहिर है कि उसने वास्तविक तथ्यों को बड़ी चालाकी से छिपाया है। इसी प्रकार खोसला आयोग का प्रतिवेदन भी ढोंग है और मिथ्या दस्तावेज है, जिसे रद्द किया जाना चाहिए। इस आयोग ने तो भारत माता के उस महान सपूत और आदर्श नायक का अपमान करने का दुस्साहस भी किया। अतः यह आवश्यक है कि नेताजी के बारे में निष्पक्ष जांच कराई जाये। प्रस्तावित जांच समिति में संसद सदस्य भी सम्मिलित किये जायें। यह जनता सरकार का दायित्व है कि वह नेताजी के बारे में सभी तथ्य लोगों और देश के सामने रखें। हम चाहते हैं कि नेताजी का उचित इतिहास तैयार हो और उन्हें वह सम्मान दिया जाये जिसके वे पात्र हैं। उनका चित्र संसद के केन्द्रीय कक्ष में ससम्मान लगाया जाना चाहिए। एक नई जांच कराई जाये और पता लगाया जाये कि नेताजी जीवित हैं अथवा नहीं। ताइपेह में हुई विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित मृत्यु के बारे में जो रहस्य है, वह स्पष्ट होना चाहिए। ब्रिटेन के गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट और वेवल माउंटबेटन और एटली जैसे नेताओं के पत्रों और भाषणों से यह सिद्ध होता है कि वे उस विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के बारे में आश्वस्त नहीं थे। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि ताइपेह विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु के बारे में जो रहस्य का पर्दा पड़ा है, वह उठाया जाये। इसके लिए नये सिरे से जांच की जाये और प्रस्तावित जांच में ताइपेह सरकार का सहयोग लिया जाये। हमारे विदेश मंत्री ने ताइपेह सरकार को इस बारे में पत्र

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

[श्री एस० के० सरकार]

लिखने का वायदा किया था। मैं गृह मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच के लिए एक नया आयोग नियुक्त करें जो विश्व के कोने-कोने में जाकर इस बारे में तथ्य और साक्ष्य एकत्र करे और नेताजी के लापता होने के बारे में रहस्य दूर करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष निकाले। यदि निष्कर्ष यह निकले कि नेताजी जावित नहीं है तो यह निष्कर्ष अधिकृत रूप से स्वीकार किया जाये और उस अमर देशभक्त के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को चिरस्मरणीय बनाने के लिए यत्न किये जायें।

Shrimati Chandravati (Bhiwani) : Mr. Deputy Speaker, I would like to say that it was the Government of India which has been responsible for continuing the controversy about the death of Netaji, because the Government had never put forth any statement narrating the circumstances in which he died. It was only to shut the mouths of the people that enquiry commissions were appointed by the former Government. The individuals who do not enjoy the confidence of the people were appointed as their members and chairman. It is hoped that this present Government will hold a thorough enquiry into the matter in such a manner that people will be satisfied and all suspicions in the minds of the people would be removed. The way the enquiry was made by the previous Government into this matter was a fraud against the people of this country. I feel our present Government should assume the responsibility to examine all the facts and hold investigations into the matter in such a manner that people feel satisfied about their findings. Government should clear the mystery about the circumstances leading to the death of Netaji. The previous Government has not given the due respect, honour and recognition to a true patriot and leader like Netaji, that he deserves. I suggest that it will be proper if a statue of Netaji is installed at India Gate in New Delhi, where there was statue of George V till some time ago. Our present Government should take such measures as will satisfy the people about the circumstances in which Netaji died. The controversy about this, which is still continuing, should be put to an end, so that the birthday and the martyre's day in case of Netaji can be celebrated without any doubt and hesitation.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं श्री समर गुह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एक बंगाली देश भक्त नहीं थे बल्कि एक भारतीय देशभक्त थे। उन्होंने सब जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के साथ साथ रहने का स्वप्न देखा था।

उन्होंने जो आजाद हिन्द फौज का गठन किया था उसमें सब धर्मों के व्यक्ति थे।

अभी भी बडी संख्या में लोगों का विश्वास है कि नेताजी जीवित हैं। उनके जीवित रहने की अफवाह सुनकर लाखों लोग जमा हो जाते हैं।

वह इस देश के महान देशभक्त हुए हैं। वह साम्राज्यवाद के विरूद्ध दृढ़ संघर्ष के योद्धा रहे।

यह समाचार मिला था कि नेताजी विमान दुर्घटना में मारे गये। उस समय भारत स्वतन्त्र नहीं हुआ था। जनता की यह मांग और आकांक्षा थी कि उस बात का पता लगाया जाये कि नेताजी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। इस बारे मे प्रथम आयोग की नियुक्ति श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में हुई। नेताजी के बड़े भाई श्री सुरेश चन्द्र बोस और एक नागरिक श्री एस० एन० मैत्री

आयोग के सदस्य थे। बहुमत से यही प्रतिवेदन दिया गया कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। लेकिन नेताजी के बड़े भाई इससे सहमत नहीं थे। बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास है कि इस मामले में पूरी परिस्थितियों की जांच नहीं की गई है। इस बारे में मांग जारी है। श्री समर गुह के निरन्तर प्रयास के बावजूद दूसरे जांच आयोग की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है।

न्यायधीश श्री खोसला द्वारा दी गई सिफारिशों को एक तरफा बताया गया है। आयोग के बारे में श्री खोसला पर भी आरोप लगाये गये हैं। अतः एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को अन्तिम रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। न्यायाधीश श्री खोसला के प्रतिवेदन और निष्कर्षों पर विश्वास न करने का एक कारण यह भी है कि श्री खोसला अधिकांश मौखिक साक्ष्यों पर निर्भर रहे हैं लेखा साक्ष्यों पर नहीं। उन्हें इस बात के समर्थन में बहुत कम लेखा-साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि वह विमान दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हुए थे और बुरी तरह जल गये थे। उनका पहले अस्पताल में उपचार कराया गया और बाद में उनकी ताइपेह अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चायक या लेखा साक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। दो जापानी डाक्टरों की उचित रूप से पहिचान नहीं की गई कि क्या वे वही डाक्टर थे जिन्होंने नेताजी को उपचार किया था। अतः मेरे विचार से इस बारे में सर्वप्रथम जांच की जानी चाहिये। मैं श्री समर गुह के इस मत से सहमत हूं कि भूतपूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत खोसला आयोग के समस्त प्रतिवेदन को समाप्त किया जाना चाहिये क्योंकि उसमें ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं जिसके आधार पर नये सिरे से जांच आरम्भ की जाये।

जनता में नेताजी के प्रति अगाध आस्था है। अतः अफसरशाही तरीके से सरकार द्वारा प्रतिवेदन को स्वीकार करने से देश की अधिकांश जनता संतुष्ट नहीं है। अतः श्री खोसला के वक्तव्य में संदेह करने की काफी गुंजाइश है।

स्वीकृत प्रतिवेदन को रद्द किया जाना चाहिये। श्री सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच के लिये एक नई समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

खोसला आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 1964 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद तत्कालीन ब्रिटेन सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा लिखित कुछ दस्तावेजों का पता लगा है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में सरकार इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और इस मामले की पुनः शीघ्र जांच करनी चाहिये। उनकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध दृढ़ प्रवृति, उनकी भारत के भविष्य में विचारधारा, उनकी लोकतांत्रिक ढांचे के बारे में विचारधारा आज सच सिद्ध हुई है। आज उनके लेखन का गम्भीरता से अध्ययन करना आवश्यक है। नेताजी कलकत्ते में जहां रहते थे वहां आज नेताजी अनुसंधान ब्यूरो कार्य कर रहा है मुझे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि न केवल देश के बल्कि विश्व के समस्त भागों के विद्वान उस ब्यूरो का दौरा करते हैं। सरकार को उक्त ब्यूरो की यथा-सम्भव सहायता करनी चाहिये।

मलेशिया में भी नेताजी की विचारधारा की अभी भी चर्चा की जाती है वहां अनेक स्वतन्त्रता सेनानी रह रहे हैं। उनकी वित्तीय स्थिति बहुत शोचनीय है। उन्हें देश में स्वतन्त्रता सेनानियों को प्राप्त होने वाली पेंशन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। मलेशिया में रहने वाले आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों के लिये इन सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिये।

[श्री सौगत राय]

ऐसा विदित हुआ है कि नेताजी की पुत्री श्रीमती अनिता बोस अमरीका में रह रही हैं। उन्हें सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये। सरकार को नये जांच आयोग की स्थापना में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये। मैं नेताजी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के श्री गुह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कोहिमा में आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों का स्मारक अभी भी विद्यमान है। इसका निर्माण हमारी सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद किया था। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिये।

Shri Mritunjaya Prasad Verma (Siwan) : People in this country must be apprised of the circumstance which leads to the death of Netaji. It is wrong to say that Netaji was trying to hide himself. It may be possible that he with the collaboration of the Japanese, would have fabricated the news of air-crash, so that British could stop the search of Netaji. It is also alleged that some documents found by the officers of the External Affairs records that he may be in Russia. But no action was taken with regard to those documents. Dr. Satyanarain wrote a book named 'Mystery of Netaji' while visiting all the places. But Shri Khosla did not believe them true.

If the facts and the evidence given before the Khosla Commission are analysed, one will reach the conclusion that they are contradictory and this do not satisfy a rational mind.

All Government records and archives should be looked into. Some students from Japan told that the air-crash took place in 1944 and not in 1945. Thus the questions of the death of Netaji in air-crash does not arise. We want that in case of doubts, facts should come to light. We agree to this fact that as the time elapses it will be more difficult to make an enquiry. Taking all these things into consideration I am of the view that a fresh enquiry in this matter should be made. So that it will leave no scope for any doubt or suspicions in the minds of the people.

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यद्यपि दो निकायों द्वारा नेताजी के गायब होने के बारे में जांच की जा चुकी है लेकिन इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता नहीं लगा है। शाहनवाज समिति और खोसला आयोग दोनों ने ही अपने प्रतिवेदनों में उल्लेख किया है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त, 1945 को एक विमान दुर्घटना में हुई। शाहनवाज समिति का प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधान मंत्री के वक्तव्य के समर्थन में दिया गया।

जहां तक खोसला आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है यह न्यायिक घोषणा के अन्तर्गत जानबूझकर झूठा प्रतिवेदन दिया गया है। खोसला आयोग के प्रतिवेदन को सरकार सदन में वर्ष 1976 में स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। खोसला आयोग के प्रतिवेदन को रद्द किया जाना चाहिये। खोसला आयोग का प्रतिवेदन किसी प्रस्तुत दस्तावेज पर आधारित नहीं है। कथित सह-यात्रियों द्वारा दिये गये सभी साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। यात्रियों की पहिचान के लिये कोई भी वैध प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

मेरे विचार से कोई विमान दुर्घटना ग्रस्त नहीं हुआ था अतः उसमें नेताजी की मृत्यु का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

वह सर्वविदित है कि नेताजी एक विशेष समय अपनी गतिविधियों के क्षेत्र का स्थानान्तरित करना चाहते थे । जब तक हम इस गम्भीर तथ्य की ओर ध्यान नहीं देंगे हमारा समस्त सम्पर्क ही टूट जायेगा ।

खोसला आयोग ने इस तथ्य को जानने की कोशिश नहीं की कि 18 अगस्त, 1945 को तथा-कथित विमान दुर्घटना के बाद ऐसी कुछ बातें क्यों हुई ।

श्री शाहनवाज खां ने बताया कि वर्ष 1944 के आरम्भ में नेताजी रूस से सम्पर्क स्थापित करना चाहते थे जिससे आजादी की लड़ाई वहां से लड़ी जा सके । श्री एस०ए० अय्यर ने भी यही बताया कि नेताजी ने यह निर्णय किया था कि आजादी की लड़ाई रूस को स्थानान्तरित कर दी जाये । खोसला समिति ने इस बारे में पूर्णतया उपेक्षा की है ।

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYANA RAO *in the Chair*]

इस बारे में महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार के इस सम्बन्ध में क्या विचार थे ?

तत्कालीन ब्रिटिश गृह सदस्य मि० जेनकिन्स द्वारा 23 अगस्त, 1945 को लिखे गये पत्र से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश सरकार को उस समय यह विश्वास नहीं था कि नेताजी की 18 अगस्त, 1945 को मृत्यु हो गई थी ।

लार्ड वेविल ने भी एक नोट अथवा अपनी जीवनी में यह लिखा है कि उक्त तथाकथित विमान दुर्घटना भूमिगत जाने का सुविधाजनक तर्क था ।

ब्रिटिश सरकार, लार्ड वेविल और ब्रिटेन के मंत्रिमंडल को 25 अक्तूबर, 1945 तक इस बात की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं थी कि नेताजी की मृत्यु किसी विशेष तारीख को किसी विशेष दुर्घटना में हुई थी । इसके विपरीत वेविल का यह सुझाव था कि ऐसा भूमिगत जाने के लिये किया गया था ।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें खोसला आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिये । मुझे इस बात की शंका है कि खोसला आयोग किसी के कहने पर कार्यवाही कर रहा था ।

अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति भी बदल गई है । देश तथा विश्व में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सदन को वर्तमान सरकार से खोसला आयोग के प्रतिवेदन को रद्द करने की मांग करनी चाहिये । 18 अगस्त, 1945 के बाद प्राप्त सुरागों के आधार पर इस अध्याय को पुनः खोलना चाहिये । मेरे विचार से सदन और देशवासी इस बात से संतुष्ट है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त, 1945 को नहीं हुई थी । सदन का यह दायित्व है कि वह 18 अगस्त, 1945 के बाद विश्व के समस्त भागों से प्राप्त सुरागों के आधार पर जांच करवाये ।

डा० कर्ण सिह (उधमपुर) : भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में बंगाल ने विशेष महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम प्रभाव उक्त राज्य पर पड़ा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना के बाद आरम्भ हुए राजनीतिक अभियान में बंगाल के लोग अग्रणी रहे और बंगाल ने श्री विपिन चन्द्र पाल जैसी महान विभूतियों को जन्म दिया।

श्री अरविन्द घोष, श्री चित्तरंजन दास, भारतीय राष्ट्रीयवाद के फरिश्ते, सी० आर० दास, महान न्यायविद और वकील थे। इन सब में एक महान विभूति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की थी। साहित्य के क्षेत्र में रवीन्द्र नाथ टगोर, विज्ञान में आचार्य प्रफुल्ल राय श्री एस० सी० बोस तथा अन्य व्यक्ति थे। सब गतिविधियों में बंगाल अग्रणी रहा है।

हमें स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे। जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस दोनों ही राजनीतिक गतिशीलता और देश भक्ति से ओत-प्रोत थे।

नेताजी का जीवन देश प्रेम के सम्बन्ध में उल्लेखनीय रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनकी वचनबद्धता साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष, अनेकों कठिनाइयों के रहते हुये भी उनके अदम्य साहस ने उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया है। उन्होंने सामान्य जीवन नहीं जिया। यदि हम उनके मस्तिष्क का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि उसमें एक ही विचार, एक ही इच्छा, एक ही कार्य के प्रति वचनबद्धता मिलती है और वह है भारत को स्वतंत्र कराना। जो भी संसाधन उनके पास होते स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य के लिये उन्होंने उनका प्रयोग किया। उनके जीवन का अन्तिम अध्याय, अर्थात दिसम्बर, 1941 में कलकत्ता से गायब होने तक से 1945 तक को कथित विमान दुर्घटना तक, अत्यन्त विवादास्पद रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात से ही नेताजी के जीवित होने की कहानियां चलने लगीं। समय बीतता गया परन्तु कहानियां समाप्त नहीं हुयीं। आज भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। क्रमशः वर्ष 1956 तथा 1970 में दोनों आयोगों ने यह निर्णय दिया है कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई। परन्तु ये निर्णय लोगों को मान्य नहीं हुये। पिछले सत्र में श्री समर गुह ने खोसला आयोग के प्रतिवेदन को नकारते हुये जो तथ्य प्रस्तुत किये उनसे कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता। परन्तु लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि यदि नेताजी जीवित हैं तो वह प्रगट क्यों नहीं होते। उनकी आयु हमारे माननीय प्रधानमंत्री से एक वर्ष कम है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है। मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्रो० गुह द्वारा हमारे ध्यान में लाये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अभी भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे देशवासी नेताजी की मृत्यु के समाचार से आश्वस्त नहीं हैं। यदि इस सम्बन्ध में नये जांच आयोग की मांग होती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। वह जीवित है अथवा नहीं, एक बात सत्य है कि जब तक भारत रहेगा, जब तक 'जयहिन्द' का नारा रहेगा तब तक देश में नेताजी की याद ताजा रहेगी।

श्री त्रिदिब चौधरी (बेहरामपुर) : सदन में सभी ओर से यह मांग है कि इस मामले की जांच के लिये तीसरे आयोग बनाया जाना चाहिये। यह मांग इस सभा की ही मांग नहीं है। पश्चिम बंगाल

में वामपंथी सरकार के सत्ता में आने के पश्चात सभा ने एक स्वर से मांग की कि खोसला आयोग के प्रतिवेदन को रद्द किया जाये और नया आयोग गठित किया जाये। न तो शाहनवाज खां आयोग ने और न खोसला आयोग ने शक्ति हस्तांतरण के कागजातों के प्रकाशन से सामने आये तथ्यों पर विचार नहीं किया है।

दूसरे ताइवान सरकार के अधिकार में जो सामग्री उपलब्ध है उसकी जांच इसलिये नहीं की गई कि ताइवान सरकार के साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध नहीं हैं। अत: तीसरा आयोग गठित किया जाना चाहिये और इस प्रश्न को हमेशा हमेशा के लिये समाधान किया जाना चाहिये।

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : प्रो० समर गुह ने अपने भाषण में बताया है कि यद्यपि खोसला आयोग पर फारमोसा में कागजात एकत्र करने के लिये काफी जोर दिया गया परन्तु उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि तत्कालीन भारत सरकार ने न्यायाधीश श्री खोसला को फारमोसा सरकार से तथ्य प्राप्त करने के लिये मना किया था। यदि श्री खोसला को फारमोसा सरकार से तथ्यों की जानकारी नहीं लेनी थी तो वे फारमोसा क्यों गये थे?

यदि खोसला आयोग के निदेशपत्रों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों को देखा जाये तो पता चलता है कि 19 से 25 तक का सिफारिशें संगत नहीं हैं। अपने आवेदन के पृष्ठ 113 पर न्यायाधीश खोसला ने भी यह बात स्वीकार की है कि भारत सरकार ने एक फाइल उन्हें उपलब्ध नहीं करायी। हो सकता है उस एक फाइल के मामले से सम्बन्धित तथ्य हों। कम से कम मुझे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की कहानी में विश्वास नहीं हैं। अत: अन्य सदस्यों के साथ मेरा भी अनुरोध है इस मामले की नये सिरे से जांच के लिये एक आयोग गठित किया जाये।

Shri D. N. Tiwary (Gopal Ganj) : There have been two enquiries regarding the disappearance of Netaji and the reported plane crash. Shri Khosla has made certain damaging remarks about Netaji. Those remarks reveal Justice Khosala's bent of mind. Had Justice Khosla not been the Chairman of enquiry commission, he would have faced the Suit of defamation filed by somebody against him.

Prof. Samar Guha : The family members of Netaji have filed such a suit against Justice Khosala but he is avoiding the trial since one year.

Shri D. N. Tiwary : Hon. Home Minister should go into all these things and if he considers that there are lapses in the Report then he should order a fresh enquiry. An honest man and impartial man should be appointed as Chairman to find out the truths.

Justice Khosla had gone to Taiwan in connection with the enquiry but he did not record the evidence of those persons who said that there was no plane crash in 1945, but it was in 1944. Hon. Home Minister should keep these things in mind and order a fresh enquiry.

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : मैं उन सभी सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होंने नयी जाँच की मांग की है। प्रो० गुह ने जाँच निष्कर्षों को दो आधारों पर आलोचना की है। एक तो

[श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी]

उन्होंने वे स्रोत बताये हैं जिनसे इस जाँच में बहुत सहायता मिलती परन्तु न्यायाधीश श्री खोसला ने ऐसा नहीं किया। इस बारे में 45 फाइलें नेहरू जी के पास थी परन्तु तत्काली सरकार द्वारा उन फाइलों को गुम बता दिया गया और श्री खोसला ने इस बात को स्वीकार कर लिया। उन फाइलों को खोजा क्यों नहीं जा सका ? जाँच के लिये विदेशों में गये परन्तु वहां की सरकार से तथ्यों की जानकारी नहीं ली गयी। इसका कारण उन्होंने यही बताया कि भारत सरकार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है। अतः खोसला आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया वह बेकार है।

प्रो० समर गुह ने ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये है कि जाँच पक्षपातपूर्ण है। अतः इस प्रतिवेदन का कोई मूल्य नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं नयी जाँच की मांग का समर्थन करता हूँ।

श्री एस० के० सरकार (जयनगर) : मैं वर्ष 1975 में ताइवान गया था। मैंने वहां के उप-विदेश मंत्री से बात-चीत की। उन्होंने कहा कि यदि आपके देश की सरकार इस बारे में कोई अनुरोध करे तो हम आवश्यक जानकारी दे सकते है।

श्री वेदव्रत बरुआ (संगरूर) : नेताजी क्रान्तिकारी थे। उनकी क्रान्ति किसी वार्ता तक सीमित नहीं थी अपितु उसको फलीभूत देखने के लिये वह प्रत्येक कार्य करने को तत्पर थे, प्रत्येक जोखिम उठाने के लिये तयार रहते थे। साम्राज्यवादियों ने उन्हें फासिस्ट कहा था। परन्तु इस देश के लोग जानते हैं कि नेताजी क्या थे। स्वतंत्रता संग्राम को जो योगदान उन्होंने दिया इतिहास में वह सदैव अमर रहेगा। जहाँ नये सिरे से जाँच कराने की मांग इस विषय में सारा सदन एकमत है। खोसला आयोग के प्रतिवेदन से बहुत लोग सहमत नहीं है। इस मामले का समाधान होना ही चाहिये। इस बात का भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि किसी देश ने उन्हें 32 वर्ष तक जेल में रखा और उन्हें समाप्त नहीं किया और विश्व को इस बारे में पता भी नहीं चलने दिया। यदि कोई उन्हें 32 वर्ष तक जेल में रखने में रूचि रखता था तो उन्हें समाप्त करने में भी उसकी रुचि होनी चाहिये। अतः सदन इस सम्बन्ध में सत्य तथ्यों को जानने के लिये उत्सुक है। नयी जाँच शीघ्रातिशीघ्र करायी जानी चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में सभी कागजात देश से तथा विदेशों से उपलब्ध कराने में सहायता करनी चाहिये। माननीय गृह मंत्री इन सब बातों पर ध्यान देंगे और यहाँ अभी नया आयोग गठित करने की घोषणा करेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : यह चर्चा 3 अगस्त को आरम्भ हुई और अब भी चल रही है। प्रो० गुह की उपलब्धि और प्रयास सराहनीय है। प्रश्न यह है कि चर्चा क्यों हुई और नयी जांच की मांग क्योंकी जा रही है। शायद प्रो० गुह मेरे मत से सहमत न हों परन्तु मेरे विचार से इस बात की जाँच महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति के रूप में नेताजी जीवित हैं अथवा नहीं यद्यपि इसका महत्व है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नेताजी जैसे महान व्यक्ति के लिये सरकार का रवैया इस प्रकार का नहीं होना चाहिये था जैसा कि सरकार जाँच आयोगों के माध्यम से अपना रही है। महत्वपूर्ण बात विश्व को यह बताने की है कि न्यायाधीश श्री खोसला ने अपना कार्य न्यायिक तथा संतोषप्रद रूप में नहीं किया है। अतः जनता सरकार कम से कम इसे परिवर्तित पारिवेश में विश्व को बता सकते है कि वर्ष 1945 की विमान दुर्घटना वाली कहानी झूठ है। निःस्सार है और इसे

वही सत्य मान सकता है जिसे ऐसा करने के लिये कहा जाये। नेताजी का गायब होना एक रहस्यास्पद बात है और उससे भी अधिक रहस्यास्पद खोसला जी का प्रतिवेदन है। पता नहीं उन्होंने किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला की सुभाष बोस की मृत्यु 18 अगस्त्, 1945 को हुई। रहस्यमयी विमान दुर्घटना में हुई। इस संदर्भ में लार्ड वेवेल का नाम भी आया है। मैंने उनकी लिखी पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के बारे में जापान द्वारा की गई घोषणा को सत्य नहीं माना है।

मैंने सुभाषचन्द्र बोस को बहुत समीप से देखा है, उनकी ओजस्वी बातें सुनी है। वह पुरुषों में एक रत्न, बहादुर, देशभक्त, सदैव युवा रहने वाले क्रान्तिकारी तथा विश्व के नागरिक थे। क्या ऐसी व्यक्ति भागने, बदनिकलने जैसा कार्य अच्छा कोई ऐसा कार्य जो ऐसे महान व्यक्ति के लिये अशोभनीय है, करेगा? जीवित रहते हुये भी वह एक नायक थे और आज भी वह एक नायक के रूप में हैं।

जहाँ तक खोसला जी के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, गृहमंत्री जानते हैं कि न्यायाधीश खोसला ने किस प्रकार इसे लिखा, संदेहास्पद है। श्री खोसला ताइवान से वापस आये और प्रधानमंत्री के लिये वहां से तौफा लाये उसे लेकर प्रधानमंत्री निवास गये। यह एक न्यायाधीश के लिये कहाँ तक उचित है।

जनता सरकार को सारे रिकार्ड सामने लाने चाहिये। अतः मैं नयी जाँच की मांग का समर्थन करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 9 दिसम्बर, 1977/18 अग्रहायण, 1899 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday the 9th December, 1977 Agrahayana 18, 1899 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 2—366 एल० एस० एस० (एन० डी०)/77—22-3-78—200

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—988 LSS/77